अंक– 131

जन कल्याण विशेषांक

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर में लाभार्थी को ट्राइसाइकिल प्रदान करते हुए।

माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर में लाभार्थी को स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए।

संरक्षक
श्री हेमन्त कुमार गेरा
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

परामर्शदाता
श्री आर.डी. मीणा, सदस्य
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य
डॉ. महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य
श्रीमती कमला अलारिया, सदस्य
श्री मदन लाल नेहरा, सदस्य
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

प्रधान संपादक
श्री महावीर प्रसाद
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सम्पादक
पवन कुमार शर्मा
सहायक निदेशक (जनसंपर्क)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सहयोग
गफूर अली
अति. प्रशासनिक अधिकारी
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

मुद्रक
राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर

राजस्व मण्डल राजस्थान की त्रैमासिकी

अंक-131 रजि. क्रमांक 18119/70

अनुक्रमणिका

1. अध्यक्ष की कलम से
2. सम्पादकीय

लेख-सामग्री एवं विधिक जानकारी

3. बदलती भू-प्रशासनिक व्यवस्था की चुनौतियाँ एवं सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका 5-13
4. मध्यस्थता (मीडिएशन) सुगम न्याय प्राप्ति का एक वैकल्पिक मंच 14-17
5. भूमि विवादों के समाधान में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स का उपयोग 18-26
6. राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु नवाचार: मिलने लगे सार्थक परिणाम 27-29
7. विकास एवं लोक कल्याण का सुनहरा अध्याय......लाभ 30-33
8. भू-अभिलेखों एवं नक्शों में हुई लिपिकीय अशुद्धियों....प्रक्रिया 34-54
9. Deemed Forest-एक विधिक विश्लेषण 55-66

स्थायी स्तम्भ

10. राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय 67-109
11. महत्वपूर्ण आदेश एवं परिपत्र 110-130
12. सफलता की कहानियाँ 131-155
13. राजस्व समाचार 156-168
14. विविध छायाचित्र 169-176

सूचना : राविरा में प्रकाशित लेख, रचनाएं लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं, उनसे राजस्व मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
राविरा में प्रकाशन हेतु आलेख, सफलता की कहानियां आदि सामग्री ई-मेल आईडी proboraj@gmail.com पर भेजी जा सकती हैं।

अध्यक्ष की कलम से......

राजस्थान के कृषक समुदाय व सार्वजनिक हित के कार्यों एवं सेवाओं की त्वरित, सहज एवं सुगम उपलब्धता को लेकर राज्य भर के पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों के माध्यम से बड़ी तादाद में आमजन को राहत पहुंचाई गई है। प्रमुख दायित्व के साथ राजस्व विभाग द्वारा अन्य विभागों के समन्वय से आयोजित इस अभियान की सफलता के लिये जिला कलक्टर से पटवार मंडल स्तर तक के सभी अधिकारी एवं कार्मिकों का योगदान सराहनीय है।

इस अभियान के तहत राजस्व विभाग की ओर से 1 लाख 32 हजार से अधिक नामांतरण खोले गये। सीमा ज्ञान के 7716, पत्थरगढ़ी के 8414, रास्ता खुलवाने के 31848, आपसी सहमति से भूमि विभाजन के 26858 प्रकरणों का निस्तारण किया गया साथ ही 7741 प्रकरणों में कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप 1073 भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार किए गए। यह कृषक एवं आमजन को राहत प्रदान करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।

समूचे राजस्थान प्रदेश में एक अगस्त से पटवारी एवं स्वयं कृषक के स्तर से भी ऑनलाइन राज किसान गिरदावरी मोबाइल एप के जरिए गिरदावरी की सुविधा आरंभ की गई है। कृषकों द्वारा स्वयं गिरदावरी किए जाने से पूर्ण जानकारी उनकी

देखरेख में पारदर्शिता से दर्ज हो जाएगी, और उन्हें ऐप से जमाबंदी की प्रति डाउनलोड की सुविधा भी मिल सकेगी।

राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों में एकरूपता लाने और पेपरलेस प्रक्रिया को लागू करने के लिए राजस्व न्यायालयों को हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। वाद प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण हेतु राजस्व न्यायालयों के लिये ऑनलाइन पोर्टल Rajasthan Revenue Court Modernization System (RRCMS) को लागू किया जायेगा। इसके लिये एनआईसी जयपुर के स्तर से सॉफ़्टवेयर भी तैयार करवाया जा रहा है। RRCMS पोर्टल को Land Record Portal से intergrade किया जायेगा जिससे किसी खाते पर वाद दायर है तो उसका पता चल जायेगा वहीं संबंधित वाद पर यदि स्थगन आदेश है तो वह भी खाते पर प्रदर्शित हो जायेगा।

निश्चय ही राजस्थान में कृषक वर्ग के कल्याण हेतु उठाये जा रहे नवाचारी कदम राज्य के समग्र विकास के साथ ही आम जन नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। सरकार की सभी महती योजनाओं एवं लोक राहत के कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने के लिये राजस्व प्रशासन के सभी अधिकारी एवं कार्मिक और अधिक समर्पित होकर सेवाएँ प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

हेमन्त कुमार गेरा

अध्यक्ष

संपादकीय......

सुधी पाठकगण,

राजस्थान सरकार के स्तर से राज्य भर में आयोजित लोक कल्याणकारी कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविरों की सफलता पर आधारित सामग्री के साथ ही कृषक समुदाय के लिए राजस्व न्यायालय व कार्यालयों के लिए उपयोगी संदर्भ के साथ राविरा का 131वां अंक आपको भिजवाते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

राविरा के इस अंक में मध्यस्थता के जरिए राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का सहज समाधान, भू प्रशासनिक व्यवस्था एवं भूमि विवादों में सूचना प्रौद्योगिकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता, राजस्व न्यायालयों में नवाचार, भू अभिलेखों में अशुद्धियों के शुद्धिकरण के प्रावधान, सरकारी रिकॉर्ड में वन भूमि आदि महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित आलेखों के रूप में राजस्व विषयक संदर्भ को आप तक पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं।

इसी प्रकार राजस्व मंडल स्तर से निर्णीत महत्वपूर्ण प्रकृति के प्रकरण, राजस्व विभाग एवं राजस्व मंडल स्तर से समय-समय पर जारी परिपत्र एवं अधिसूचनाएं, राजस्व विभाग से संबंधित उपब्धिपरक सफलता की कहानियां, रास्ता खोलो अभियान के तहत जिलों में अर्जित उपलब्धियों को भी मय छाया चित्र पुस्तक में प्रमुखता से समाहित किया गया है।

राज्य में राज किसान एप से स्वयं कृषक, पटवारी व सर्वेयर के स्तर से ऑनलाइन गिरदावरी का अभियान चलाया गया है। कृषक हितैषी इस तकनीकी आधारित नवाचार का अधिकाधिक लाभ आम जन को दिलाने के लिये राज किसान एप के व्यावहारिक उपयोग के बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता लानी होगी तथा किसानों के माध्यम से अधिकाधिक गिरदावरी करवाने को लक्ष्य बनाना होगा।

राविरा के माध्यम से राजस्व विभाग की विविध गतिविधियों एवं उपलब्धियों को आलेख एवं सफलता की कहानियों के रूप में पहुंचाया जाता रहा है आपसे आग्रह है कि आपके क्षेत्र के नवाचारों एवं उपलब्धियों को हमें नियमित रूप से भिजवाते रहें ताकि इन्हें राविरा के माध्यम से जनहित में प्रकाशित किया जा सके।

श्रेष्ठ दायित्व निर्वहन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

महावीर प्रसाद
निबंधक

बदलती भू-प्रशासनिक व्यवस्था की चुनौतियाँ एवं सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

के. आर. खोड़
आर.ए.एस.

परिसंपत्ति एवं संसाधन के रूप में भूमि आजीविका, वैयक्तिक अभिमान, भावनात्मक लगाव एवं सामाजिक-आर्थिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। समाज में भूमि के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भूमि नीतियां सदैव प्रत्येक शासन के केंद्र में रही हैं। भूमि प्रशासन के अंतर्गत भूमि के स्वामित्व, अधिकार एवं दायित्व, भूमि सर्वेक्षण मय अभिलेखन, अभिलेखों का रखरखाव एवं इनकी उपलब्धता, भूमि का मूल्यांकन एवं कर दायित्व, भूमि कारोबारी गतिविधियां, राजस्व संग्रहण, प्रभावी नगर नियोजन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन तथा भूमि के मालिकाना हक, उपभोग-उपयोग, कब्जे सम्बन्धी विवादों के समाधान हेतु राजस्व न्यायालयों का प्रबंधन एवं भू-उपयोग एवं भूमि के अंतरण सम्बंधित नियम, प्रक्रियाएं और संस्थागत क्रियान्वयन शामिल हैं। सुशासन की वर्तमान अवधारणा ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज ऑफ जस्टिस के लिए एक सुदृढ़ भू-प्रशासनिक व्यवस्था का होना अत्यावश्यक है। भू-प्रशासनिक संस्थाएं राज्य की भूमि नीति निर्माण, प्रक्रियाओं के निर्धारण एवं इनके कार्यान्वयन में महती भूमिका निभाती हैं। जीवन के विविध क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी से हो रहे क्रांतिकारी बदलावों के अनुरूप भू-प्रशासनिक व्यवस्था में भी इसकी उपयोगिता और योगदान को समझना जरूरी है।

अर्थव्यवस्था पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव और फिर इस आर्थिक परिवर्तन से सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बदलाव की अवधारणा को अब वैश्विक स्वीकृति मिल चुकी है। कंप्यूटर, इंटरनेट और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कारण बदलती दुनिया में सामान्य जन के साथ-साथ कृषकों एवं संपत्ति स्वामियों की भी अपेक्षा है कि इसका लाभ उन तक भी पहुंचे। सभी स्वामित्व की भूमि का एक विश्वसनीय और टैम्पर प्रूफ दस्तावेज चाहते हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एवं सेवाएं भी प्रारंभिक तौर पर भूमि अभिलेख से जुड़ी हैं।

संपत्ति का क्रय-विक्रय, खेतों और परिसरों की सीमाओं पर तारबंदी या चहारदीवारी या अन्य संरचनाओं के निर्माण, भूमि संपत्ति की सीमा से सम्बद्ध विवादों को रोकने और वित्तीय परिसंपत्ति की दृष्टि से सटीक सीमाओं का निर्धारण अर्थात् भूमि सर्वेक्षण अत्यावश्यक है। परम्परागत यंत्रों, उपकरणों और विधियों के स्थान पर नवीन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट एवं ड्रोन और नित नई आविष्कृत मशीनों के अनुप्रयोग से भूमि सर्वेक्षण की पहुँच अब दुर्गम्य क्षेत्रों तक हो सकी है और सर्वे के बाद प्राप्त आंकड़े अधिक परिशुद्ध, सुरक्षित, स्थायी रूप से संग्रहणीय एवं द्रुत संचरणीय हैं। इसी के कारण अब ग्रामीण और शहरी आबादी, कृषि क्षेत्र एवं अन्य सेक्टर्स में इस नई तकनीक का उपयोग कर स्पष्ट एवं सटीक अभिलेख और नक्शे मिल पा रहे हैं। राजस्व अभिलेखों के डिजिटाइजेशन, पुराने लिगेसी रिकॉर्ड के स्कैनिंग कार्य, कटे-फटे और नष्ट प्राय: रिकॉर्ड को सर्वे रिसर्वे के माध्यम से निर्मित कर डिजिटाइज़्ड स्वरूप प्रदान कर इस डेटा को विभिन्न विभागों एवं पब्लिक डोमेन में शेयर करने के बाद रिकॉर्ड तक पहुँच सुनिश्चित की गई है। इन बदलावों से भारत में ज्यादा पारदर्शी, सुलभ और कुशल भूमि शासन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

अस्सी के दशक में केंद्र प्रवर्तित स्कीम के तहत भूमि-अभिलेख का कंप्यूटरीकरण, राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण और रिकॉर्ड अपडेशन का कार्य शुरू हुआ था। 2008 तक अधिकांश राज्यों में आधार अभिलेख की डेटा प्रविष्टि का कार्य कर लिया गया था। इसके बाद 2008-09 में राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) के तहत एक वृहद् स्कीम का स्वरूप सामने आया, जिसमें ब्यूरो क्रिटिकल सिस्टम और निश्चयात्मक भूमि स्वामित्व अधिकार (CONCLUSIVE TITLE) का उद्देश्य रखा गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का विस्तार करते हुए सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के अंतर्गत इसे सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। अब यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन व्यवस्था (LDMS) के साथ जोड़ दिया गया है। डीआईएलआरएमपी का मुख्य उद्देश्य एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करके एक आधुनिक एवं पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है। इस प्रणाली का उद्देश्य वास्तविक समय पर भूमि की जानकारी प्रदान करना, भूमि उपयोग को अनुकूलित करना, भूस्वामियों एवं संभावित खरीददारों को लाभ पहुंचाना, नीति निर्माण का समर्थन करना, भूमि विवादों में कमी लाना, धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकना, कार्यालयों में व्यक्तिगत भ्रमण को समाप्त करना और विभिन्न संगठनों के

साथ डेटा साझा हेतु सक्षम बनाना है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इस प्रोग्राम को बढ़ाया गया है। नवीन विस्तारित कार्यक्रम के तहत मार्च 2026 तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने भू-अभिलेख का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण कार्य सम्पन्न करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से ही डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत अग्रवर्णित आठ घटकों पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। 1. आधार अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और डिजिटाइज्ड राजस्व नक्शों के साथ इंट्रीगेशन एवं राज्य स्तरीय डाटा सेंटर की स्थापना, 2. लैंड रिकॉर्ड डेटाबेस का सहमति आधारित आधार नंबर से लिंकेज, 3. उपपंजीयक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण एवं भूमि अभिलेखों का पंजीयन के साथ इंट्रीगेशन, 4. सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण कार्य से बंदोबस्त अभिलेखों एवं सर्वे का अद्यतन करना, 5. प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से सुरक्षा हेतु पुराने लिगेसी रिकॉर्ड की स्कैनिंग हेतु आधुनिक अभिलेखागार निर्मित कर तहसील स्तर पर भू-अभिलेख प्रबंधन केंद्रों की स्थापना, 6. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, 7. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इकाइयां स्थापित कर मानव संसाधन की उपलब्धता, 8. ई-कोर्ट एकीकरण के तहत राजस्व न्यायालय का कंप्यूटरीकरण कर भूमि अभिलेख डाटा से इंट्रीगेट करना। डीआईएलआरएमपी भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित हो रहा है।

राजस्थान में भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति

नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल 49,551 राजस्व ग्राम एवं 1,24,70,859 आरओआर यूनिट्स अर्थात अधिकार अभिलेख भूमि खाते हैं। समस्त 426 तहसीलों में जमाबन्दियाँ डिजिटाइज्ड की जा चुकी हैं। राजस्थान की कुल 426 तहसीलों में से 422 तहसीलें ऑनलाइन हो चुकी हैं और इनमें राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। चार शेष तहसीलों खण्डार, मालपुरा, रेवदर व शाहबाद में सर्वे रिसर्वे कार्य की समाप्ति उपरांत इन्हें ऑनलाइन किया जाना है। भूमि सम्बंधित जालसाजी और बेनामी अंतरण को रोकने के लिए प्रत्येक भूखण्ड को डिजिटाइज्ड कर 14 अंक का अल्फा-न्यूमेरिक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN प्रदान किया गया है जो भूमि अभिलेखों और दस्तावेज पंजीयन से जुड़े हुए हैं। प्रदेश के कुल 4.50 करोड़ खसरों में से 4.37 करोड़ खसरों के भू-आधार पहचान विशिष्ट नंबर जनरेट किए जा चुके हैं। ऑनलाइन तहसीलों के 46,797 गांवों को जिओ रेफरेन्स्ड किया जाकर एनआईसी के भू-नक्शा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

कुल 1,30,801 राजस्व नक्शा शीट्स में से 1,29,553 नक्शा शीट्स डिजिटाइज्ड की जा चुकी हैं। प्रदेश में आधुनिक अभिलेखागार निर्माण हेतु भारत सरकार ने 426 तहसीलों में से 359 तहसीलों में स्वीकृति दी है। इनमें से 225 तहसीलों में चौथे चरण इंडेक्सिंग एवं स्कैनिंग कार्य को छोड़कर तीन चरण और 28 तहसीलों में चारों चरण पूर्ण हो चुके हैं। सर्वे रिसर्वे कार्य के प्रथम चरण में 11 जिलों की सभी तहसीलों के समस्त ग्रामों के उपग्रह छायाचित्रों के आधार पर ड्राफ्ट डिजिटल नक्शे तैयार किए जा चुके हैं। चार तहसीलों उनियारा, आमेट, पीपाड़सिटी और सिवाना तहसीलों में नवीन राजस्व रिकॉर्ड दिनांक 13 दिसंबर, 2024 से लागू किया जा चुका है। द्वितीय चरण में शेष 22 जिलों में सर्वे-रिसर्वे कार्य हेतु प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट NAKSHA (NATIONAL GEOSPATIAL KNOWLEDGE-BASED LAND SURVEY OF URBAN HABITATIONS) के तहत 10 शहरी क्षेत्रों में नवीन भू-अभिलेख तैयार किए जाने की कार्रवाई स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाई जा रही है। अभी तक सर्वे-रिसर्वे कार्य के दौरान शहरी एवं परिधीय क्षेत्र को एक खसरा नंबर देकर कार्य किया जा रहा था परन्तु अब इन क्षेत्रों की भी मैपिंग का कार्य ड्रोन की सहायता से करवाए जाने की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ग्रामीण आबादी क्षेत्र में ड्रोन की सहायता से सर्वे कार्य भारत सरकार की स्वामित्व योजना के तहत किया जाकर ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल पट्टे जारी होना प्राम्भ हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 631 राजस्व न्यायालयों में से 431 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। सम्पत्ति दस्तावेजों हेतु 659 उपपंजीयक कार्यालयों में से 529 उपपंजीयक कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हो गए हैं। इसके अंतर्गत पंजीयन कार्यालयों को भू-अभिलेख राजस्व कार्यालयों से भी जोड़ा गया है और भूमि-अभिलेख को इन पंजीयन कार्यालयों से समेकित किया गया है। इसके तहत राज्य वेब पर पंजीकृत दस्तावेजों को ढूंढा जा सकता है। दस्तावेज पंजीयन प्रक्रिया में लगने वाले मुद्रांक पेपर और प्रक्रिया शुल्क को भी पूरी तरह डिजिटल करने की कार्यवाही चल रही है। भू अभिलेख को किसान के आधार से लिंक करने का कार्य स्वैच्छिक होने और डीआईएलआरएमपी में इसकी धीमी गति के कारण अब यह कार्य भारत सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना में फार्मर रजिस्ट्री के साथ ही किया जा रहा है।

राजस्थान में राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, भू-आधार अभिलेखों को आधार से जोड़ने और राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण एवं राजस्व कार्यालयों से इंट्रीगेशन हेतु राजस्व मंडल, उपनिवेशन क्षेत्र में तहसीलों का कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिक अभिलेख कक्षों के

निर्माण हेतु उपनिवेशन विभाग, सर्वे-रिसर्वे और जीआईएस लैब हेतु भू-प्रबंध विभाग, पंजीयन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को कार्यकारी संस्था नियुक्त किया गया है।

डीआईएलआरएमपी के बाद कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत भारत एवं प्रदेश सरकारों की एक महत्त्वपूर्ण साझा परियोजना एग्रीस्टेक की अवधारणा में फार्मर रजिस्ट्री, जिओ रेफेरेंस्ड विलेज मैप और बोई हुई फसल से डाटा एकत्रित कर केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। एक आम नागरिक की पहचान हेतु जारी आधार नंबर के सदृश ही कृषक को पृथक् पहचान देने के लिए फार्मर्स रजिस्ट्रेशन के तहत प्रत्येक किसान को 11 डिजिट का एक डिजिटल यूनिक पहचान नंबर दिया जा रहा है जिसमें कृषक द्वारा धारित कृषि जोत का विवरण उसके आधार से लिंक होगा। आधार से जमाबंदी लिंक किए जाने के सम्बन्ध में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य के साथ ही आधार को जमाबंदी से जोड़ने का कार्य हो रहा है। प्रदेश में 90,19,695 पीएम सम्मान निधि के लाभार्थियों में से मार्च, 2025 के अंत तक 73.17 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन और इनमें से 47,07,991 का नामांकन किया गया है। इस कार्य में राजस्थान ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खेतों की जिओ टैगिंग से उसके द्वारा बोई हुई फसल की रियल टाइम जानकारी को डिजिटाइज कर विभिन्न सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे उपज आकलन, देय सब्सिडी, सरकारी क्रय, भूमि अधिग्रहण एवं आपदा प्रबंधन में मुआवजा का वास्तविक विवरण सरकार के पास उपलब्ध रहेगा। फसल गिरदावरी के आंकड़ों से फसल उत्पादन अनुमान, कृषि ऋण, क्षेत्रवार उर्वरक आपूर्ति एवं आयात-निर्यात की योजना बनाने में सहायता मिलती है। इस कार्य को सरल एवं विश्वसनीय बनाने में के बाद राज्य की ऑनलाइन तहसीलों में गिरदावरी कार्य हेतु मोबाइल एप्स से डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) अर्थात ई-गिरदावरी प्रारम्भ की है। ऑनलाइन गिरदावरी करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान ने 1-आम काश्तकार हेतु राज-किसान गिरदावरी मोबाइल एप, 2-राजस्व कार्मिकों हेतु राज-खसरा गिरदावरी मोबाइल एप एवं 3-जन-आधार खाता सीडिंग मोबाइल एप्स विकसित किए हैं। इन मोबाइल एप्स से किसान स्वयं, पटवारी एवं सर्वेयर द्वारा गिरदारी कार्य किया जा रहा है। सम्वत 2080 फसल खरीफ, रबी और जायद रबी एवं सम्वत 2081 की फसल खरीफ व रबी गिरदावरी का आवण्टित निर्धारित कार्य सम्पादित किया गया है।

भू-अभिलेखों, भू-नक्शों एवं नागरिक सेवाओं हेतु प्रदेश में अभी ई-धरती, भू-नक्शा

एवं अपना खाता ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की राजस्व सेवाओं के लिए मोबाइल एप्प्स विकसित किए जा रहे हैं। विक्रय, उत्तराधिकार, न्यायालय आदेश, बैंक ऋण रहन दर्ज/मुक्ति आदि विभिन्न कारणों से आधार अभिलेख (खसरा खतौनी) में होने परिवर्तन नामान्तरकरण प्रक्रिया से दर्ज किए जाते हैं। अभी तक नामान्तरकरण प्रक्रिया जटिल और दु:साध्य होने से लोगों के परेशानी का एक बड़ा कारण थी। अब उपपंजीयन कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन होते ही स्वत: नामान्तरकरण स्वी.त होकर जमाबंदी में इंद्राज कर लिया जाता है जिससे राजस्व रिकॉर्ड रियल टाइम अपडेट रहता है। इसमें समयावधि नियत कर कार्मिकों के दायित्व तय किए गए हैं। आईटी के प्रयोग से यह प्रक्रिया पेपरलेस कर आसान बना दी गई है। नामान्तरकरण के अन्य मामलों में ऑनलाइन आवेदन कर आवेदक कुछ हद तक निश्चिन्त हो सकता है। इसी प्रकार प्रदेश में खेतों का सीमांकन कार्य, कृषि से अकृषिक भूमि रूपांतरण, सहमति के कृषि जोत विभाजन व ग्रामीण क्षेत्र में अंडर ग्राउंड केबिल बिछाने, ओवर ग्राउंड मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर सरल बनाने हेतु मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं जिससे कार्यालयों में अनावश्यक आवाजाही और औपचारिकताओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। डीआईएलआरएमपी में शामिल विषयों जैसे नए पुराने राजस्व अभिलेखों एवं नक्शों के डिजिटाइजेशन, इनकी पब्लिक डोमेन में उपलब्धता एवं विभागीय डाटा बेस से लिंक करने, पंजीयन और अभिलेखीय डेटा को अन्य विभागों से लिंक करने एवं भूमि सर्वेक्षण के सेटेलाइट मानचित्रण के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। ई–कोर्ट एकीकरण में राजस्व कोर्ट्स के कम्प्यूटरीकरण के बाद सुनवाई तारीख, न्यायालय निर्णयों एवं कॉज लिस्ट की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो पा रही है।

प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का असर यहाँ की भूमि व्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। भूमि सम्बन्धी व्यवहारों एवं परम्पराओं में क्षेत्रीय विविधाएँ, स्थानीय वैषम्य देखने को मिलता है जिससे भूमि प्रावधानों को स्थानीय परिस्थिति अनुसार तकनीक से लिंक करने का कार्य दुरूह एवं चुनौतीपूर्ण रहा है। संक्रमण के इस दौर में समस्याएं, चिंताएं और जटिलताएं स्वाभाविक हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ भू–अभिलेख की उपलब्धता पर निर्भर है। जिस आसानी से विभिन्न हितधारकों को आपस में भूमि अभिलेख सूचना की उपलब्धता और पहुंच रहेगी, उसी अनुपात में प्रभावी और दक्ष तरीके से जनसाधारण को लोक क्ल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। डिजिटल नवाचारों से प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय एवं प्रदेश के बजट में सरकारों द्वारा भूमि सुधारों के सम्बन्ध में

की गई डिजिटलीकरण और तकनीकी सम्बन्धी घोषणाएं भू-प्रशासनिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण में सहायक हो रही हैं। जमाबंदी और नक्शों की जानकारी एवं नकलें लेने, प्रमाण पत्र बनवाने, फसल गिरदावरी, अभिलेखों की तैयारी और इनकी पब्लिक डोमेन में उपलब्धता, विभागीय डाटा बेस से लिंक करने के उपरांत फार्म रजिस्ट्री, भूमि सर्वेक्षण व सीमांकन, भूमि रूपांतरण, नामान्तरकरण, अविवादित कृषि भूमि के विभाजन, नागरिक केंद्रित रूटीन के राजस्व कार्य, अन्य विभागीय कार्यों के साथ समेकन कार्य, मृदा परीक्षण, क्रय-विक्रय आदि पंजीयन, अभिलेख निर्माण, अनुरक्षण और कृषि भूमि आधारित अन्य गतिविधियों जैसे भूमि अंतरण, अधिग्रहण, भूमि विवाद, कृषि ऋण, भूमि की उर्वरता और कृषि इनपुट के अनुप्रयोग, फसल उत्पादन और बिक्री संबंधी सह-कृषि गतिविधियों में डिजिटल क्रांति के फलस्वरूप भूमि स्वामियों एवं कृषकों की स्थिति में निश्चित रूप से आशानुकूल बदलाव आया है। परन्तु अनिश्चित और अस्पष्ट भूमि स्वामित्व, असुरक्षित भू-आधृति अधिकार, विभिन्न विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा बनी आर्थिक रूप से व्यवहार्य भूमि पर सीमित पहुँच एवं भूमि सम्बन्धी बढ़ते विवाद एवं आपराधिक मुकदमे जैसी समसामयिक चुनौतियों के मूल कारणों को सुलझाने में कितनी सफल हो पाएगी, कहना मुश्किल है। सरकारें सभी कुछ प्रौद्योगिकी के कंधों पर डाल कर निश्चिंत नहीं हो सकती हैं। प्रक्रियात्मक एवं प्रवर्तन के विधिक एवं संस्थागत ढांचे में गहरी जड़ जमाई हुई समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस हेतु प्रयास अपेक्षित हैं। भूमि प्रशासन के समक्ष वर्तमान में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिन्हें आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से दुरुस्त किया जाना है। इन चुनौतियों में कृषि योग्य भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण गहन एवं प्राकृतिक कृषि की संभावनाएं, नवीन तकनीक और संस्थागत नवाचारों में कृषि के साथ पशुपालन तथा कृषि प्रसंस्करण कार्य, फसल वृद्धि हेतु गहन कृषि तथा उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के प्रयास, सरकारी भूमियों, जल स्रोतों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र, सामुदायिक और सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के दुरूपयोग, अनधिकृत अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण, निजी भूमि स्वामित्व एवं कब्जे की सुरक्षा, भूमि का केन्द्रीकरण एवं असमान वितरण, भूमि उपयोग की शर्तों के उल्लंघन, अवैध कब्जों की प्रवृत्ति शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से प्राप्त भूमि एवं फसल सम्बन्धी विवरण कृषि क्षेत्र की इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक इनपुट्स प्रदान कर सकते हैं। शामलाती भूमियों यथा तालाब, नदी, नाले, पहाड़, गोचर, पशुचारण एवं जंगलों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने या रिकॉर्ड में प्रविष्टियां को बदलकर या कानूनी खामियों का फायदा उठाते हुए पट्टे जारी करवा दिए जाने और

उसे पर कब्जा कर निर्माण कर लेने से रिहाइश योग्य और पशुचारण भूमि प्रभावित हुई है। इस हेतु पुराने राजस्व अभिलेख या इसकी अनुपलब्धता पर उपग्रहीय चित्रण या प्राकृतिक निशानों से इन भूमियों की पुनर्स्थापना आवश्यक है। राजस्व मंडल से लेकर तहसीलदार न्यायालयों में 31 मार्च 2025 के अंत तक लंबित 6,38,304 मुकदमे राजस्व प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है। इनमें से 4,83,604 (75.7 प्रतिशत) मुकदमे उपखण्ड अधिकारी और सहायक कलेक्टर के विचारण न्यायालयों में लंबित हैं। 5 वर्षों से अधिक समय से चल रहे मुकदमे 1,39,510 एवं दस वर्षों से अधिक अवधि के 84,043 मुकदमे अभी विचाराधीन हैं। इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के उपयोग से मुकदमों की प्रकृति का अध्ययन एवं विश्लेषण कर प्राप्त आंकड़ों से अधिक मुकदमे वाली पंचायतों में कैंप लगाकर कोर्ट्स केसेस को कम करना, आगे दर्ज होने से रोकना, भौतिक फाइलों पर निर्भरता कम कर प्रोसेस को डिजिटाइज करना और मुकदमेबाज लोगों की पहचान कर उन्हें हतोत्साहित किया जाना शामिल है। नित नयी राजस्व इकाइयों एवं न्यायालयों की बढ़ती संख्या के बावजूद मुकदमों की संख्या में वृद्धि चिंतनीय हैं। बढ़ते राजस्व मुकदमों और भूमि सीमांकन सहित कब्जों के मामलों में हुई आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों का सूचना टेक्नोलॉजी के सहयोग से विश्लेषण कर हितधारकों के प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य से भूमि विवादों को कम किए जाने पर विचार किया जाना है। भारत जैसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाले राष्ट्र में समाज पर थोपी गई औपनिवेशिक मानसिकता की न्याय व्यवस्था के नागरिक केंद्रित नहीं होने से यह न्याय प्रणाली अनुकूल नहीं होने से परम्परागत सामुदायिक विवाद निस्तारण तंत्र की जरूरत महसूस की जा रही है। क्षुद्र प्रकृति, मिथ्या और बोगस आधार पर दायर प्रार्थना पत्रों से अनावश्यक मुकदमों में वृद्धि हुई है और न्यायालय का 90 प्रतिशत समय और संसाधन इन्हीं अवांछित मुकदमों में जाया हो रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अरुण मोहन की पुस्तक ''जस्टिस, कोर्ट्स एन्ड डिलेज'' के आधार पर न्याय प्रशासन में विलम्ब के मुख्य कारणों तथा प्रभावी उपचारात्मक उपायों पर विस्तृत सुझाव दिए हैं। मुकदमेबाजी की धारणा दूसरे पक्ष को थकाने और देरी के आगे झुक जाने के बाद समझौता करने की संभावना पर भी आधारित होती है। ऐसे गैर-गंभीर मुकदमेबाजों से निपटने और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए मुकदमे की लागत (जोखिम)-लाभ सिद्धांत के अनुसार मूल्यांकन कर इस मुकदमे में दोषी पक्षकार पर निचली अदालत द्वारा आरोपित प्रतिकर और शास्ति में और वृद्धि शामिल है। कानून केवल विवादों के निपटारे तक सीमित नहीं है बल्कि इसे सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी साधन माना जाना चाहिए। सीमा सर्वेक्षण से भौतिक सीमाओं का मानचित्रण करके तथा

सार्वजनिक अभिलेखों और कार्यों पर शोध करके भविष्य में भूमि विवादों को रोकने में मदद मिल सकती है। निवेश की सुरक्षा, संपत्ति का सटीक आकार और स्थिति की जानकारी से सटी हुई संपत्तियों के स्वामी के साथ होने वाले विवादों से बचने में मदद मिल सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से जिन स्थानों के अधिकार अभिलेख, फील्ड बुक, नक्शे उपलब्ध नहीं हैं या नष्ट अथवा समाप्त हो गए हैं, उन स्थानों का सर्वे और पुन: सर्वेक्षण जिससे कि वहां के भूमि अभिलेख भी सामान्य रूप से उपलब्ध हो पाएंगे। सर्वे से वंचित रहे (Unsettled) भू-भाग का नए सिरे से सर्वे कर उनके अभिलेख तैयार हो पा रहे हैं। एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन व्यवस्था के तहत एक ही प्लेटफार्म पर पारदर्शी, विश्वसनीय, नागरिक-केंद्रित और फ्रेंडली डेटा आधारित उपलब्ध कराकर भूमि प्रशासन तथा प्रबंधन प्रणाली को मजबूती मिली है। अत: आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीक के अनुप्रयोग से राजस्व भूमि प्रशासन के समक्ष कृषि, किसानों एवं भू स्वामियों की चिंताओं के निवारण की विपुल संभावनाएं हैं।

□□□

मध्यस्थता (मीडिएशन)
सुगम न्याय प्राप्ति का एक वैकल्पिक मंच

श्री राजेश कुमार दड़िया
सदस्य, राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर

मध्यस्थता विवादों को सुलझाने का एक सुलभ एवं सुगम साधन भारतवर्ष में वैदिक काल से रहा है और आज मध्यस्थता विवादों को निपटाने का एक वैकल्पिक माध्यम विधि द्वारा संरक्षित साधन है। मध्यस्थता शब्द आम तौर पर प्रयोग किये जाने वाला शब्द है, जिसका सीधा अर्थ दो पक्षों के बीच में संवाद को स्थापित करने वाला व्यक्ति होता है जिसके लिये मध्यस्थता की आवश्यकता होती है और मध्यस्थ द्वारा जो संवाद करवाया जाता है वह मध्यस्थता (मीडिएशन) कहलाता है। राजस्व मामलों के प्रसंग में मध्यस्थता कार्यवाही एक कारगर उपाय हो सकती है। लेकिन मध्यस्थता किस प्रकार हो तथा उसके माध्यम से विवादों का निपटारा कैसे हो, इस विषय को आमजन तक पहुँचाने के प्रयास अभी पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। जिससे न्यायालय में लम्बित विवादों के पक्षकार मीडिएशन की प्रक्रिया को अपनाकर अपने विवाद का निपटारा करवा कर अपने समय एवं धन की बचत कर सके। इस संदर्भ में मीडिएशन की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:-

मध्यस्थता (मीडिएशन) क्या है:-यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मध्यस्थ निष्पक्ष एवं निर्विकार व्यक्ति के रूप में विवाद के पक्षकारों को एक ऐसे समझौते के लिये चरणबद्ध तरीके से तैयार करता है जोकि सभी पक्षों को मान्य हो, अर्थात समझौता कराने की प्रक्रिया को मध्यस्थता कहते हैं।

मध्यस्थता (मीडिएशन) का उद्देश्य:-मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य भारतीय न्याय प्रणाली में एक वैकल्पिक, सुलभ एवं प्रभावी तरीके से पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण किया जाना है, जिससे लम्बी व जटिलता से एवं न्यायालयों में दिन-प्रतिदिन बढ़ने वाले मुकदमों की संख्या में कमी लाई जा सके तथा पक्षकारों को न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले धन एवं समय को बचाया जा सके।

मध्यस्थ (मिडिएटर) क्या करता है:- मध्यस्थ किसी पक्ष अथवा विपक्ष के संबंध में निर्णय नहीं देता वरन् मात्र विवादग्रस्त पक्षकारों को एक व्यवस्था के तहत स्व-निर्णय के लिये

प्रेरित करता है। इस प्रकार मध्यस्थ पक्षकारों को स्वस्थ एवं व्यावहारिक वातावरण में स्व-निर्णय हेतु प्रेरित करता है।

मध्यस्थता (मीडिएशन) की आवश्यकता क्यों:-

भारतवर्ष में अधिकतर राजस्व मामले एक ही परिवार के मध्य कृषि जोत के विभाजन को लेकर होते हैं, जिनके लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 में प्रावधान निहित करते हुए एक ही परिवार के सह-खातेदारों की सहमति एवं विवादस्वरूप विभाजन को मान्यता प्रदान की गई है। पक्षकारों के मध्य सहमति बनाने के लिये मध्यस्थता ही एक उपयुक्त एवं सहज मंच है, जिसके माध्यम से कृषि जोतों का विभाजन न्यायिक प्रक्रिया की पेचीदगियों के बिना, आसानी से किया जा सकता है। सह-खातदारों के मामले जोकि प्राय: एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, के मध्य उपजी नकारात्मकता एवं प्रतियोगी भावना जोकि एक अविश्वास को जन्म देती है और उससे विवादरूपी फल फलीभूत हो जाता है। इस मनोदशा को एक प्रशिक्षित मध्यस्थ की उपस्थिति में सकारात्मक संवाद के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, जिससे राजस्व अदालतों का बोझ कम होगा और न्याय प्रदान करने में शीघ्रता आएगी तथा पारिवारिक विवाद को समाप्त करते हुए उनमें उपजे अविश्वास को कम किया जा सकता है एवं मुकदमे की हार-जीत की चिन्ता से मुक्त किया जा सकता है।

भारत देश में पूर्व समय से ही चौपाली न्याय व्यवस्था प्रचलन में थी जहाँ गांव का विवाद गांव के मुखिया द्वारा चौपाल पर बैठकर आपसी सद्भावना से निपटा दिया जाता था। राजस्व मामलों में मध्यस्थता निश्चय ही एक क्रांतिकारी कदम है, इस प्रकार मध्यस्थता एक सस्ता एवं सुलभ विकल्प वर्तमान न्याय व्यवस्था में उपलब्ध है जिसका लाभ सभी कृषकों एवं आमजन को उठाना चाहिए।

मध्यस्थता (मीडिएशन) के लाभ:-

(1) समय- आमतौर पर न्यायालय में में पक्षकारों के मध्य विवाद लम्बी अवधि तक लम्बित रहता है, परन्तु मध्यस्थता के माध्यम से प्राय: तीन-चार बैठकों में ही विवादों में समझौता हो जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय से मध्यस्थता के माध्यम से बचा जा सकता है।

(2) व्यवहार-मीडिएशन प्रतिकूल व्यवहार से बचाता है तथा परस्पर सहयोग की भावना पर आधारित होने के कारण पक्षकारों में सामंजस्य/सौहार्द उत्पन्न करता है तथा आपसी व्यवहार के कारण उपजी नकारात्मकता समाप्त होती है तथा पक्षकारों में पुन: भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि भाईचारे की भावना के संदर्भ में प्रेम विद्यमान रहता है तथा प्रेम से

आपसी सौहार्द एवं त्याग की भावना स्वत: उत्पन्न हो जाती है इसलिए मध्यस्थता भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य एवं पृष्ठभूमि में एक रची-बसी व्यवस्था है।

(3) व्यय-मध्यस्थता के माध्यम से निपटाये गये मामलों में कम समय एवं अपनी अनुकूलता के कारण वाद-व्यय अत्यन्त कम हो जाता है। भारतवर्ष में काश्तकार जोकि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होता है, तथा जिसका जीविकोपार्जन केवल मात्र कृषि पर आधारित है, को मध्यस्थता के माध्यम से कानूनी पेचीदगियों से बचाया जाकर आर्थिक सम्बल प्रदान किया जा सकता है।

(4) सहमति आधारित समाधान- मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का समाधान पक्षकारों की सहमति से होता है। यदि दोनों पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से समझौते स्वरूप किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं तो वह समझौता लिखित रूप में तैयार किया जाता है तथा उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है तथा पक्षकार जिनके मध्य समझौता हुआ है वह उक्त समझौते की मंजूरी से इनकार नहीं कर सकते हैं।

(5) गोपनीयता-इस प्रक्रिया में मध्यस्थ के साथ व्यक्तिगत बैठकों में हुए वार्तालाप को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाता है तथा समझौता न होने की स्थिति में सभी बैठकों में किये गये विचार-विमर्श भी पूर्ण रूप से गोपनीय रखे जाते हैं।

इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 89 'डी' में प्रावधान निहित किये गये हैं, जिसमें लम्बित प्रकरणों को मध्यस्थता के माध्यम से भेजने (संदर्भ) करने के प्रावधान विहित किये गये हैं, जोकि इस प्रकार है:- न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा (1) जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि निपटारा करने के ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं वहाँ न्यायालय निपटारे के निबन्धनों को विनिर्मित करेगा और उन्हें पक्षकारों के संपरीक्षण के लिये देगा और पक्षकारों का संपरीक्षण प्राप्त करने के पश्चात् न्यायालय सम्भाव्य निपटारे के निबन्धनों को पुन: निश्चित करेगा और उन्हें (डी) मध्यस्थता के लिये सन्दर्भित करेगा।

इस हेतु मध्यस्थता अधिनियम भी विधायिका द्वारा वर्ष 2023 में पारित किया गया है, जिसकी प्रस्तावना एवं उद्देश्य राजस्व मामलों के वैकल्पिक विवाद समाधान सहित अनुबंध प्रवर्तन व वाणिज्यिक विवाद समाधान व्यवस्था को पुनर्जीवित तथा मजबूत करना है। भारत के विवाद समाधान ढांचे में मध्यस्थता को और अधिक गहराई से एकीकृत करने और मध्यस्थों की एक नई पीढ़ी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस हेतु प्री-लिटिगेशन एवं पश्चातवर्ती प्रक्रम पर मध्यस्थता अनुज्ञात हो इस हेतु प्रशिक्षित/अनुभवी मध्यस्थों की काउंसिल बनायी गयी है तथा

प्रत्येक जिला स्तर पर वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) के भवन बने हुए हैं जहां मध्यस्थता के माध्यम से मध्यस्थता कार्यवाही हेतु उपर्युक्त स्थान उपलब्ध है। इस प्रकार अन्त में यही कहा जा सकता है कि राजस्व मामलों में जहां पक्षकारों के मध्य विभाजन से संबंधित विवाद हो, उनमें मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण का पूर्ण इच्छा शक्ति से निस्तारण किया जा सकता है जिसके बहुत आशान्वित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, राजस्व अदालतों में मुकदमों में आशानुरूप कमी लायी सकती है तथा इससे समाज में शांति एवं भाईचारे को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक है।

इस प्रकार भारतवर्ष में न्यायिक प्रक्रिया में मध्यस्थता के माध्यम से एक नया मुकाम हासिल करने की ओर बढ़ते क्रम में न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को सुलभ, गतिशील एवं मितव्ययी बनाया जा सकता है तथा उपर्युक्त व्यवस्था के मद्देनजर न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्राप्त निवारण के स्थान पर वैकल्पिक विवाद निस्तारण को बढ़ावा मिलेगा। जोकि भारतीय समाज की वर्तमान व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए न्याय की सुलभता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान/कदम है।

□□□

भूमि विवादों के समाधान में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स का उपयोग

ममता कुमारी तिवाड़ी, RAS
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा

आज 21 वीं शताब्दी मे भी भूमि सुधार (Land Reform) एक वैश्विक समस्या है, जो विभिन्न देशों में अलग-अलग रूपों में मौजूद है। यह समस्या ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से जुड़ी है, जैसे असमान भूमि वितरण, स्वामित्व विवाद, औपनिवेशिक विरासत, और आधुनिक विकास की जरूरतें। विश्व के विभिन्न देशों ने इस चुनौती से निपटने के लिए विविध रणनीतियां अपनाई हैं, जिनमें कानूनी सुधार, तकनीकी नवाचार, और सामुदायिक भागीदारी शामिल हैं। नीचे इसका विवरण दिया है।

भूमि सुधार के मुख्य मुद्दे-

1. असमान वितरण-बड़े भूस्वामियों के पास अधिकांश जमीन है जबकि छोटे किसानों और भूमिहीनों के पास बहुत कम जमीन है।

2. स्वामित्व विवाद- भूमि के अस्पष्ट या गैर-दर्ज रिकॉर्ड के कारण संघर्ष है।

3. औद्योगीकरण और शहरीकरण-विकास के लिए भूमि अधिग्रहण और विस्थापन हुआ है।

4. औपनिवेशिक प्रभाव- कई देशों में औपनिवेशिक शासन ने भूमि असमानता को बढ़ाया।

भारत के विभिन्न राज्यों में भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए पिछले कुछ सालों में राजस्व विभाग और अन्य संस्थाओं द्वारा कई नवाचार अपनाए गए हैं। ये नवाचार तकनीक, कानूनी सुधार, और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण पर केंद्रित हैं। आज आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस का बहु आयामीय इस्तेमाल हो रहा है। भूमि सुधार से संबंधित विवादों के निवारण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है, जो प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बना सकता है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां AI सहायक हो सकता है।

दस्तावेजों का विश्लेषण और डिजिटाइजेशन–

भूमि विवादों में अक्सर पुराने दस्तावेज, जैसे जमीन के पट्टे, रजिस्ट्री, नक्शे आदि शामिल होते हैं। AI आधारित टूल्स, जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP), इन दस्तावेजों को डिजिटाइज़ कर सकते हैं और उनमें मौजूद जानकारी को व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। इससे गलतियों और धोखाधड़ी की संभावना कम हो सकती है।

विवादों की पहचान और वर्गीकरण–

AI मॉडल बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करके विवादों के पैटर्न की पहचान कर सकता है, जैसे कि सीमा विवाद, स्वामित्व का दावा, या अवैध कब्जा। यह विभिन्न मामलों को उनकी जटिलता और प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है, जिससे प्रशासन को प्राथमिकता तय करने में मदद मिलेगी।

भूमि रिकॉर्ड का स्वचालित सत्यापन–

ब्लॉकचेन के साथ मिलकर AI भूमि रिकॉर्ड की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं हुई है और विवादों के मूल कारणों को हल करने में पारदर्शिता आएगी।

मानचित्रण और सर्वेक्षण में सहायता–

AI ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के साथ मिलकर, भूमि के सटीक मानचित्रण और सर्वेक्षण में मदद कर सकता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम छवियों का विश्लेषण करके सीमाओं को निर्धारित कर सकते हैं, जिससे सीमा विवादों को सुलझाने में आसानी होगी।

कानूनी सहायता और निर्णय समर्थन–

AI आधारित सिस्टम पिछले भूमि विवादों के फैसलों, कानूनी मिसालों और प्रासंगिक कानूनों का विश्लेषण करके अधिकारियों और वकीलों को सुझाव दे सकता है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज और तर्कसंगत बना सकता है।

मध्यस्थता और भविष्यवाणी–

AI मॉडल डेटा के आधार पर यह अनुमान लगा सकता है कि कोई विवाद कितना जटिल हो सकता है या इसका समाधान कितने समय में संभव है। इसके अलावा, चैटबॉट्स या वर्चुअल असिस्टेंट मध्यस्थता प्रक्रिया में पक्षों को मार्गदर्शन दे सकते हैं।

धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर नजर–

AI असामान्य पैटर्न (जैसे बार–बार स्वामित्व परिवर्तन या फर्जी दस्तावेज) का पता लगा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। आगे भारत के राज्य–विशेष और सामान्य स्तर पर इन प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया गया है–

1. डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्र्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) –

केंद्र सरकार की यह योजना 2008 में शुरू हुई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे तेजी से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना और पारदर्शिता लाना है। इसके माध्यम से सभी राज्यों में भू–अभिलेखों का डिजिटाइजेशन, जैसे जमाबंदी, खसरा–खतौनी, और भू–नक्शा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है–

तेलंगाना–धरनी पोर्टल के जरिए भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया गया। इससे स्वामित्व विवादों में कमी आई और लोग घर बैठे रिकॉर्ड देख सकते हैं।

बिहार–बिहार भूमि पोर्टल पर जमाबंदी और म्यूटेशन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की गई। 2023 तक 534 अंचलों के रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश–''भूलेख'' पोर्टल के जरिए रिकॉर्ड डिजिटाइज किए गए, जिससे सीमा विवाद कम हुए।

2. ड्रोन और GIS तकनीक का उपयोग

ड्रोन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) से भूमि की मैपिंग और सर्वेक्षण। इससे सटीक सीमा निर्धारण से विवादों में कमी आई है। प्रमुख उदहारण निम्नांकित है।

हरियाणा और अन्य राज्य–

केंद्र की ''स्वामित्व योजना'' (2020 से) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से सम्पत्ति मैपिंग की गई। इससे 2023 तक 1.5 लाख गांवों में स्वामित्व कार्ड जारी हुए।

छत्तीसगढ़–2024 में जियो–रेफरेंसिंग तकनीक को मंजूरी दी गई, साथ ही राजस्व प्रशासन के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

महाराष्ट्र–''ई–मोजणी'' प्रोजेक्ट में ड्रोन से भूमि मापन तेज हुआ।

3. ऑनलाइन म्यूटेशन और शिकायत निवारण–

म्यूटेशन (नामांतरकरण) और विवाद निवारण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरम्भ किया गया है। इससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई, भ्रष्टाचार में कमी आई है। इसके प्रमुख

उदाहरण निम्नांकित हैं –

झारखंड-झारभूलगान पोर्टल पर ऑनलाइन म्यूटेशन और भुगतान की सुविधा दी गई है।

कर्नाटक-''भू-रक्षा प्रोजेक्ट'' के तहत डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की गई है।

राजस्थान-''अपना खाता'' पोर्टल पर रिकॉर्ड और म्यूटेशन प्रक्रिया उपलब्ध करवाई गई है।

4. विशेष कानून और ट्रिब्यूनल-

यह भूमि विवादों के लिए विशेष कानून और समर्पित न्यायाधिकरण है। इससे कोर्ट का बोझ कम हुआ है और तेज निपटारा संभव हो पाया है। प्रमुख उदहारण निम्नांकित हैं-

बिहार- बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 और बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 लागू किए गए। इससे स्थानीय स्तर पर सफलतापूर्वक विवाद सुलझ रहे हैं।

आंध्र प्रदेश-लैंड टाइटलिंग एक्ट, 2022 लागू किया गया, जो स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए एक मॉडल कानून है।

5. लोक अदालत और मध्यस्थता-

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के तहत लोक अदालत और मध्यस्थता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें छोटे विवाद कोर्ट से बाहर सुलझ रहे हैं। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नांकित हैं-

पंजाब और हरियाणा-यहां नियमित रूप से आयोजित होने वाली लोक अदालतों में भूमि मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है।

मध्य प्रदेश-ग्राम स्तर पर पंचायतों को विवाद निपटाने के लिए प्रशिक्षण और अधिकार दिए गए हैं।

6. आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI) और डेटा विश्लेषण-

आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस आज के समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समस्या समाधान में इसका उपयोग बहुआयामी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का भूमि सुधार में भी अग्रलिखित तरीके से उपयोग संभव है-

पुराने रिकॉर्ड का विश्लेषण और विवाद की पहचान-

भूमि विवाद से जुड़े मामलों में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग एक प्रभावी और आधुनिक समाधान हो सकता है। AI तकनीक डेटा विश्लेषण, पैटर्न

पहचान, स्वचालित प्रक्रियाएं, और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करके भूमि विवादों को कम करने और उनके समाधान को तेज करने में मदद कर सकती है। भारत और अन्य देशों में इस क्षेत्र में कई नवाचार हो रहे हैं। नीचे इसका विस्तार से विवरण दिया गया है–

1. डिजिटल रिकॉर्ड विश्लेषण और त्रुटि सुधार–

- AI पुराने और असंगठित भूमि रिकॉर्ड्स का विश्लेषण कर त्रुटियां ढूंढ सकता है, जैसे डुप्लिकेट एंट्री, गलत सीमा, या स्वामित्व में विरोधाभास।
- मशीन लर्निंग मॉडल ऐतिहासिक डेटा से पैटर्न सीखकर स्वामित्व के दावों को सत्यापित कर सकते हैं।

2. सटीक मैपिंग और सर्वे–

- AI ड्रोन और GIS (Geographic Information System) के साथ मिलकर सटीक भू–नक्शे बना सकता है, जिससे सीमा विवाद कम हो सकते हैं।
- छवि पहचान (Image Recognition) तकनीक से भूमि उपयोग और अतिक्रमण का पता लगाया जा सकता है।

3. विवाद भविष्यवाणी और रोकथाम–

- AI ऐतिहासिक विवाद डेटा का विश्लेषण कर यह अनुमान लगा सकता है कि किन क्षेत्रों में भविष्य में विवाद होने की संभावना है, जिससे पहले ही निवारक कदम उठाए जा सकते हैं।

4. स्वचालित मध्यस्थता और निर्णय सहायता–

- AI आधारित चैटबॉट्स या सिस्टम छोटे विवादों में मध्यस्थता कर सकते हैं, पक्षों को कानूनी विकल्प सुझा सकते हैं।
- जजों और राजस्व अधिकारियों के लिए AI निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support System) बना सकता है, जो डेटा–आधारित सुझाव देती है।

5. केस मैनेजमेंट और ट्रैकिंग–

- AI केस प्रबंधन को स्वचालित कर सकता है, लंबित मामलों की प्राथमिकता तय कर सकता है, और समयबद्ध निपटारे में मदद कर सकता है।

भारत में AI का उपयोग और हाल के विकास–

भारत में भूमि विवाद समाधान के लिए AI का उपयोग अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन कई परियोजनाएं और तकनीकी नवाचार इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ उदाहरण

से इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है –

1. डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) –

यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें अब AI का उपयोग भी रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन और त्रुटि पहचान के लिए शुरू किया जा रहा है। तेलंगाना में धरनी पोर्टल में AI आधारित डेटा एनालिटिक्स का उपयोग स्वामित्व विवादों की पहचान और समाधान के लिए किया जा रहा है। कर्नाटक में ''भू-रक्षा'' प्रोजेक्ट में AI से पुराने रिकॉर्ड में विसंगतियों को ठीक करने का प्रयास हो रहा है।

2. स्वामित्व योजना–

भारत सरकार द्वारा 2020 में शुरू हुई इस योजना में ड्रोन और AI का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति मैपिंग के लिए किया जा रहा है। AI छवि विश्लेषण से सीमा विवादों को कम करने में मदद मिल रही है। 2023 तक 1.5 लाख गांवों में स्वामित्व कार्ड जारी किए गए, जिसमें AI ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3. न्यायपालिका में AI–

सुप्रीम कोर्ट का 'SUPACE' (Supreme Court Portal for Assistance in Court's Efficiency) पोर्टल कानूनी शोध में AI का उपयोग करता है। इसे भूमि विवादों से जुड़े मामलों के विश्लेषण के लिए भी अनुकूलित करने की योजना है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में AI आधारित टूल्स से केस प्रबंधन में सुधार हो रहा है।

4. प्राइवेट सेक्टर का योगदान–

विभिन्न स्टार्टअप्स जैसे 'GeoIQ' और 'GropIn' AI का उपयोग भूमि डेटा विश्लेषण और मैपिंग के लिए कर रहे हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से विवाद समाधान में सहायक है।

5. इंडिया AI मिशन (2024)–

मार्च 2024 में शुरू हुई इस योजना में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश AI के विकास के लिए किया गया है। इसमें भूमि प्रबंधन और विवाद समाधान को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

अन्य देशों में AI का उपयोग और हाल के विकास–

दुनिया भर में कई देश अब भूमि विवाद समाधान के लिए AI का उपयोग कर रहे हैं। कुछ उल्लेखनीय उदाहरण निम्नलिखित हैं –

1. संयुक्त राज्य अमेरिका–

अमेरिका में Zillow और Redfin ये रियल एस्टेट कम्पनियां AI का उपयोग सम्पत्ति मूल्यांकन और स्वामित्व विवादों की पहचान के लिए करती हैं। मशीन लर्निंग मॉडल ऐतिहासिक डेटा से सीमा विवादों का अनुमान लगाते हैं।

काउंटी लैंड रिकॉर्ड सिस्टम अमेरिका के कई राज्यों में AI आधारित सिस्टम पुराने रिकॉर्ड को डिजिटाइज और सत्यापित कर रहे हैं।

2. केन्या–

केन्या में Land LayBy कम्पनी ब्लॉकचेन और AI का उपयोग कर भूमि स्वामित्व को डिजिटाइज कर रही है। AI विवादित दावों को पहचानता है और मध्यस्थता के लिए सुझाव देता है। यहां ड्रोन मैपिंग से ग्रामीण क्षेत्रों में AI और ड्रोन से सटीक सर्वे हो रहे हैं, जिससे सीमा विवाद कम हुए।

3. ऑस्ट्रेलिया–

ऑस्ट्रेलिया में Land Registry Service में AI का उपयोग रजिस्ट्री डेटा को साफ करने और स्वामित्व विवादों को हल करने के लिए किया जा रहा है। "Smart Property" प्रोजेक्ट में AI आधारित मैपिंग यहां आम बात है। CSIRO संस्थान AI से भूमि उपयोग पैटर्न का विश्लेषण कर विवादों की भविष्यवाणी करता है।

4. चीन

चीन में Smart Land Management द्वारा AI और सैटेलाइट इमेजरी से भूमि उपयोग और अतिक्रमण पर नजर रखी जाती है। बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण से विवादों का तेजी से समाधान हो रहा है। यहां कुछ प्रांतों में AI आधारित ऑनलाइन कोर्ट छोटे भूमि विवादों को निपटा रहे हैं।

5. यूरोपीय संघ (EU) -

यूरोप में Land Sense प्रोजेक्ट AI और नागरिक डेटा (Crowd Sourcing) का उपयोग कर भूमि विवादों को मॉनिटर और हल करता है। नीदरलैंड्स में AI से पुराने कागजात स्कैन और डिजिटाइज किए जा रहे हैं, जिससे स्वामित्व स्पष्ट हो रहा है।

भारत एवं अन्य देशों में चुनौतियां -

1. डेटा की कमी है–

राजस्थान सहित भारत के सभी राज्यों में पुराने रिकॉर्ड अधूरे हैं, उनको नियमित तौर पर

अद्यतन नहीं किया गया है जिससे AI मॉडल को प्रशिक्षित करना मुश्किल है। अन्य देशों में भी यह समस्या कुछ हद तक है।

2. निजता–

AI के लिए बड़े डेटा की जरूरत होती है, जिससे निजता का मुद्दा उठता है। अधिकतर सूचनाएं ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाने में अनेक कानूनी चुनौतियां उत्पन्न होती है।

3. प्रशिक्षित कर्मचारी–

AI को लागू करने के लिए कुशल मानव संसाधन की कमी भारत में एक बड़ी चुनौती है। अभी देश में कम्प्यूटर पर काम करने वाले दक्ष कर्मचारियों की कमी है, ऐसे में AI पर कुशलतापूर्वक काम करने वाले लोगों की भारी कमी है।

4. कानूनी मान्यता–

AI आधारित समाधानों को कानूनी रूप से मान्य करना अभी जटिल है। इस हेतु देश के कानून में एआई को मान्यता प्रदान करना आवश्यक है।

संभावित भविष्य और सुझाव–

- **ब्लॉकचेन के साथ AI-** भारत में गुजरात जैसे राज्य ब्लॉकचेन और AI का संयोजन आजमा रहे हैं। यह स्वामित्व को अपरिवर्तनीय बना सकता है।
- **AI संचालित लोक अदालत**– छोटे विवादों के लिए AI आधारित ऑनलाइन मंच बनाया जा सकता है।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग**– भारत को केन्या और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से तकनीक और अनुभव साझा करना चाहिए। इन देशों में AI के आधार पर भूमि विवादों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा रहा है।
- **जागरूकता**– ग्रामीण क्षेत्रों में AI के लाभों को समझाने के लिए अभियान चलाने चाहिए। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों में AI के प्रति जागरूकता लाने हेतु ग्रामीणजन की भागीदारी दर्ज करवानी चाहिए।

निष्कर्षः–

AI भूमि विवाद समाधान में क्रांति ला सकता है, खासकर भारत जैसे देश में जहां लाखों मामले लंबित हैं। भारत में स्वामित्व योजना और DILRMP जैसे प्रयास सही दिशा में कदम हैं, जबकि अन्य देशों जैसे अमेरिका, केन्या, और चीन में AI का उपयोग प्रेरणा देता है। तकनीक, प्रशिक्षण, और कानूनी ढांचे के समन्वय से AI इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। AI से

जटिल मामलों का तेजी से समाधान हो रहा है। कर्नाटक में AI आधारित टूल्स से भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियां सुधारी जा रही हैं। तेलंगाना में डेटा एनालिटिक्स से स्वामित्व विवादों की पहचान और समाधान किया जा रहा है। उत्तराखंड में भू-कानून सुधार के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में डिजिटल सर्वे शुरू किया गया है। गुजरात में ''लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम'' में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग शुरू हुआ है। ओडिशा में ''वसुंधरा'' योजना के तहत भूमिहीनों को पट्टा वितरण और रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम आरंभ हुआ है। पिछले कुछ सालों में भारत के विभिन्न राज्यों के राजस्व विभाग ने डिजिटाइजेशन, ड्रोन सर्वे, और कानूनी सुधारों के जरिए भूमि विवाद समाधान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तेलंगाना, बिहार, और हरियाणा जैसे राज्य इस दिशा में अग्रणी हैं। राजस्थान में भी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। इन नवाचारों से पारदर्शिता बढ़ी है, साथ ही AI के उपयोग से प्रक्रिया तेज हुई है, और कोर्ट का बोझ कम हुआ है। हालांकि, अभी भी ग्रामीण पहुंच और जागरूकता बढ़ाने की अभी जरूरत है। साथ ही भूमि विवादों के समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निवेश की आवश्यकता है।

□□□

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु नवाचारः मिलने लगे सार्थक परिणाम

पवन कुमार शर्मा
सहायक निदेशक, राजस्व मंडल अजमेर

काश्तकार समुदाय को हरसंभव राहत प्रदान कर उन्हें विविध संसाधनों से आत्मनिर्भरता प्रदान करने को लेकर राजस्थान में विविध कल्याणकारी योजनाओं के श्रेष्ठ संचालन से राज्य में विकास के नये सोपान स्थापित हुए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की सर्वकल्याणकारी सोच के अनुरूप राजस्थान राज्य में जहां कृषक समुदाय को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में समग्र प्रयास किये गए हैं वहीं किसान की सबसे बड़ी पूंजी जमीन के हक को सुरक्षित बनाये रखने के लिये भूमि संबंधित विवादों के त्वरित निस्तारण एवं राहत को लेकर राजस्थान सरकार अत्यंत गंभीर होकर कार्य कर रही है।

राजस्थान में राजस्व मंडल राजस्व की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में कार्यरत है वहीं संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील अधिकारी, जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलक्टर, सहायक कलक्टर-फास्ट ट्रैक, तहसीलदार व नायब तहसीलदार आदि अधीनस्थ राजस्व न्यायालय राज्य के नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजस्थान के राजस्व न्यायालयों के माध्यम से लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर राजस्व मंडल ने कई नवाचार आधारित कदम उठाए हैं ताकि आम जन को समय पर न्याय मिल सके।

मंडल में सबसे पुराने मुकदमों के निपटारे के लिए 15 सबसे पुराने प्रकरणों की अनिवार्य सुनवाई की व्यवस्था गई है। परिणामस्वस्वरूप लंबित पुराने प्रकरणों की संख्या में कमी आने के साथ ही केस प्रबंधन में भी तेजी से सुधार आने लगा है।

मंडल में एक अप्रेल 2024 से 31 अगस्त 2024 के 5 माह में कुल निस्तारित केस में से वर्ष 2010 तक के निस्तारित केस का प्रतिशत 11.54 फीसदी रहा। इस महत्वपूर्ण कदम से 1 सितम्बर 2024 से 31 मार्च, 2025 को समाप्त 7 माह की अवधि में कुल निस्तारित केस में से वर्ष

2010 तक निस्तारित प्रकरणों का प्रतिशत बढ़कर 23.38 हो गया।

न्यायिक कार्य के लिए दो पारी की शुरुआत

न्यायालय की कार्यकुशलता बढ़ाने एवं अधिकाधिक प्रकरणों की सुनवाई करने को लेकर राजस्व मंडल में दो पारीय समय में न्यायिक कार्य किये जाने का निर्णय किया गया है। इसमें जहां पूर्व में 11 से 2 बजे केस की सुनवाई होती थी वहां अब प्रतिदिन सुबह 10.30 से दोपहर 2 बजे तक तथा अपराह्न 3 से 4.30 बजे तक सुनवाई होती है। परिणामत: उसी मानवीय संसाधन में मामलों के निस्तारण प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि होकर पूर्व के प्रतिमाह 442 प्रकरण के औसत निस्तारण से बढकर अब औसतन 718 प्रकरण प्रतिमाह निस्तारण किया जाना संभव हो रहा है।

पत्रावलियों की त्वरित पूर्ति के लिए कलक्टर्स को डीओ

सरकार से संबंधित मामलों में दक्षता में सुधार एवं पत्रावलियों की पूर्ति को लेकर लेकर मंडल ने प्रभावी कदम उठाये हैं। मंडल में जहाँ सरकार पक्षकार हैं वर्तमान में कुल ऐसे 19032 प्रकरण लंबित है। इनमें से 10815 प्रकरणों में सरकार Appellant है एवं 8217 प्रकरणों में सरकार Respondant है। जिन केसों में सरकार Appellant है उनमें नोटिस में 4292, मिसल में 2163 एवं नोटिस मिसल के 2488 प्रकरण लंबित हैं।

इन प्रकरणों में सभी कलेक्टरों को अर्द्धशासकीय पत्र जारी किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय यथा -RAA, SDO एवं तहसील से अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा मण्डल में आकर अपूर्ण नोटिस व रिकॉर्ड की पत्रावलियों को पूर्ण किया जा सकेगा वहीं सरकार के विरूद्ध फैसला पारित होने पर अविलम्ब संबंधित न्यायालय में निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत किया जाना भी संभव होगा।

राजस्व न्यायालय होंगे पेपरलेस

सभी राजस्व न्यायालयों में एकरूपता लाने और पेपरलेस प्रक्रिया को लागू करने के लिए आगामी 5 वर्षों में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर राजस्व न्यायालयों को उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। जिसे वाद प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण हो सकेगा।

इसके लिये एनआईसी जयपुर के स्तर से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है जिसके एमओयू पर एनआईसी, निक्सी एवं मण्डल के अधिकारियों के हस्ताक्षर संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। प्रथम चरण में उन अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में सॉफ्टवेयर को लागू किया जाना प्रस्तावित है जहां पर कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध है। इस महती योजना से आमजन के लिए

राजस्व न्यायालय प्रक्रिया में पारदर्शिता और भौतिक फाइलों पर निर्भरता में अपेक्षित कमी आयेगी और समय की बचत होगी।

राजस्व मंडल द्वारा उठाए गए ये नवाचारी कदम डिजिटलीकरण, प्राथमिकता निर्धारण, और प्रक्रियात्मक सुधार के माध्यम से राजस्व मामलों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। ये प्रयास न केवल न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करेंगे बल्कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भू राजस्व सेवाओं को भी मजबूती प्रदान करेंगे। राजस्व मंडल न केवल एक आदर्श संस्था के रूप में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर रहा है बल्कि एक प्रगतिशील और नागरिक-केंद्रित प्रशासन का उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। निश्चय ही मंडल के यह नवाचारी कदम माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन, आम जन को त्वरित एवं सुगम न्याय की कल्याणकारी सोच के अनुरूप परिणति से राजस्थान को समूचे देश में विशिष्ट पहचान दिलायेंगे।

□□□

विकास एवं लोक कल्याण का सुनहरा अध्याय बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर

समस्याओं का हुआ त्वरित समाधान, गांव-गरीब तक पहुंचा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

पवन कुमार शर्मा
सहायक निदेशक, राजस्व मंडल अजमेर

चाहे लोक कल्याण का विषय हो या सतत विकास का, राजस्थान अपनी बेहतरीन नीतियों एवं नवाचार आधारित कार्यक्रमों के जरिये देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की पहल पर राज्य भर के पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत लोक कल्याणकारी शिविरों के माध्यम से आम जन को बड़ी राहत प्रदान की गई है। राज्य की आम जनता को उन्हीं के बीच पहुंचकर एक ही छत के नीचे सभी विभागों की सेवाएं प्रदान करते हुए तुरंत राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक आयोजित शिविरों के माध्यम से बड़ी तादाद में आम जन को राहत पहुंचाई गई है। इन शिविरों से जहां प्रदेश के विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों एवं आवेदनों का बड़ी मात्रा में निस्तारण किया जाना संभव हुआ वहीं विभिन्न विभागों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ बड़ी तादाद में आम जनता तक पहुंचाया जाना संभव हो पाया है।

राजस्थान में 'लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय' की भावना से यह पखवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच, संवेदनशीलता और जनसेवा की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर सामने आया। मुख्यमंत्रीजी ने स्वयं इस मुहिम के दौरान बालोतरा, जोधपुर, कोटा, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, चूरू, बीकानेर, और सवाईमाधोपुर जैसे जिलों में शिविरों का दौरा कर लोगों को जागरूक किया और योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया।

जमीनों के प्रकरणों का धरातल पर हुआ समाधान-

कृषि आधारित बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य राजस्थान के गांवों में लंबित राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान निकालते हुए किसान, मजदूर और जरूरतमंद व्यक्तियों को व्यापक स्तर पर राहत पहुंचाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार ने पखवाड़े के अंतर्गत राजस्व विभाग को नोडल विभाग का दायित्व सौपा गया। शिविरों के सफल आयोजन से विविध प्रकार के आवेदनों का निस्तारण कर काश्तकार समुदाय को बड़े स्तर पर राहत प्रदान की गई। राजस्व विभाग की ओर से सीमा ज्ञान के 7716, पत्थरगढ़ी के 8414, रास्ता खुलवाने के 31848, आपसी सहमति से भूमि विभाजन के 26858 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 7741 प्रकरणों में कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई वहीं राजस्थान सरकार की ताजा बजट घोषणा के अनुरूप 1073 भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार किए गए। विभाग की ओर से 1 लाख 32 हजार से अधिक नामांतरण खोले गये 79 भू उपयोग संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से चयनित 34267 बीपीएल परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन किया गया। योजना के द्वितीय चरण के सर्वे के तहत 64758 ग्रामीण परिवारों का सर्वे किया गया। विभाग की ओर से 11084 परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया, स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ग्रामीण शौचालय हेतु 12301 आवेदन प्राप्त किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 52821 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु 21786 आवासीय पट्टे हेतु 6267, रसोई गैस कनेक्शन हेतु 2500, विद्युत कनेक्शन के लिए 2386, पानी के कनेक्शन के लिए 2521, आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु 5988 खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 15472 आवेदन भरवाये गए।

निर्बाध विद्युत-जल आपूर्ति को मिली गति-

गांव ढाणी से लेकर कस्बे तक पर्याप्त बिजली-पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में पखवाड़े के दौरान ऊर्जा विभाग ने 55 हजार 437 झूलते बिजली तारों को दुरुस्त किया। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 43 हजार 493 नए नल कनेक्शन जारी कर और 15 हजार 869 पानी की टंकियों की सफाई कर ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की। इस दौरान वन विभाग ने 1 करोड़ 92 लाख 17 हजार से अधिक पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बने 'एक पेड़ मां

के नाम' अभियान को गति प्रदान की। कृषि विभाग द्वारा 1 लाख 91 हजार 197 मृदा स्वास्थ्य कार्ड्स का वितरण किया गया।

पंचायती राज विभाग के माध्यम से पखवाड़ा अवधि में 161696 स्वामित्व कार्ड एवं पट्टे तैयार कराये जाकर 143202 कार्ड एवं पट्टों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत 10 हजार 336 कार्य पूर्ण करवाये गए जबकि 7105 मरम्मत कार्य स्वीकृत किये गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई एवं मनरेगा योजनांतर्गत 31992 कार्य पूर्ण कराये गए, 1609 अटल ज्ञान सेवा केन्द्रों की स्वीकृतियां जारी की गई वहीं 5641 नवीन केंद्रों के लिये निविदाएं जारी की जाकर 1485 अटल प्रेरकों का चयन किया गया।

खाद्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 188279 प्रकरणों का निस्तारण किया गया इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 195270 पेंशनर्स का सत्यापन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 48019 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8780 यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, 235501 प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड वितरित किये गए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत 79577 व्यक्तियों का पंजीयन किया गया, 736721 जनों की क्षय रोग के लिए स्क्रीनिंग की गई वहीं 18553 क्षय रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरित किये गये। इस अवधि में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य व प्रसव पूर्व देखभाल कार्यक्रम के तहत 83991 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई व 70278 बच्चों का टीकाकरण किया गया। शिक्षा विभाग के माध्यम से 31 लाख 12 हजार से अधिक विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। इस दौरान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 17 हजार 938 स्कूटी हेतु ई-वाउचर जारी किए गए तथा 12 हजार 50 स्कूटियों का वितरण किया गया।

पशुपालन विभाग की ओर से 23 लाख 21 हजार से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा 327 जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत की गई। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से 350 आवासीय विद्यालय व छात्रावास भवनों की मरम्मत करायी गई। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 13 लाख 70 हजार से अधिक का वृक्षारोपण करवाया गया।

निश्चय ही यह पखवाड़ा राजस्थान सरकार की 'आपणो अग्रणी राजस्थान' की संकल्पना

को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्रीजी के व्यक्तिगत निरीक्षण और मार्गदर्शन ने इस अभियान को न केवल प्रभावी बनाया, बल्कि ग्रामीणों में विश्वास भी जगाया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। इन शिविरों में गरीब, मजदूर, महिला, युवा सहित सभी वर्गों की समस्याओं के समाधान ने अंत्योदय और सुराज संकल्प को सिद्धि की ओर बढ़ाया है। कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से छूट न जाए-यह संकल्प अब धरातल पर साकार हो रहा है।

□□□

पत्रिका विवरण

1. नाम	-	रविरा त्रैमासिक अंक-131
2. आकार	-	रविरा 6.2 × 9.2
3. मुद्रित प्रतियाँ	-	8200
4. प्रयुक्त कागज	-	(क) कवर कार्डशीट्स 300 जी.एस.एम
		(ख) रंगीन पृष्ठ 110 जी.एस.एम
		(ग) साधारण कागज (मेपलिथो)
		80 से 90 जी.एस.एम
5. प्रकाशक	-	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
6. मुद्रक	-	राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर
7. कवर पेज	-	4 पृष्ठ
8. रंगीन पृष्ठ	-	12 पृष्ठ
9. साधारण पृष्ठ	-	164 पृष्ठ

भू-अभिलेखों एवं नक्शों में हुई लिपिकीय अशुद्धियों एवं रिकॉर्ड में हुई गलतियों को शुद्ध (सही) करने के प्रावधान एवं शुद्ध करने की प्रक्रिया

शंकर लाल बलाई
RAS (रि.)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 125 (विलोपित) एवं धारा 136 (अब संशोधित) का भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सही रूप से प्रयोग नहीं किया गया। फलस्वरूप इस प्रकार के मामले सामने आये कि सिवाय चक, चारागाह आदि भूमि पर अवैध रूप से खातेदारी अधिकार भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रदान कर मिसल बन्दोबस्त में इस प्रकार के इन्द्राज कर दिये गये। मिसल बन्दोबस्त के आधार पर नई जमाबन्दी तहरीर की गई तो राजस्व विभाग के पास इन गलत इन्द्राजात को जैसे का वैसा भरे जाने अर्थात् रिपीट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 125 को विलोपित एवं धारा 136 को संशोधित करके किया गया। अत: अब राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के माध्यम से लिपिकीय एवं अन्य छोटी-मोटी त्रुटियों को उपखण्ड अधिकारी (जिन्हें जिला भू-अभिलेख अधिकारी) की शक्तियां प्राप्त है, के द्वारा शुद्ध किया जा सकेगा। इस कार्यवाही में राजकीय हितों को सुरक्षा हेतु जहां आवश्यक हो तहसीलदार (Land Holder) को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के उद्देश्य के तहत संक्षिप्त कार्यवाही का प्रावधान है और पक्षकारों के लिए एक प्रपत्र-7ए निर्धारित किया गया है।

जमाबंदी (अधिकार अभिलेख) एवं नामान्तकरण से जमाबंदी में अंकन करते समय में लिपिकीय त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 166 के तहत प्रपत्र पटवारी P 27 के माध्यम से सही किया जा सकता है, इसमें पक्षकारों को सुनने की आवश्यकता नहीं होती है।

राजस्व ग्रामों के नक्शों में शुद्धि एवं आदिनांक रखने के लिए राजस्थान भू-अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 59 से 62 में बताई गई प्रक्रिया से ठीक किया जा सकता है।

इस प्रकार जमाबंदी में लिपिक गलतियों को शुद्ध करने के लिए नियम 166 के तहत P 27 के माध्यम से एवं राजस्व नक्शों में संशोधन व आदिनांक के लिए नियम 59 से 62 तक एवं अन्य भू-राजस्व अभिलेखों भू-अभिलखों में हुई गलतियों को शुद्ध करने के लिए धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई की जाकर उनकी

सहमति हो जाने पर गलतियों की शुद्धि की जा सकती है।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र व प्रावधान निम्न प्रकार हैं:-

भू-अभिलेख (रिकॉर्ड) में लिपिकीय अशुद्धियों को शुद्ध करने के क्रम में जारी परिपत्र

क्र.सं.	विभाग का नाम	परिपत्र क्रमांक	दिनांक	विषय	संक्षिप्त विवरण
1.	राजस्व मण्डल अजमेर	F-12 (183) रेव./बी/56	17.09.1956	उपखण्ड अधिकारी अधिकार	भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 132 और 136 के अधिकार संबंधित उपखण्ड अधिकारी को दिये गये
2.	राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर	प. 6 (12) राज/6/92/26	20.12.1995	राज. भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन)	राज. भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) अधि. 1995 के तहत धारा 123 व 125 को विलोपित किया गया और धारा 136 को प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें धारा 136 के तहत की जाने वाली शुद्धियों की व्यवस्था दी गई।
3.	राजस्व (G-6) जयपुर	प. 5 (8) राज/4/83/ राज-6/16	01.11.1996	काश्तकारों के जाति नाम को सही करने	राजस्व अभिलेख में काश्तकारों के जाति नाम गलत इन्द्राज होने की दशा में उपखण्ड अधिकारी को अधिकार दिये गये (जैसे चमार से मेघवाल)
4.	राजस्व ग्रुप-6 जयपुर	प. 6 (12) राज/6/92/11	24.04.1997	धारा-136 के अधिकार भू-प्रबंध विभाग को देने	राज. भू-राजस्व सर्वेक्षण अभिलेख और बन्दोबस्त, (सरकारी) नियम, 1957 में संशोधन कर नियम 26 के पश्चात् 26-क जोड़ा जायेगा धारा 136 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम।

5.	राजस्व (G-6) जयपुर	प. 10 (1) 94/93	12.10.1999	शुद्धिपत्र पर निर्णय	शुद्धिपत्र पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/नायब तहसीलदार को एक मास के भीतर-भीतर आदेश देने चाहिए।
6.	राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर	प. 4 (1) राज/6/ 2002/19	18.06.2007 –	राजस्व अभिलेखों में काश्तकारों का नाम सम्मानजनक लिखना	राजस्व अभिलेखों में काश्तकारों का नाम सम्मान जनक लिखने के क्रम में (जैसे-मांग्या के बजाय मांगीलाल) (पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 26.12.1995, 01.11.1996 एवं 30.04.2003)
7.	राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर	प. 9 (225) राज/6/07/ 38	20.11.2007	भू-प्रबंध के दौरान अवैध रूप से दर्ज गैर खातेदार को हटाने बाबत्।	भू-प्रबन्ध के दौरान बिना आधार के गैर खातेदार दर्ज हो गये, उन्हें धारा 136 के तहत हटाये जाने बाबत्।
8.	राजस्व (G-6) जयपुर	प. 15 (1) राज-6/11/2	31.01.2012	गलत इन्द्राज को शुद्ध करना	SC/ST भूमि एवं अन्य लोगों की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज को दुरुस्त करने हेतु कैम्प लगाकर निपटाना।
9.	राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर	प. 9 (112) राज. 6/2012/3	11.01.2013	IAS, RAS (UT) को धारा 136 के अधिकार	प्रशासन गांवों के संग 2013 के अभियान में IAS एवं RAS को दिनांक 10.01.2013 से 28.02.2013 तक के लिए धारा 136 के अधिकार दिये गये।

10.	राजस्व ग्रुप-6 जयपुर	प. 6 (1) राज-6/ 2014 पार्ट 1/28	01.08.2016	धारा 136 अधिकार अपने क्षेत्र में तहसील-दारों को	LR Act की धारा 136 के अधिकार तहसीलदारों को दिनांक 30.09.2016 तक दिये गये
11.	राजस्व (G-6) जयपुर	प. 6 (1) राज-6/2014 पार्ट 1/28	09.06.2017	LR Act की धारा 136 के अधिकारों का प्रत्यायोजन	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक/20 दिनांक 09.06. 2017 से धारा 136 के अधिकार राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 136 के अधिकार एवं कर्त्तव्य के अधिकार समस्त तहसीलदारों को अपने क्षेत्र में प्रदत्त किये।
12.	राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर	प. 6 (1) राज-6/2014 पार्ट 1/20	09.06.2017	धारा 136 के अधिकार तहसीलदार को देने	LR Act की धारा 136 के अधिकार तहसीलदारों को दिनांक 31.07.2017 तक प्रदान दिये गये।
13.	राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर	प. 4 (1) राज/6/ 2022	23.12.2020	काश्तकारों के जाति, नाम की शुद्धि करने	काश्तकारों के भू-अभिलेख में जाति नाम गलत इन्द्राज होने से धारा 136 के तहत नोटिस देकर शुद्धि किया जा सकता है।
14.	राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर	प. 4 (1) राज-6/ 2002/37	15.04.2021	पूर्बिया राजपूत जाति को शुद्ध करने बाबत्	राजपूत जाति के साथ पूर्बिया राजपूत/पूरबिया राजपूत को शुद्ध कर राजपूत अंकित करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी को दिये गये।

15.	राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर	प. 4 (1) राज-6/ 2002/45	10.06.2021	जाति-शुद्ध करने बाबत्	राजस्व अभिलेख में काश्तकारों के जातिनाम गलत इन्द्राज होने की दशा में उपखण्ड अधिकारी जांच कर रिकॉर्ड शुद्ध (दुरुस्त) कर सकते हैं।
16.	राजस्व (G-6) जयपुर	प. 3 (17) राज-6/ 2021/88	30.09.2021	IAS (VT) व RAS को अधिकार बाबत्	प्रशिक्षु IAS एवं RAS अधिकारी जिन्हें प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में शिविर प्रभारी लगाया है, इन्हें धारा 136 के अधिकार दिये गये।
17.	राजस्व (G-6) जयपुर	प. 3 (17) 6/2021/93	01.10.2021	भू-अभिलेख अधिकारी का आशय	भू-अभिलेख अधिकारी अर्थात् ''कलक्टर'' को अभिव्यक्ति ''उपखण्ड अधिकारी'' से प्रतिस्थापित की जाती है।

1. राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957

नियम 31 अभिलेख में परिवर्तन (रिकॉर्ड में तरमीम)

पटवारी को किसी भी रिकॉर्ड में कोई इन्द्राज मिटाने पर मनाही है। जब कभी गलत इन्द्राजात का पता लगे तो उसके काटने वाला अधिकारी यहाँ अपना आध्याक्षरित (इनीशियल) करेगा। ऑफिस कानूनगो इन्सपेक्टर या दीगर (अन्य) किसी अफसर द्वारा किये गये तरमीम (परिवर्तन) या रद्दोबदल पटवारी उसी दिन अपनी डायरी में अंकित करेगा। ऐसे रेकॉर्ड की प्रतिलिपियाँ लेने की फीस, जिनका पहले स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उसी दर से ली जायेगी जो खसरा के लिए निर्धारित है। वर्तमान में सरकार ने दिनांक 30.05.2023 से प्रतिलिपियाँ निःशुल्क कर दी है।

<u>व्याख्या</u>

इस नियम को बनाने के उद्देश्य निम्न हैं:-

A. पटवारी द्वारा जो भू-अभिलेख तैयार किया जाता है, उसमें कोई लिपिकीय या सहवन से

लिखते समय अशुद्धि हो गई हो तो पटवारी उसे काटकर शुद्ध नहीं कर सकता है।

B. भू-अभिलेखों में पटवारी से हुई लिपिकीय अशुद्धि को ऑफिस कानूनगो, भू-अभिलेख निरीक्षक या अन्य राजस्व अधिकारी पटवारी द्वारा की गई किसी त्रुटि को काटकर उसकी सही अंकन कर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा।

C. अपने अभिलेख में उच्च अधिकारियों द्वारा की गई तरमीम (संशोधन) में अपनी दैनिक डायरी में अंकित करेगा।

D. अभिलेख में अशुद्धि को काटकर सही अंकन करने के तथ्य की कोई प्रतिलिपि लेना चाहे तो उसे निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।

नियम 59 शुद्धि के लिए नक्शे की नकल :-

खसरा संख्या की हदबन्दी के रद्दोबदल, इस विषय में खासतौर पर दिये गये गाँव के अनुमार्गण (Trace) (रेखाचित्र) पर पटवारी अंकित करेगा। गिरदावरी के समय वह पेन्सिल से ऐसे परिवर्तनों को नोट कर लेगा और इंस्पेक्टर द्वारा ऐसी (शुद्धि) की जांच पूरी हो जाने पर वे परिवर्तन लाल स्याही से अंकित कर दिये जायेंगे। इंस्पेक्टर द्वारा जांच 30 अप्रेल से पूरी कर ली जानी चाहिए।

चौसाला जमाबन्दी के साथ गत चार सालों में नक्शे में हुए सभी परिवर्तनों को ऑफिस कानूनगो और सदर कानूनगो के पास भेज दिया जाएगा जो सभी तरमीमात परिवर्तनों की अपने-अपने दफ्तर के पिछले सेटलमेन्ट के नक्शे में दर्ज करवायेंगे।

जब वह नक्शा जिसमें परिवर्तन किया जाता है, साल दर साल काम में लिये जाने के कारण काम के किये जाने के काबिल नहीं रहे तो इंस्पेक्टर के माध्यम से ऑफिस कानूनगो के पास एक नया नक्शा तैयार किये जाने के लिए उसे भिजवा देगा जिसमें आदिनांक (Up to Date) खेतों की सीमाओं का प्रदर्शन किया जायेगा तथा जो मिट गई हो यानि गायब हो गई हो उन सीमाओं को उनमें नहीं दिखायेगा। पूर्व नियम में निर्दिष्ट नकल में भी इन दुरुस्तियों का इन्द्राज किया जायेगा तथा पटवारी को देने के लिए एक नया नक्शा तैयार किया जायेगा। जब नये नक्शे पर इस बात के प्रमाण में यह जांच लिया गया है तथा उसे सत्यापित (Verified) कर दिया गया है, उस पर इन्सपेक्टर एवं ऑफिस कानूनगो दस्तखत कर दे तो पुराने नक्शे को फाइल कर दिया जायेगा। स्वयं पटवारी को नक्शे की नई नकल तैयार करनी चाहिये और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो वह उसको ऑफिस कानूनगो के पास पेश करेगा जो इस नक्शे की प्रतिलिपि ऐसे पटवारी से जो अनुमार्गण (Trace) करना जानता हो और ऐसे मूल्य पर जिसकी अदायगी सम्बन्धित पटवारी करेगा, तैयार करायेगा।

व्याख्या

1. पटवारी वक्त गिरदावरी (जिन्सवार) के उस राजस्व ग्राम के नक्शे में मौके पर पाये जाने वाले परिवर्तनों को पेन्सिल से राजस्व नक्शे में करेगा।
2. रबी की गिरदावरी (जिन्सवार) के पूर्ण हो जाने के पश्चात् भू.अ. निरीक्षक नियम-59 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पटवारी द्वारा की गई पेन्सिली तरमीम (संशोधनों) को लाल स्याही (सुर्खी) से पुख्ता (पूर्ण) करेगा।
3. नियम-59 के अनुसार तरमीम (संशोधन) केवल राजस्व नक्शे में ही की जा सकती है।
4. जब किसी राजस्व गांव का नक्शा लगातार काम आने व अधिक परिवर्तन होने के कारण काम लायक नहीं रहे तो पटवारी अपने भू-अभिलेख के माध्यम से नया नक्शा बनाने के लिए तहसील ऑफिस कानूनगो के पास रिपोर्ट भिजवा देगा। ऑफिस कानूनगो उक्त नक्शे को नया बनाकर आदिनांक सही करेगा।
5. नियम-59 के अनुसार तैयार नये नक्शे को निरीक्षक भू.अ. एवं ऑफिस कानूनगो अपने हस्ताक्षर कर प्रमाणित करेगा।
6. यदि हल्के का पटवारी अपने ग्रामों के नक्शों की ट्रेसिंग व तरमीम करने में दक्ष नहीं है तो पटवारी ऐसी रिपोर्ट ऑफिस कानूनगो को देगा, जो ऐसे दक्ष पटवारी की तलाश कर उससे यह कार्य पूर्ण करवायेगा और कार्य करने वाले पटवारी को उजरत (मेहनताना) संबंधित पटवारी हल्का से दिलवायेगा।

नियम 60 दुरुस्ती (शुद्धिकरण) (Correction)

1. सभी राजस्व अधिकारीगण ऐसे पटवारियों द्वारा, जिन पर उनका नियंत्रण है, काम में लिये जाने वाले नक्शे के सही होने के उत्तरदायी होंगे।
2. अपने गिरदावरी के प्रत्येक दौरे के समय पटवारी खेतों का एक-एक करके नक्शे से मिलान करेगा और उस पर जरूरी नाप-जोख करने के बाद खेत की हदबन्दी में होने वाले सभी तथा अन्य रद्दोबदलों को नोट करेगा।
3. यदि किसी गांव के नक्शे को दुरुस्त करने के लिए विस्तृत सर्वे कार्यवाही करना जरूरी हो, तो सर्वेक्षण के लिए जरूरी उपकरणों के निमित्त तथा ऐसी मदद के वास्ते जो आवश्यक हो इंस्पेक्टर के पास एक अर्जी भेजेगा। ऐसी अर्जी जरूरत होने पर हर साल 31 अक्टूबर के पहले पेश करनी चाहिए। निरीक्षक को स्वयं पटवारी की मदद करनी चाहिए या उसको पटवारी की सहायता के लिए ऐसे अन्य पटवारी का इंतजाम करना चाहिये, जो कि सर्वे सम्बन्धी काम में निपुण हो।

4. चालू नक्शे में दुरुस्तियां (शुद्धियां) निम्नांकित परिस्थितियों में की जायेगी–

क. नियम 62 में दी गई हिदायतों के अधीन रहते हुए जब कभी भी मालूम होकि कोई खेत दो या दो से ज्यादा खेतों में बांटा गया हो तो प्रत्येक खेत की उसकी मूल संख्या को अंश (न्यूमेटर) (भिन्न के ऊपर वाली संख्या) के रूप में और खण्ड संख्या को हर (डिनोमीनेटर) (भिन्न के नीचे वाली संख्या) के रूप में अलग नम्बर दिया जायेगा। परन्तु यदि ऐसे खेत भोगाधिकार (Tenove) के एक ही किस्म के अन्तर्गत उसी एक व्यक्ति के कब्जे में हो और एक ही पट्टी या खाते में हो तो उनको अलग-अलग नम्बर देने की जरूरत नहीं है, वरन् ऐसी दशा में तो उक्त हिस्सों को केवल बिन्दु रेखाओं द्वारा दिखलाया जाना चाहिये। यदि फंक्शनल नम्बर (भिन्न वाली संख्या) के खेत फिर से वापस इस प्रकार मिल जाये कि जिससे वैसे ही खेत बन जाये जैसा कि अन्तिम सर्वे के वक्त था तो भिन्न वाली संख्याओं को हटा दिया जायेगा तथा पुरानी मूल संख्या (Original Number) फिर से लागू की जायेगी।

ख. यदि बतौर शामलात में धारण की गई किसी खसरा संख्या को किन्हीं साझेदारों (Co-shares) के बीच बांट दिया गया हो।

ग. सौदों (Transactions) के कारण हुए परिवर्तन जिसके कारण नामान्तकरण (Mutation) की आज्ञा दी गई हो हो या दी जानी हो, जैसे कि बंटवारा, बिक्री, कब्जा सहित रहन विनिमय (Exchanges) बख्शीश, भेंट (Gift) या बन्धक मोचन (Redemption) आदि।

घ. नौतोड़ खेती या गैर आबाद खसरा नम्बर के किसी भी हिस्से का स्थायी कब्जा।

ङ. तालाबों, नहरों, सड़कों, कुओं अथवा इमारतों का निर्माण, जिसके कारण किसी खसरा नम्बर की सीमाओं में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया हो।

च. बारानी खेत के किसी हिस्से को सिंचित भूमि के रूप में परिवर्तन जबकि वह परिवर्तन स्थाई प्रकार का हो,

छ. जब मानचित्र में राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता अंकित न हो।

5. निम्नलिखित परिस्थितियों के किसी भी सर्वे नम्बर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

A. किसी शिकमी काश्तकार अथवा हिस्सेदार द्वारा काश्त करने पर।

B. एक ही खेत में विभिन्न फसलों की खेती होने पर, यदि ऐसी विभिन्न प्रकार की काश्त के लिए किसी खेत का अस्थायी रूप से सब-डिवीजन (उप विभाजन) किया गया हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा जाएगा।

C. किसी भी पड़त खेत के नम्बर में, जिस पर हल चलाया गया हो, मगर काश्त नहीं की गई हो।

D. यदि ''आबादी नम्बर'' में सम्मिलित किसी क्षेत्र में तम्बाकू या किसी अन्य फसल की खेती की गई है।

E. 30 अप्रेल तक नक्शे परिवर्तनों को स्थायी रूप से लिख लिया जायेगा या स्याही से अंकित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

व्याख्या

1. यदि पटवारी द्वारा राजस्व ग्राम के नक्शे को सही, सुरक्षित एवं आदिनांक नहीं रखा जा रहा है, तो इस हेतु पटवारी से ऊपर के राजस्व अधिकारी उत्तरदायी हैं। (भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी एवं जिला कलक्टर)।
2. पटवारी जब भी अपने हल्के के किसी राजस्व ग्राम में गिरदावरी (जिन्सवार) पर जाये तब किसी खेत की सीमाओं में हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों को पेन्सिली नोट करेगा।
3. यदि किसी ग्राम के नक्शे में अत्यधिक परिवर्तन हुये हैं, जिसके कारण उस ग्राम में विस्तृत सर्वे की आवश्यकता होने पर पटवारी अपने भू-अभिलेख निरीक्षक को एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें सर्वे यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था करवाई जाकर स्वयं (भू.अ.निरीक्षक) या अन्य दक्ष पटवारी को सर्वे कार्य में सहयोग करने हेतु लगायेगा।
4. पटवारी के पास उपलब्ध चालू नक्शे (Working maps) में निम्न कारणों से शुद्धियाँ की जा सकेगी।

   A. यदि किसी खेत को सहमति से विभाजन या कोर्ट की डिक्री या अन्य कारण से किसी एक खेत को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया गया हो तो उस स्थिति में उस ग्राम की अन्तिम खसरा संख्या से आगे की संख्या अंश व मूल खसरा संख्या को हर के रूप में अंकित करना चाहिये। उदाहरण के लिए-एक संयुक्त खाते में खसरा संख्या 11 का क्षेत्रफल 4.0000 हेक्टर है, इसके दो भाग होने पर उक्त खसरा को काटकर यदि इस ग्राम के आखरी नम्बर 1000 है, तो नये नम्बर 1001/11 व 1002/11 अंकित किया जायेगा।

B : यदि दो खेतों (दो खसरों 30 व 31) का मालिक एक ही खातेदार है और दोनों खसरे सहसीमान्त (Co-Terminus) है, जिसे खातेदार ने दो खसरों को मिलाकर एक खेत बना लिया हो तो नई संख्या 1003/31 व 32 होगी, क्योंकि 1002 खेतों के रजिस्टर की आखरी संख्या है।

C. यदि निम्न कारणों से किसी एक खसरे के टुकड़े होते हों तो उन्हें अलग नम्बर दिये जायेंगे। (जैसे बंटवारा, बिक्री, कब्जा सहित रहन, विनिमय बक्शीश भेंट या बन्धक मोचन (Redemption आदि)।

D. जब किसी खसरे नौतोड़ खेती या गैर आबाद खसरा नम्बर के किसी भी हिस्से का स्थायी कब्जा हो।

E. जब किसी खसरा नम्बर में तालाबों, नहरों, सड़कों, कुआं अथवा इमारतों का निर्माण होने से उस खसरे की सीमा में परिवर्तन आवश्यक हो गया हो।

F. जब बारानी भूमि के खेत के किसी हिस्से को सिंचित भूमि के रूप में उपयोग कर काश्तकार द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन कर दी हो।

G. जब किसी ग्राम में राजकीय भूमि पर रास्ता कायम होकर प्रचलन में है, किन्तु इसका इन्द्राज राजस्व नक्शे में नहीं हो तो इसका अंकन नक्शे में करना।

राजस्व नक्शे में निम्नलिखित परिस्थितियों के किसी भी खसरा नम्बर में परिवर्तन नहीं किया जावे।

A. जब किसी खसरा संख्या में संयुक्त खातेदार अपने-अपने अंश के खेत बनाकर, काश्त करते हो।

B. जब किसी एक खसरे में एक से अधिक फसलें काश्त कर ली हो।

C. जब किसी खसरे में हल चलाया हो किन्तु काश्त नहीं की गई हो।

D. यदि कोई खसरा नम्बर आबादी में सम्मिलित हो गया हो और उसमें तम्बाकू काश्त कर ली हो।

नियम-122 नामान्तकरण तस्दीक से पहले भूल सुधार :

नामान्तरकरण के प्रत्येक मामले में कॉलम 8 से 13 तक के इन्द्राज सम्बन्धित नामान्तकरण पर कर दिए गए आदेश (Order) के अनुरूप होने चाहिए, जब किसी भूल से या अन्यथा, ऐसा न हो तो इन्द्राज में परिवर्तन किया जायेगा जिससे कि वे उस आज्ञा के अनुरूप हो जावे। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित कोई परिवर्तन, जहाँ तक हो सके आदेश देते समय किए जाने चाहिए परन्तु यदि वे उस समय नहीं किये गये हों तो वे बाद में ऐसे नामान्तकरण जिसमें उक्त संशोधन किए जाने हैं, जमाबंदी में शामिल किए जाने से पहले किसी भी समय किए जा सकेंगे।

नियम-123 तस्दीक किए जाने के पश्चात् भूल सुधार :

जमाबंदी में कोई नामान्तकरण शामिल किए जाने के पहले किसी भी समय, उस समय पर दी गई आज्ञा में गलती से लिखावट या गणना में असावधानी से हुई गलती उस आज्ञा से पुनर्विलोकन की इजाजत पाये बिना सुधारी जा सकती है। ऐसी असावधानियों का सुधार ऐसे नामान्तकरणों जिनमें असावधानियों से गलती हुई है, को तस्दीक करने वाले राजस्व अधिकारी द्वारा अथवा उसके पश्चात् में आने वाले पदाधिकारी द्वारा अथवा किसी उच्च पदाधिकारी द्वारा किये जा सकता है। ऐसे सुधार करने में मूल आज्ञा में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये, परन्तु एक पृथक नोट सुधारों का संक्षेप में वर्णन करते हुए लिखी जानी चाहिये। ऐसे सुधारों के विषय में संबंधित पक्षों को सुनना जरूरी नहीं होगा। नियम 166 में वर्णित ''फर्द बदर'' कार्य प्रणाली ऐसे मामलों में जिनमें मूल नामान्तकरण दर्ज करने मरे हुए व्यक्ति के कुछ खाते दर्ज किये जाने में रह गए थे। उत्तराधिकारियों के एवं नामान्तकरण के इन्द्राज से बचने के प्रयोजन के लिए काम में लाई जा सकेगी। ऐसे मामलों में पटवारी फर्द-बदर की अपनी रिपोर्ट से सिर्फ यह लिखेगा फलां-फलां नामान्तकरण से फलां-फलां खाता रह गया है एवं इस रिपोर्ट पर राजस्व अधिकारी की आज्ञा में केवल यह लिखा हुआ होगा कि विचारार्थ नामान्तकरण पर पहले से ही दी गई आज्ञा खातों पर भी लागू समझी जायेगी।

नियम-166 रेकॉर्ड में लेखकीय अशुद्धियों की दुरुस्ती के लिए आदेश फर्द बदर पर लिए जाए:

1. जमाबंदी के इन्द्राजात, बाद के अभिलेखों में तब तक नहीं बदले जावें जब तक कि इस प्रयोजन हेतु नामान्तकरणों (Mutations) में परिवर्तन करने के लिए पूर्वगामी आदेश प्राप्त न कर लिया गया हो। सिवाय उस अवस्था में जबकि परिवर्तन केवल किसी लिपिकीय अशुद्धि (Clerical mistake) को सही करना हो, अर्थात् जमाबन्दी के इन्द्राजात को दूसरी पड़त में नकल करने में कोई भूल अथवा किसी नामान्तकरण आदेश में परिवर्तन नहीं करना पड़े। नीचे बताये गये अपवाद के अधीनस्थ बाद के अभिलेखों में ऐसी गलतियों को दुरुस्त करने के लिये आदेश फर्द-बदर में लिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए प्रारूप-27 निर्धारित है।

2. जब चालू जमाबन्दी में कोई गलती उसके अन्तिम तस्दीक और जमा करा दिये जाने (filed) के बाद पकड़ी जाए चाहे वह मूलतः उसी या उससे पहले की जमाबन्दी में हुई हो तो पटवारी को चाहिए कि उस सम्बन्ध में जरूरी इन्द्राजात फर्द-बदर के प्रथम चार खानों में करे।

उदाहरण:-यदि किसी खाते में त्रुटि से कोई खेत छूट गया हो तब रिपोर्ट में केवल यही लिखा जाना चाहिए कि अमुक खेत छूट गया है और यदि किसी भू-सम्पदाधारी का 1/3 हिस्से

के स्थान पर 1/2 हिस्सा लिखा गया हो तो रिपोर्ट में सिर्फ यही लिखा जाना चाहिए कि हिस्सा 1/3 होना चाहिये न कि 1/2, भू अभिलेख निरीक्षक को चाहिए कि वह समय-समय पर फर्द बदर के इन्द्राजात की जांच करे एवं फर्द बदर के कॉलम 5 में अपनी रिपोर्ट करे। उसकी रिपोर्ट भी यथासंभव संक्षेप में हो एवं जब वह समझे कि उसे पटवारी की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बढ़ाना है तो उसे इस कॉलम में सिर्फ अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए। फर्द बदर के किसी इन्द्राज पर आदेश जारी करते समय राजस्व अधिकारी (तहसीलदार या नायब तहसीलदार) को देखना चाहिये कि आया उसका सम्बन्ध लिपिकीय त्रुटि से है, जो वर्तमान हिदायतों के अधीन, फर्द बदर में लिखी जानी चाहिए और यदि उसे लगे कि इसका सम्बन्ध ऐसी त्रुटि से है तो उसे विवादास्पद त्रुटि की सुधार के लिए कॉलम 6 में आदेश लेखबद्ध करना चाहिए। अन्यथा उसे आदेश देना चाहिए कि फर्द बदर की विवादास्पद इन्द्राज रद्द (निरस्त) समझी जाए। फर्द बदर के इन्द्राजों के निपटारे के संबंध में सम्बद्ध पक्षकारों को सुनना जरूरी नहीं होगा। तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा किसी फर्द बदर पर आदेश एक मास के भीतर-भीतर आवश्यक रूप से किये जायेंगे।

3. जमाबंदी के इन्द्राजों में लिपिकीय भूलों के वे इन्द्राज, जो सुविधापूर्वक फर्द बदर में वर्णित नहीं किये जा सकते हैं, के सम्बन्ध में अभिलेखों में सुधार के आदेश फर्द बदर पर नहीं दिये जायेंगे।

उदाहरण :-किसी खाते में फर्द बदर में लिपिकीय भूल का वर्णन करने में कठिनाई तब आ सकती है, जब उस त्रुटि का सम्बन्ध किसी मालिक के हिस्से से हो, जिसका नाम उसकी जोत से सम्बन्धित जमाबंदी के इन्द्राज में विभिन्न श्रेणियों में दर्ज हो।

4. जमाबन्दी के आधार की कुल फर्दे प्रत्येक जमाबंदी की पटवार परत में संलग्न की जायेगी। जब अगली जमाबंदी तैयार की जावे तो फर्द बदर की एक प्रति, लैण्ड रिकॉर्ड के भू-अभिलेख निरीक्षक (Revenue Inspector) से तस्दीकशुदा जमाबंदी (परत सरकार) में संलग्न की जायेगी।

5. कलक्टर एवं राजस्व अधिकारी को यह देखने के लिए कि इस बारे में निर्धारित प्रक्रिया को उचित रूप से समझ लिया गया है व अधीनस्थ रेवेन्यू कर्मचारीगण द्वारा उसका पालन होता है, समय-समय पर फर्दे बदर की जांच करनी चाहिए।

भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 का नियम 369

उपखण्ड अधिकारी कलक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए नियम 369 उपखण्ड के नक्शों तथा अभिलेखों को सही रूप से रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। उसे

अधिकार है कि उसके समक्ष रखे गये विवादग्रस्त नामान्तकरणों व स्थानान्तरणों के मामलों में परिवर्तन की आज्ञा दे सके। अत: कर्मचारियों पर देखरेख के अतिरिक्त उसको इस बात को देखने के लिए सावधानी रखनी चाहिये कि उसके द्वारा दी गई आज्ञाएँ स्पष्ट और सही है और उनका पालन किया गया है। अपनी न्यायिक स्थिति में पालनीय कर्त्तव्यों के अतिरिक्त, उपखण्ड अधिकारी के भू-अभिलेख के सम्बन्ध में निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं:-

1. पटवारियों तथा गिरदावरों का अनुशासन।
2. गांव के नक्शों तथा अभिलेखों का निरीक्षण।
3. ऑफिस कानूनगो के कार्यालय का निरीक्षण।
4. सीमा तथा पैमाइश के चिन्हों का संधारण।
5. भू-सम्पदाधारियों द्वारा किये गये सुधारों का पंजीयन और
6. विभिन्न भूमि आवंटन नियमों के अधीन आवंटित भूमि का आवंटन के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनके प्रयोग के बारे में नियम 24-क के खण्ड (VIIक) के अधीन यथोचित निरीक्षण और भौतिक सत्यापन करेगा।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प. 4 (1) राज-6/2002/16 जयपुर, दिनांक 28.12.2017

परिपत्र

राजस्व अभिलेखों में जाति नाम संशोधन इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.12.1995 दिनांक 01.11.1996 एवं 25.10.2007 द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश जारी किये गये थे कि राजस्व अभिलेख में काश्तकारों के जाति, नाम गलत इन्द्राज होने की दशा में उपखण्ड अधिकारी जांच करने के पश्चात् राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 369 के अन्तर्गत उक्त अभिलेख में जाति संबंधी त्रुटियों को संबंधित पक्षकारों को नोटिस देकर एवं सुनकर दुरुस्त कर सकते हैं।

उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी राज्य सरकार को इस तरह के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं कि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अत: निर्देशानुसार लेख है कि विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.12.1995, 01.11.1996 व 25.10.2007 के अनुसरण में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत गलतियों का शुद्धिकरण धारा-136- गलतियों का शुद्धिकरण–

भू–अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार से अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो।

136, Correction of errors – The Land Record officer may at any time correct or cause to be corrected in the Prescribed manner any clerical errors and any errors which the Parties interested admit to have been made in the record of rights or register or which a Revenue officer may notice during the course of his inspection in any Register.

Provided that when any errors is noticed by a Revenue officer in any record of rights during the course of his Inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the Parties.

व्याख्या

1. धारा की विशेषता:-धारा 136 का परिवर्तन कर दिनांक 22.11.1995 को संशोधित कर दिया गया है। संशोधन के बाद इस धारा में यह प्रावधान रखा गया है कि लिपिकीय त्रुटियों को मय भू-प्रबंध विभाग द्वारा विधि विरुद्ध किये गये इन्द्राजों को भी शुद्ध किया जा सकेगा। (R.R.D. 2009 Page 305).

2. धारा 136 का विश्लेषण इस प्रकार है-

1. यह कि भू-अभिलेख अधिकारी किसी भी निर्धारित विधि से लिपिकीय त्रुटियों को शुद्ध कर सकेगा।
2. केवल ऐसी लिपिकीय त्रुटियों को ही शुद्ध किया जा सकेगा जिन्हें पक्षकार स्वीकार करते हैं।
3. इस धारा के अन्तर्गत केवल अधिकार अभिलेख की त्रुटियों को ही शुद्ध करने का प्रावधान है, मानचित्र आदि की त्रुटियों को शुद्ध करने का नहीं। (R.R.D. 1964 Page 101).

4. बिना पक्षकार को नोटिस दिये ऐसी त्रुटियों को शुद्ध नहीं किया जा सकेगा। (R.R.D. 2007 Page 828).
5. इस धारा 136 के तहत ऐसे प्रकरण निर्णीत करने के अधिकार केवल भू-अभिलेख (उपखण्ड अधिकारी) को प्राप्त है, तहसीलदार एवं सहायक कलेक्टर को नहीं।
6. धारा 136 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है।
7. उल्लेखनीय है कि धारा 136 में कहीं भी विशेष रूप से यह नहीं बताया गया है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को भी शुद्ध किया जा सकेगा। लेकिन इस स्थिति को इस कानून की मंशा के द्वारा राजस्व मंडल ने अपने निर्णयों एवं सरकार ने प्रशासनिक निर्देश जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि सेटलमेन्ट द्वारा की गयी त्रुटियों को धारा 136 के अन्तर्गत शुद्ध किया जा सकेगा। (R.R.D. 2009 Page 306).

   (देख-निर्णय राजस्व मण्डल रिवीजन संख्या 224/96/ LR / जयपुर दिनांक 04.11.1997 उर्मिला देवी पत्नी स्व. दीनदयाल बनाम राजस्थान सरकार।

3. आदेश की अपील-धारा 136 के आदेश की अपील:-धारा 136 प्रकरण उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णीत की जायेगी जिसकी अपील संभागीय आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त द्वारा सुनी जावेगी-राजस्व अपील अधिकारी द्वारा नहीं।

राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक प. 6 (12) राज./6/92/ 26, दिनांक 20.12.1995 से राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 में संशोधन कर दिनांक 22.11.1995 से यह व्यवस्था लागू की गई है।

भू-प्रबन्ध के दौरान भू-प्रबन्ध कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा धारा 123 व 125 की आड़ में कब्जे के आधार पर खातेदारी भूमि को सिवायचक/चरागाह या इसके विपरीत सिवायचक/चरागाह को खातेदारी में अंकित कर दिया जाता था। जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अनियमितता हुई है, जिनसे अनावश्यक मुकदमेबाजी भी बढ़ी है और कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद भी निर्णीत कर दिये जाते थे जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। इस संशोधन के द्वारा धारा 122 को संशोधित किया गया, धारा 123 व 125 को विलोपित किया गया और धारा 136 को प्रतिस्थापित किया गया। इस संशोधन के पीछे मूल भावना यह थी कि उपरोक्त प्रकार की गलतियों पर अंकुश लग सकें तथा संक्षिप्त परीक्षण से उपरोक्त गलतियों को ठीक किया जा सके। उपर्युक्त संशोधन के पश्चात् निम्न प्रकार स्थिति बनती है:-

1. भू-प्रबन्ध कार्यवाही बन्द होने के पश्चात् जो मामले भू-प्रबन्ध अधिकारी के पास

अनिर्णीत रह जाते हैं, वे भू-अभिलेख अधिकारी (SDO) को हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं। ऐसे मामले भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णीत किये जायेंगे।

2. भू-प्रबन्ध के दौरान जो लिपिकीय एवं अन्य गलतियां भू-प्रबन्ध कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गई है उनका निर्धारित रीति द्वारा भू-अभिलेख अधिकारी शुद्धिकरण कर सकेगा या करा सकेगा बशर्ते कि हितबद्ध पक्षकार ऐसी गलतियों को भू-अभिलेख या रजिस्टर में किया जाना स्वीकार करे।

3. यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान उपर्युक्त प्रकार की गलतियां नोटिस की जाती है, तो उन्हें SDO को भेजेंगे। पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने हेतु नोटिस देकर तथा सुनवाई का अवसर प्रदान कर गलती के शुद्धिकरण हेतु भू-अभिलेख अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करेगा।

4. सभी जिला कलक्टर भू-अभिलेख अधिकारी हैं तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12 (183) रेवे/बी/56, दिनांक 17.09.1956 द्वारा ये शक्तियाँ उपखण्ड अधिकारियों को दी हुई है। यह अधिसूचना आज भी प्रभावी है। अतः वर्तमान में सभी उपखण्ड अधिकारियों के पास भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियाँ निहित हैं।

उपखण्ड अधिकारी के नीचे का कोई अधिकारी उपर्युक्त प्रकार की गलतियों के शुद्धिकरण के लिए सक्षम नहीं है।

5. भू-प्रबंध के दौरान यदि बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के किसी की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी की कृषि भूमि को चरागाह/सिवायचक/राजकीय भूमि दर्ज कर दिया गया है तो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक करवाया जा सकेगा।

6. यदि किसी सिवायचक या राजकीय भूमि को किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी में बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी गलतियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की संशोधित धारा 136 के अन्तर्गत भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा।

7. भू-प्रबन्ध कार्यवाही बंद होने के बाद भू-अभिलेख संधारण का दायित्व भू-अभिलेख अधिकारी का है और इस दौरान भी यदि उपर्युक्त प्रकार की गलतियां होती हैं, तो मद संख्या (3) के अनुसार उनके शुद्धिकरण के अधिकार भी भू-अभिलेख अधिकारी को होंगे।

8. किसी भी प्रकार की गलती के सुधार के पहले प्रभावित पक्षकारों को नोटिस दिया जाना तथा सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक होगा। जहां आवश्यक हो भू-

धारक (Land holder) (तहसीलदार) को भी राज्यहित की सुरक्षा के लिए पक्षकार बनाना होगा।

9. भू-प्रबन्ध के दौरान हुई अशुद्धियों का सुधार उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया से खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करते हुए किया जा सकेगा, लेकिन धारा 136 के तहत मूलरूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ऐसे परिवर्तनों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा।

10. धारा 136 के तहत किसी को कोई नये खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकेंगे, बल्कि रेकॉर्ड के आधार पर जो अधिकार निहित थे और जो सही एवं वास्तविक स्थिति थी, उसके अनुसार ही अशुद्धियों को संशोधित कर सही किया जा सकेगा।

संक्षिप्त परीक्षण (Summary Trial) से शुद्धियों का सुधार करना नियमित वाद का विकल्प नहीं है, समय की व्यवस्था अशुद्धियों के सुधार के लिये की गई है। जहां परस्पर खातेदारी का बिना वहां उन्हें सक्षम न्यायालयों से ही निर्णीत कराना होगा।

धारा 136 के तहत निर्णीत वादों में प्रतिपादित सिद्धान्तः

क्र. सं.	प्रकरण सं.	निर्णय दिनांक	उनवान	प्रतिपादित सिद्धान्त
1.	1964 RRD 10	1964	पते सिंह बनाम गुरनाम सिंह	खसरा गिरदावरी न तो अधिकार, अभिलेख है और न ही वार्षिक रजिस्टर अतः खसरा गिरदावरी के विवाद धारा 136 की परिधि में नहीं आते।
2.	1980 RRD 315	1980	जयनारायण बनाम राजस्व मण्डल	उपखण्ड अधिकारी भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भूमि की किस्म ''गैर मुमकिन तलाई'' से ''बारानी'' परिवर्तित नहीं कर सकता है।
3.	1980 RRD 280	1981	लखा बनाम कल्याण	LR Act की धारा 136 के तहत गत जमाबंदी से हाल जमाबंदी में हुई अशुद्धि को ठीक किया जा सकता है।
4.	रिवीजन नं. 224/1996	1997	उर्मिला देवी बेवा दीनदयाल बनाम राज. सरकार	SDO अपने क्षेत्राधिकार में भू-प्रबन्ध के दौरान हुई अशुद्धि को शुद्ध कर सकता है।

5.	2007 RRD Page 828	2007	मालीराम बनाम प्रभात अन्य बनाम राज. सरकार	पक्षकारों को बिना नोटिस दिये धारा 136 के अन्तर्गत त्रुटि को शुद्ध नहीं किया जा सकता है।
6.	2207 RRD 2 RJ 1020 2008 RRD 34	2008	प्रभु एवं अन्य बनाम रामजीलाल बनाम राज. सरकार	धारा 136 को वाद के विकल्प में शार्टकट के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
7.	2008 RRD RJ 333 HC 2008 (2) RRT 729 HC	2008	रुकमा देवी बनाम राज. सरकार	LR Act की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी भूमि की प्रकृति किस्म को परिवर्तित नहीं कर सकता।
8.	2009 RRD Page 188	2009	लालचन्द और अन्य बनाम राज. सरकार	धारा 136 के अन्तर्गत रिकॉर्ड में आयी लिपिकीय त्रुटियों जिसे पक्षकार स्वीकार करें उसे ही शुद्ध किया जा सकता है।
9.	2007 RRD Page 560	2009	सुल्तान सिंह बनाम अधराम और अन्य	धारा 88 राज. काश्तकारी अधि. के तहत अनुतोष धारा 136 LR Act के अन्तर्गत प्राप्त नहीं किया जा सकता।
10.	2009 RRD 305	2009	इन्द्राज बनाम राज. सरकार	भू-प्रबन्ध विभाग की अधिकार अभिलेखों में आयी त्रुटियों को SDO द्वारा धारा 136 के अन्तर्गत शुद्ध किया जा सकता है।
11.	2009 RRD 457	2009	मोहम्मद और अन्य बनाम पीरू और अन्य	भू-अभिलेख अधिकारी (कलक्टर) को धारा 136 के अन्तर्गत भू-प्रबंध द्वारा हटाये गये इन्द्राज को शुद्ध करने के अधिकार प्राप्त है।
12.	2010 RRD 764	2010	रामेश्वर बनाम रामेश्वर	मानचित्र को धारा 136 के अन्तर्गत शुद्ध नहीं किया जा सकता और न ही इस प्रकार की कार्यवाही नियम 369 राज. लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के तहत की जा सकती है।

13.	2011 RRD Page 636	2011	शाबीचन्द रामेश्वर बनाम स्टेट ऑफ राज.	पीटीशनर के नाम कोई भूमि अभिलिखित नहीं थी। ऐसी स्थिति में धारा 136 के प्रावधानों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
14.	2018 RBJ Page 578, 579	2018	चौथाराम वगैरह बनाम मन्दकीदेवी जाट वगैरह	पुत्र घासीराम की मृत्यु के विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय जीवित माता का नाम भी हटाया गया जिसे धारा 136 से जोड़ा गया।
15.	2018 RBJ Page 659	2018	मांगीलाल व अन्य बनाम तहसीलदार सांगानेर, जयपुर	धारा 136 के तहत प्रार्थना-पत्र जब ही प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि लिपिकीय गलती हो या दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि रिकॉर्ड में दुरुस्ती कर दी जाये। उक्त प्रकरण में वादीगण द्वारा इन्द्राज दुरुस्ती का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इसलिए उक्त प्रकरण निरस्त किया गया।
16.	2018 RBJ Page 713,	2018	किसनाराम कुमावत व अन्य बनाम भवानी सिंह राजपूत	नामान्तकरण की कार्यवाही वित्तीय कार्यवाही है, जिसमें पक्षकारों के अधिकार बाबत् निर्णय नहीं होता।
17.	2018 RBJ Page 69	2019	श्रीमती हस्तु तह. बनेड़ा बनाम मांगी बाई रायला	नामान्तकरण में अधिकार निर्णीत नहीं किये जाते। इस प्रकार की सरसरी कार्यवाही में न्यायालय के निगरानी अधिकारों के तहत् कार्यवाही नहीं की जा सकती।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

धारा 136 गलतियों का शुद्धिकरण–भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा। जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे। परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती को तब तक शुद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि पक्षकारों को हेतु दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो।

सारांश

राजस्व कानूनों में लिपिकीय गलतियां एवं की गई गलतियों को शुद्ध करने के प्रावधान

क्र.सं.	नाम अधिनियम एवं नियम	धारा/ नियम	धारा/नियम बनाने के उद्देश्य
1.	भू-अभिलेख नियमावली, 1957	31	पटवारी द्वारा तैयार किये जाने वाले रिकॉर्ड/ अभिलेख में यदि कोई गलती/अशुद्धि हो जाती है तो पटवारी उसे काटकर शुद्ध नहीं कर सकता, उसे अपने उच्च अधिकारी से शुद्ध करवाना पड़ेगा, जिस उच्च अधिकारी ने उसे शुद्ध किया वह अपने लघु हस्ताक्षर करेगा।
2.	भू-अभिलेख नियमावली, 1957	59	1. जब किसी राजस्व ग्राम का नक्शा निरन्तर काम में लेने के कारण अब काम लायक नहीं रहा है, तो नया नक्शा बनाने की व्यवस्था ऑफिस कानूनगो करवायेगा। 2. पटवारी प्रत्येक जिन्सवार में जब खेतों में जायेगा, उस समय मौके पर पाये परिवर्तनों को पेन्सिली नोट करेगा। 3. नया नक्शा तैयार कर उस पर पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं ऑफिस कानूनगो के हस्ताक्षर कर उसे प्रमाणित करेगा, पुराने नक्शे को तहसील में जमा करा देगा।
3.	भू-अभिलेख नियमावली, 1957	60	राजस्व नक्शों में किन परिस्थिति में तरमीम (संशोधन) होगा और किन दशा में तरमीम नहीं होगी, के विषय में व्यवस्था करता है।
4.	भू-अभिलेख नियमावली, 1957	122	इस नियम में यह व्यवस्था की गई हैं कि यदि नामान्तकरण दर्ज करने में कोई भूल हो गई और उस नामान्तकरण का निर्णय होना शेष है तब शुद्धि कैसे की जा सकती है अर्थात् सुधार की प्रक्रिया बताई गई है।
5.	भू-अभिलेख नियमावली, 1957	123	इस नियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि नामान्तकरण प्रमाणित हो जाता हो और नामान्तकरण में कोई गलती रह गई हो तो उसे कैसे सुधारा जा सके, इस बात की व्यवस्था करती है।

6.	भू-अभिलेख नियमावली, 1957	166	चालू जमाबन्दी परत पटवार एवं परत सरकार में पटवारी द्वारा लिपिकीय गलती को शुद्ध करने हेतु इस नियम 166 के तहत प्रपत्र पर विधिवत् रिपोर्ट लेकर लिपिकीय गलती को सही किया जा सकता है, नामान्तकरण का अमल जमाबन्दी में करते समय हुई गलती को सही किया जा सकता है, इस नियम में रिकॉर्ड के आधार पर ही शुद्धि की जाती है, पक्षकारों को सहमति या सुनवाई की जरूरत नहीं होती है।
7.	भू-अभिलेख नियमावली, 1957	369	उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र के समस्त राजस्व ग्रामों के नक्शों को सही रूप से रखने एवं आदिनांक रखने का उत्तरदायी अधिकारी है, वह गांवों के नक्शों को जब भी भ्रमण पर जायेगा, उनका निरीक्षण करेगा और नक्शों को सही, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रखने के साथ-साथ जिन परिस्थिति में तरमीम होती है, उसको यथासमय पूर्ण करवा नक्शों को आदिनांक करवायेगा।
8.	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956	136	1. इस धारा 136 में भू-अभिलेख अधिकारी को ही गलतियां शुद्ध करने का अधिकार है। 2. इस धारा 136 में बिना प्रभावित पक्षों को सुने शुद्धि नहीं की जा सकती है। 3. इसमें केवल अभिलेख को ही शुद्ध किया जा सकता है, इस धारा के तहत नक्शे में शुद्धि नहीं की जा सकती है। 4. इस धारा में जब तक शुद्धि नहीं की जावेगी। जब तक कि दोनों पक्ष सहमत होकर उस शुद्धि को स्वीकार नहीं कर लेवें।

Shankar Lal Balai
RAS (R)

Deemed Forest-एक विधिक विश्लेषण

घनश्याम सिंह देवल
तहसीलदार

राजस्थान में वन भूमियों की पहचान-पृष्ठभूमि

राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.40 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली अरावली पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा राज्य को वृहत स्तर पर दो असमान हिस्सों अरावली के पूर्व में लगभग 61 प्रतिशत भू भाग तथा पश्चिम में लगभग 39 प्रतिशत हिस्सा रेगिस्तानी है।

राज्य में कुल वन क्षेत्र (अभिलिखित वन क्षेत्र) 32,869.69 वर्ग कि.मी. (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.6 प्रतिशत) है जिसमें से 12,176.28 वर्ग किमी आरक्षित वन हैं, 18588.39 वर्ग किमी संरक्षित वन हैं और 2105.3 वर्ग किमी अवर्गीकृत वन हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 (ISFR, 2021) के अनुसार वनस्पति आवरण के मामले में वन आवरण 16,654.96 वर्ग किमी जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.87 प्रतिशत है।

जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 68.55 मिलियन है जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.66 प्रतिशत है। बीसवीं पशुधन जनगणना 2019 में राज्य में कुल पशुधन संख्या 56.80 मिलियन बताई गई है, जो देश में पशुधन संख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे अधिक है। जिनमें से अधिकांश पशुधन जंगलों और वन आधारित संसाधनों से अपने चारे की आपूर्ति प्राप्त करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की जीवन रेखा का आधार वन ही हैं, विशेष रूप से आदिवासी और स्थानीय समूह जो वन क्षेत्रों में और उसके आस पास रहते हैं। इनके जीवन में वन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे आदिवासियों और कमजोर वर्गों के लिए जीवन और आजीविका को आसान बनाने में योगदान मिलता है। भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान (IIFM) भोपाल की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वानिकी क्षेत्र राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 2.19 प्रतिशत का योगदान देता है।

राज्य के वन और वन्यजीव क्षेत्र भी कई जैविक और अजैविक दबावों से ग्रस्त है जो

वनों के स्वास्थ्य और अवस्था को गहराई से प्रभावित करते हैं। अतिक्रमण, वनों की कटाई, खनन, चराई, वन्यजीवों का अवैध शिकार, प्राकृतिक आवास का ह्रास और वनाग्नि आदि वनों और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक है।

राजस्थान जैसे उष्ण जलवायु के क्षेत्र में जहां लगभग 30 प्रतिशत वन क्षेत्र होने की आवश्यकता है लेकिन यथार्थ में राजस्थान में केवल लगभग 9.6 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के मामले में ऐसे भूमि क्षेत्र जिन्हें वन भूमि के रूप में ना तो वर्गीकृत किया गया है और ना ही राजस्व रिकार्ड में जिन्हें वन भूमि के रूप में अभिलिखित किया गया है, लेकिन राजस्थान जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में परम्परागत वनस्पति आच्छादित क्षेत्रों को वन भूमि के रूप में मान्य किया गया है।

विजन– राज्य में पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण की एकीकृत उपलब्धि की दिशा में वैज्ञानिक, पारम्परिक और अनुभवजन्य ज्ञान के माध्यम से वनों, वन जीवन, जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबन्धन को बढ़ावा देना और वनों के बाहर वनस्पति आवरण बढाने पर विशेष ध्यान देकर आगामी 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक बढाना है।

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की अधिसूचना दिनांक 07.05.1992

इस अधिसूचना द्वारा हरियाणा के गुड़गांव जिले एवं राजस्थान राज्य के अलवर जिले की अरावली रेंज में कतिपय कार्यकलाप जिनसे प्रदेश के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं के सम्बन्ध में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) और धारा 3(2)(फ) के अधीन दिनांक 07.05.1992 को एक अधिसूचना जारी कर गैर मुमकिन पहाड़, या गैर मुमकिन राडा, या गैर मुमकिन बीहड़, या बंजर बीड़ या रूंध क्षेत्र किस्म भूमियों पर ऐसे कतिपय कार्यकलापों के लिए प्रतिषेध किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.1996

देश में वनों की सुरक्षा और संरक्षण से सम्बन्धित देश के वनों में कमी, वन कटाई, अवैध खनन, आदि के कारण वन क्षेत्रों को होने वाले दुष्प्रभावी बिन्दुओं पर सभी राज्य सरकारों को सुनते हुए रिट पिटिशन संख्या 202/95 T.N. Godavaraman v/s. Union of India and others में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई। रिट की सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के वास्तविक दायरे और उसमें प्रयुक्त 'वन' शब्द के अर्थ के बारे में कुछ लोगों में गलत धारणा है। वन क्षेत्र में कुछ गतिविधियों के संबंध में, जो प्राय: वाणिज्यिक प्रकृति की होती हैं, अधिनियम

की धारा 2 के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता के बारे में भी गलत धारणा है। उस स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को और अधिक वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंतत: पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होता है; और इसलिए, वनों के संरक्षण और उससे संबंधित मामलों के लिए इसमें किए गए प्रावधान स्वामित्व या वर्गीकरण की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना सभी वनों पर लागू होने चाहिए। शब्द 'वन' को इसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। यह विवरण सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वनों को कवर करता है, चाहे वे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) के उद्देश्य के लिए आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा के रूप में नामित हों। धारा 2 में आने वाले 'वन भूमि' शब्द में न केवल शब्दकोश अर्थ में समझे जाने वाले 'वन' शामिल होंगे, बल्कि स्वामित्व के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र शामिल होगा। अधिनियम की धारा 2 के उद्देश्य के लिए इसे इसी तरह समझा जाना चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित प्रावधान स्वामित्व या वर्गीकरण के बावजूद इस तरह समझे जाने वाले सभी वनों पर स्पष्ट रूप से लागू होने चाहिए।

इस पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.12.1996 में देश के सभी वन क्षेत्रों के लिए सामान्य निर्देश जारी किया गया कि -

''अधिनियम में 'वन' शब्द के अर्थ को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि किसी भी 'वन' के क्षेत्र में किसी भी गैर-वन गतिविधि के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी भी वन के भीतर चल रही सभी गतिविधियाँ, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, तुरंत बंद होनी चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विनियर या प्लाईवुड मिलों सहित किसी भी प्रकार की आरा मिलों को चलाना और किसी भी खनिज का खनन गैर-वन उद्देश्य हैं और इसलिए, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकार्य नहीं हैं। तदनुसार, ऐसी कोई भी गतिविधि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है । प्रत्येक राज्य सरकार को तुरंत ऐसी सभी गतिविधियों को पूरी तरह से बंद करना सुनिश्चित करना चाहिए।''

इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि ''प्रत्येक राज्य सरकार को एक माह के भीतर एक विशेषज्ञ समिति गठित करनी चाहिए-

1. ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जो 'वन' हैं, चाहे वे किसी कानून के तहत अधिसूचित, मान्यता प्राप्त या वर्गीकृत हों या नहीं, और ऐसे वन की भूमि का स्वामित्व किसी के पास

भी हो या नहीं;

2. उन क्षेत्रों की पहचान करना जो पहले वन थे लेकिन अब क्षीण, उजाड़ या साफ हो चुके हैं; और
3. सरकारी और निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वृक्षारोपण वाले क्षेत्रों की पहचान करना।''

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति (कपूर कमेटी) अभिशंषा दिनांक 15.04.2004

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 5.10.2002 द्वारा अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक अरावली वनरोपण परियोजना की अध्यक्षता वन संरक्षक कार्य योजना एवं वन बन्दोबस्त, सदस्य सचिव एवं सभी सम्बन्धित वन क्षेत्रों के वन संरक्षक की सदस्यता में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस समिति की सहायतार्थ प्रत्येक जिले में एक उप समिति का गठन किया गया जिसमें सम्बन्धित जिला वन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार को शामिल किया गया। इस समिति को निम्न लक्ष्य दिया गया -

1. उन क्षेत्रों की पहचान करें जो 'वन' हैं, चाहे वे किसी कानून के तहत अधिसूचित, मान्यता प्राप्त या वर्गीकृत हों, और ऐसे वनों की भूमि के स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना।
2. उन क्षेत्रों की पहचान करें जो पहले वन थे, लेकिन अब क्षीण, उजाड़ या साफ हो चुके हैं, और,
3. सरकारी और निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वृक्षारोपण/वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रों की पहचान करें।
4. ओरण, बनियां, देव-वन आदि जैसे पवित्र उपवनों की पहचान करें ताकि इन क्षेत्रों को वन की श्रेणी में रखा जा सके।

इस समिति द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न विभिन्न वर्गों के वनों के सम्बन्ध में सूचना संकलित की गई-

1. आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत के रूप में कानूनी रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र।
2. अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्र। यह भूमियां राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन पहाड़, बिलानाम सरकारी भूमि, ग्राम वन, गोचर, निजी वन, सिवाय चक आदि के रूप में दर्ज भूमियों को शामिल किया गया।
3. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वन क्षेत्र माना जाता है, जिसमें वन को ''घास और झाड़ियों से ढंकी भूमि'' के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे उसका स्वामित्व किसी

का भी हो। इस उद्देश्य के लिए समिति ने न्यूनतम 5 हेक्टेयर के सघन क्षेत्र और जहां प्राकृतिक रूप से न्यूनतम 200 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर उगते हैं, वहां वन माने जाने का मानदंड तय किया।

4. समिति ने उन क्षेत्रों की पहचान के संबंध में संदर्भ संख्या 2 पर विचार-विमर्श किया, जो पहले वन थे, लेकिन अब क्षरित, उजाड़ या साफ हो चुके हैं। यह महसूस किया गया कि वनों की स्थिति के बारे में पहले के रिकॉर्ड के अभाव में यह जानकारी संकलित नहीं की जा सकती। वनों का क्षरण और विनाश एक सतत प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलती है। जब तक आधारभूत जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तब तक यह स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं है कि पहले कितने क्षेत्र वन थे और अब क्षीण/अक्षरित हो गए हैं। वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति केवल भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा अपनाई गई प्रणाली को अपनाकर उपग्रह डेटा का उपयोग करके ही बताई जा सकती है। एफएसआई उपग्रह डेटा का उपयोग करके देश के वन क्षेत्र का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता रहा है।

5. वन विभाग, अन्य सरकारी विभागों/संस्थानों और निजी व्यक्तियों द्वारा गैर-वन भूमि जैसे राजस्व/पंचायत/अन्य विभाग/संस्थानों और निजी व्यक्तियों द्वारा लगाए गए वृक्षारोपण के बारे में जानकारी भी संकलित की गई थी।

6. पवित्र उपवनों, ओरण, देव-वन, बनियों आदि के बारे में जानकारी क्रमशः सरकारी अभिलेखों में वनों के रूप में दर्ज क्षेत्रों और विशेषज्ञ समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन श्रेणी में माने गए क्षेत्रों के संबंध में संकलित की गई थी।

7. समिति द्वारा किये गये कार्यों के अनुसार वनों के वर्गीकरण अनुसार सूचना संग्रह सार निम्नानुसार रहा -

S.No.	PARTICULARS	AREA IN Ha.	
1	Districtwise Forest area (Classified as reserved forests, protected forests and unclassed forests)	R.F.	1210052.1209
		P.F.	1771310.0607
		U.F.	227304.8042
		Total	3208666.9858
2	Districtwise Forest area with other departments/ institutes recorded as forest in Govt. records.		15561.8246
3	Districtwise deemed forest area (which is not less than 5 ha. and having not less than 200 trees per ha.)		12500.5687
	TOTAL FOREST AREA		3236729.3791

समिति की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.6 प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र पाया गया। वृक्षारोपण के अन्तर्गत क्षेत्रफल नीचे तालिका के अनुसार रहा –

TABLE-2

Plantation raised by :-

SNo.	NAME OF AGENCY	AREA IN Ha.
1	Forest Department	32518.0515
2	Other Departments / Institutions	29307.8784
3	Private individuals	2968.8630
		64794.7929

समिति की बैठक में इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया कि गैर–वन भूमि पर किए गए वृक्षारोपण को वन माना जाए या नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। समिति द्वारा किए गए विश्लेषण का तार्किक निष्कर्ष यह था कि गैर–वन भूमि पर किए गए वृक्षारोपण को वन नहीं माना जाना चाहिए।

उक्त समिति का इस सम्बन्ध में सारांश मत इस प्रकार रहा है –

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 टी.एन. गोडावरमन बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 12.12.1996 के अपने आदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 (प) के संदर्भ में 'वन' शब्द और ''वन भूमि'' को भी परिभाषित किया है। इसके अनुसार, 'वन' शब्द को इसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। यह विवरण सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन को कवर करता है, चाहे उन्हें वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2 (i) के उद्देश्य के लिए आरक्षित/संरक्षित या अन्यथा के रूप में नामित किया गया हो। धारा 2 में आने वाले ''वन भूमि'' शब्द में न केवल शब्दकोश अर्थ में समझे जाने वाले वन शामिल होंगे, बल्कि स्वामित्व की परवाह किए बिना सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र भी शामिल होगा।

यह दर्शाता है कि इसे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के उद्देश्य से समझा जाना चाहिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 'वन' शब्द का अर्थ 'वृक्षों और झाड़ियों से ढका हुआ एक बड़ा भूभाग'' दिया गया है। भार्गव डिक्शनरी में 'वन' शब्द का अर्थ ''वृक्षों और व्यापक वनों से ढका हुआ एक बड़ा भूभाग'' दिया गया है। यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उन भूभागों को 'वन' माना है जो प्राकृतिक वृक्षों और झाड़ियों से ढके हुए हैं, न कि उन भूभागों को जो वृक्षारोपण वृक्षों से ढके हुए हैं। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के पैरा 5 के

अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को आदेश दिया है कि वह 'वन' के अलावा अन्य श्रेणी में सरकारी और निजी व्यक्तियों के वृक्षारोपण वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रों की पहचान करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह इरादा जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में निर्णय के पैरा 2(i) से और भी स्पष्ट होता है जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं-

''किसी भी 'वन' में, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध किसी भी निजी बागान में कटाई को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निजी व्यक्तियों या जम्मू-कश्मीर राज्य के सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ शामिल हैं और ऐसे बागानों में कटाई पूरी तरह से कानून के अनुसार ही होगी।''

यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त 'वन' शब्द का तात्पर्य माननीय न्यायालय द्वारा परिभाषित 'वन' से है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'वन' में निजी वृक्षारोपण या सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण शामिल नहीं है।

'वन' शब्द में वृक्षारोपण को शामिल न करने की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा हिमाचल प्रदेश राज्य तथा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दिए गए निर्णय के पैरा 3(1) में दिए गए आदेश से भी स्पष्ट है, जो इस प्रकार हैं-

''किसी भी सार्वजनिक या निजी वन में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध किसी भी निजी बागान में पेड़ों की कटाई को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें ऐसे क्षेत्र में लगाए गए पेड़ शामिल हैं जो 'वन' नहीं है और जिसे पहले के 'वन' से परिवर्तित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, यह बहुत स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित 'वन' शब्द में मानव निर्मित वृक्षारोपण शामिल नहीं है। इसलिए गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण, जो पहले वन नहीं था और जिसे वन के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 12.5.2001 को अपने निर्णय में इसे और अधिक स्पष्ट कर दिया है, आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है।

''वन'' से पेड़ों की कटाई केवल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 15.1.99 के आदेश के अनुसार स्वीकृत कार्य योजनाओं/योजनाओं या कटाई योजनाओं के अनुसार ही की जाएगी। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कार्य योजनाओं, योजनाओं की आवश्यकता किसी भी गैर-सरकारी वन क्षेत्र से पेड़ों की कटाई के लिए भी होगी, जिसमें वह भूमि भी शामिल है जिसे इस न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश के अनुसार 'वन' माना जाना आवश्यक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित

कार्य योजनाओं/योजनाओं को लागू करते समय, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब तक इस न्यायालय के दिनांक 22.9.2000 के निर्देश के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के पुनर्जनन के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद न हों, तब तक कोई कटाई न की जाए। गैर-वन क्षेत्र से पेड़ों की कटाई के लिए, जिसमें गैर-वन क्षेत्र पर वृक्षारोपण के संबंध में भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश/नियम बनाए जाएंगे, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संशोधन, यदि कोई हो, के साथ सहमति के बाद लागू होंगे।''

यद्यपि यह निर्देश पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है, लेकिन यह स्पष्ट है कि 'वन' शब्द में गैर-वनीय भूमि पर वृक्षारोपण शामिल नहीं है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण को 'वन' नहीं माना जाएगा जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.12.1996 में परिभाषित किया है।

राजस्व, पंचायत और अन्य विभागों/संस्थाओं तथा निजी व्यक्तिगत भूमि पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए वृक्षारोपणों का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई प्रबंधन योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार राजस्व भूमि पर लगाए गए पुराने वृक्षारोपणों को स्थानांतरित करने पर विचार कर सकती है और अन्य श्रेणी के वृक्षारोपणों का प्रबंधन संबंधित विभागों/संस्थाओं द्वारा संबंधित डीएफओ/डीसीएफ द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार किया जा सकता है, जिनके अधिकार क्षेत्र में ऐसे वृक्षारोपण स्थित हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक F16(Sup. court)97/FP/PCCF/1069 dated 27.01.2004 के माध्यम से यह भी इच्छा व्यक्त की कि विशेषज्ञ समिति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र क्रमांक No. II / FC / ROC/95-2002 dated 28.1.2003 तथा क्रमांक II/FC/ROC/95-2002 (part II)/346 dated 15.4.2003 पर भी भूमि की निम्नलिखित 5 श्रेणियों के संबंध में विचार करे-

1. गैर मुमकिन पहाड़
2. गैर मुमकिन राडा
3. गैर मुमकिन बीहड़
4. बंजर बीड़
5. रुंध

समिति ने राज्य में भूमि की उपर्युक्त पांच श्रेणियों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संख्या 12.12.1996 के समग्र ढांचे के भीतर विचार किया तथा वन क्षेत्रों की पुन: पहचान

के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों पर भी विचार किया। इनमें से जो भी क्षेत्र दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं, उन्हें तालिका-1 में ऊपर उल्लिखित वन श्रेणियों में शामिल किया गया है।

सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमिटी अनुशंषा दिनांक 09.03.2005

IN I.A. No. 1254 Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 (Under Article 32 of the Constitution of India)

In the matter of:T. N. Godavarman Thirumalpad ....PetitionerVersusUnion of India & others ....Respondents,

Date of hearings 9.3.2005

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 के निर्देशाधीन राज्य सरकार द्वारा माननीय सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी के समक्ष अन्तरिम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी द्वारा दिनांक 09.03.2005 को कपूर कमिटी की सिफारिशें दिनांक 15.04.2004 में कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने हेतु निम्न 3 अनुशंषाएं की गई -

(i) In respect of sacred groves such as Orans, De-vans etc. the Kapoor Committee has included only those areas in the category of 'forest' which also fulfill the criteria laid down for deemed forest i.e. having more than 200 trees per Hector A compact block of 5 Hector or more. The remaining areas have been left out though they are recorded as Orans, De-vans etc. in government records. Traditionally Orans; Dev-vans and other sacred groves, irrespective of their size, have been treated as forest land in Rajasthan. This was also confirmed by the State of Rajasthan during the hearing held before the CEC. In view of above the CEC is of the view that exclusion of such areas from the category of 'areas recorded as forest in government records' on the ground that they do not fulfill the criteria of 'deemed forest' will be inconsistent with the orders of this Hon'ble Court and therefore, needs to include as 'forest land'. However, in case some of these small fragmented areas, which are difficult to manage have to be excluded from the purview of the FC Act, 1980 the same may be done after following the procedure as

laid down under the Act.

(ii) The inclusion of areas recorded as 'Rundh' as 'forest' by the Kapoor Committee is appropriate and, therefore, may be accepted. However, a large chunk of such areas have been put under agriculture and other non-forestry purpose prior to enactment of the FC Act i.e. 25.10.1980 and are being used for non-forestry purposes for last many decades. It may, therefore, be desirable that all such areas, diverted/used for non-forestry purposes prior to 25.10.1980 are identified and area deleted from the purview of the FC Act after following due process of law. These areas will have to be surveyed and demarcated in a time bound manner. For deletions of such areas from the purview of FC Act the MoEF may consider waiving the condition of compensatory afforestation. The payment of Net Present Value (NPV) may also not be insisted upon in such cases.

(iii) In Rajasthan large areas are arid areas which support scanty vegetation, grass lands or eco-systems, which have few large trees. Many of these areas represent various forms of climate eco-system such as grass, land, rocky outcrops, stony desert etc. which need to be treated as 'forest land'. If Hon'ble Supreme Court deems it fit the State of Rajasthan would constitute an Expert Committee consisting of representative of the Forest Department, Arid Zone Forestry Research Institute (AFRI), Central Arid Zone Research Institute (CAZRI) and representatives of various departments and expert bodies to identify areas which are representative of various types of desert eco-systems. Such areas may also be included in the category of 'deemed forest' irrespective of the vegetation supported by such areas. The Committee may adopt a rational criteria for this purpose and finalize its report within a period of six months.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.07.2018

पुनः यह प्रकरण मूल रिट याचिका 202/1995 टी.एन. गोडावरमन थिरूमुलपड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में प्रस्तुत अन्तरिम प्रार्थना पत्र 1254 एवं 1336 के सम्बन्ध में माननीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.07.2018 में दिये गये निर्णय अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दी गई अपनी स्वीकृति के अनुसार सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमिटी द्वारा की गई अनुशंषा संख्या 1 व 3 को स्वीकार कर लिया गया।

अनुशंषा संख्या 2 के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कथन किया गया कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान इसके अधिनियमन की तिथि अर्थात् 25.10.1980 से पहले डायवर्ट की गई किसी भी वन भूमि पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ऐसे क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम के दायरे से डायवर्ट करना आवश्यक नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि कपूर समिति की रिपोर्ट को उक्त संशोधन के साथ स्वीकार किया जाए।

माननीय न्यायालय द्वारा इस दलील को नकारते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। अधिनियमन की तिथि यानी 25.10.1980 से पहले ही जिन ज़मीनों का डायवर्जन किया जा चुका है, उन्हें कानून के अनुसार स्पष्ट रूप से पहचानना, सर्वेक्षण, सीमांकन और डायवर्जन किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय को सीईसी द्वारा की गई सिफारिशों में कोई त्रुटि नहीं मिली और न ही सीईसी द्वारा की गई सिफारिशों को खारिज करने के लिए कुछ भी मिला। सीईसी की सिफारिश संख्या 2 भी माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई।

निष्कर्ष -इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.07.2018 से सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी द्वारा की गई तीनों सिफारिशों को स्वीकार किया जाकर पहली सिफारिश के अनुसार ओरण, देव-वन आदि जैसे पवित्र अन्य उपवनों के संबंध में कपूर समिति ने केवल उन क्षेत्रों को 'वन' की श्रेणी में शामिल किया है जो माने गए वन के लिए निर्धारित मानदंडों को भी पूरा करते हैं, यानी प्रति हेक्टेयर 200 से अधिक पेड़ हैं एवं 5 हेक्टेयर का एक सघन ब्लॉक या इससे अधिक। शेष क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है, हालांकि वे सरकारी रिकॉर्ड में ओरण, देव-वन आदि के रूप में दर्ज हैं। परंपरागत रूप से ओरण, देव-वन और अन्य पवित्र उपवन, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, राजस्थान में वन भूमि के रूप में माने जाते हैं। सीईसी के समक्ष आयोजित सुनवाई के दौरान राजस्थान राज्य द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी। उपरोक्त के मद्देनजर सीईसी का विचार है कि ऐसे क्षेत्रों को ''सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज क्षेत्रों'' की श्रेणी से इस आधार पर बाहर करना कि वे ''माने गए वन'' के मानदंडों को पूरा नहीं करते तथापि, यदि इनमें से कुछ छोटे खंडित क्षेत्रों को, जिनका प्रबंधन करना कठिन है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दायरे से बाहर रखा जाना है तो ऐसा अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया जा सकता है।

माननीय न्यायालय द्वारा सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमिटी द्वारा की गई दूसरी सिफारिश को स्वीकार किया गया जिसके अनुसार कपूर समिति द्वारा 'रूंध' के रूप में दर्ज क्षेत्रों को 'वन' के रूप में शामिल करना उचित है और इसलिए इसे स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा वन संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन होने की तिथि 25.10.1980 से अधिनियमन से पहले कृषि और अन्य गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए रखा गया है और पिछले कई दशकों से गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसलिए, यह वांछनीय हो सकता है कि 25.10.1980 से पहले गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए ऐसे सभी क्षेत्रों की पहचान की जाए और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद वन संरक्षण अधिनियम के दायरे से क्षेत्र को हटा दिया जाए। इन क्षेत्रों का समयबद्ध तरीके से सर्वेक्षण और सीमांकन करना होगा। एफसी अधिनियम के दायरे से ऐसे क्षेत्रों को हटाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रतिपूरक वनरोपण की शर्त को माफ करने पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के भुगतान पर भी जोर नहीं दिया जा सकता है।

माननीय न्यायालय द्वारा सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमिटी की गई तीसरी सिफारिश करते हुए निर्देश दिये गये कि राजस्थान में बड़े क्षेत्र शुष्क क्षेत्र हैं, जो कम वनस्पति, घास के मैदान या पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देते हैं, जिनमें बहुत कम बड़े पेड़ हैं। इनमें से कई क्षेत्र जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न रूपों जैसे घास, भूमि, चट्टानी चट्टानें, पथरीले रेगिस्तान आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें ''वन भूमि'' माना जाना चाहिए। राजस्थान राज्य वन विभाग, शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान (AFRI), केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) और विभिन्न विभागों और विशेषज्ञ निकायों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा, जो विभिन्न प्रकार के रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी। ऐसे क्षेत्रों को भी ''मान्य वन'' की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, भले ही ऐसे क्षेत्रों में कोई भी वनस्पति हो। समिति इस उद्देश्य के लिए एक तर्कसंगत मानदंड अपना सकती है और छह महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है।

□□□

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या-अपील डिक्री/टीए/191/2022/टोंक

1. अब्दुल शकूर उर्फ अहमद मियां पुत्र अब्दुल सत्तार,
2. अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल सत्तार (मृतक) जरिये वारिसान व अन्य

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. जमील अहमद खां पुत्र नौशे खां व अन्य **.....प्रत्यर्थीगण**

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः

श्री वैभव कृष्ण पारीक, अधिवक्ता अपीलांन्ट्स

श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 13.02.2025

अपीलांट्स द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 15/2020 बउनवानी अब्दुल शकूर वगैरह बनाम जमील अहमद वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांन्ट्स/वादीगण ने रेस्पोंडेंन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत वास्ते खातेदारी घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष पेश किया। उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 प्रस्तुत कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। विचारण

न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 11.02.2020 के द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांट्स का वाद खारिज किया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2020 के विरूद्ध अपीलांन्ट्स/वादीगण द्वारा भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 07.12.2021 को खारिज की। विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णयों से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स/वादीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया कि उन्होंने किस आधार पर एवं किस कारण से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का विवादित आदेश प्रदान किया है। जबकि अपीलीय न्यायालय को अपने निर्णय में सभी तथ्य एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिये था। इसलिये अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट्स ने जिन तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें वादीगण ने अपने दावे में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि बेचाननामा दिनांक 28.03.1970 पूर्णतया वॉइड एब इनिशियो एवं वादीगण के अधिकारों के प्रति प्रभावविहीन है, क्योंकि बेचाननामा दिनांक 28.03.1970 अब्दुल सत्तार द्वारा नहीं किया गया था। इसलिये वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सुनने का अधिकार विचारण न्यायालय को था। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 के पिता के पक्ष में जो बेचान दिनांक 28.03.1970 का बताया गया है, उस दिन अब्दुल सत्तार विवादित भूमि का खातेदार एवं काश्तकार नहीं था। इसलिये अब्दुल सत्तार को विवादित भूमि का विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। इसलिये बेचान दिनांक 28.03.1970 पूर्णतया वॉइड एब इनिशियो एवं वादीगण के अधिकारों के प्रति प्रभावहीन है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अब्दुल सत्तार के हक में जरिये नामांतकरण संख्या 425 दिनांक 20.12.1978 को प्रथम बार भूमि की खातेदारी का इंद्राज हुआ

था, उस समय तक नौशे खां द्वारा दिनांक 28.03.1970 को अब्दुल सत्तार खां द्वारा स्वयं के हक में वादग्रस्त आराजियात बेचान किये जाने के तथ्य को उजागर नहीं किया है। और उसके पश्चात् दिनांक 26.12.1978 को अपने हक में अब्दुल सत्तार द्वारा बेचाननामा किया जाना बताते हुए जरिये नामांतकरण संख्या 426 भूमि का इंद्राज उनके द्वारा अपने हक में गलत रूप से कराया गया था। इससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि बेचान दिनांक 28.03.1970 का बताया जाता है तथा अब्दुल सत्तार को खातेदारी दिनांक 20.12.1978 एवं नौशे खां को खातेदारी दिनांक 26.12.1978 को बताई जाती है। इससे यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि जो बेचान किया गया है वह अब्दुल सत्तार द्वारा नहीं किया गया है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि रेवेन्यू न्यायालय को वॉइड एब इनिशियो बेचाननामे को निरस्त एवं वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध प्रभावहीन घोषित करने का अधिकार है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया है एवं वाद खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में धारा 90 साक्ष्य अधिनियम को आधार मानकर विवादित निर्णय प्रदान किया है जबकि यह प्रावधान वादीगण अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद पर लागू नहीं होते थे। राज0 काश्त0 अधि0 के प्रावधानों के अंतर्गत वादीगण अपीलांट्स को अपने अधिकारों की अधिघोषणा बाबत् वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हैं जिसके लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है और अधी0 न्याया0 को वॉइड एब इनिशियो बेचाननामें को वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध प्रभाव शून्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त है तथा अधी0 न्याया0 ने इस संबंध में वादीगण अपीलांट्स द्वारा अलग से उक्त दावे को निरस्त करते हुए कार्यवाही किए जाने की बात गलत रूप से अंकित करते हुए दावा वादीगण खारिज किया है। अधी0 न्याया0 में वादीगण/अपीलांट्स ने जो दावा प्रस्तुत किया था उसको सुनने का हक व अधिकार अधी0 न्याया0 को था तथा अधी0 न्याया0 द्वारा केवल वादी के दावे को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था जबकि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों में नहीं आता है क्योंकि वादी ने दावा अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया था, जिसको सुनने का पूर्ण अधिकार राजस्व न्यायालय को था। इसके उपरांत भी अपीलीय न्यायालय ने विवादित आदेश पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में 2023 आरबीजे पेज 757 पैरा संख्या 12, 2023 (4) डीएनजे एससी पेज 1312, 2015 डीएनजे एससी पेज 242, 2022-23 सप्लीमेंट आरआरटी पेज 354, 2018 डीएनजे पेज 180, 2016 (3) डीएनजे राज0

एचसी पेज 1208, 1984 आरआरडी एचसी पेज 280, 1995 आरआरडी पेज 532, 2018 (1) आरआरटी पेज 584 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए। अत: अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.12.2021 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2021 को निरस्त किया जावे तथा वादीगण/ अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दावा को पुन: नंबर पर लिया जाकर सुनवाई किया जाकर गुणावगुण आधार पर निर्णय पारित किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने लिखित बहस पेश निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। आगे तर्क दिया कि विवादित भूमि महरूम अब्दुल सत्तार के नाम खातेदारी में रही है जो उन्हें अपने पिता के फौत होने पर जरिए विरासत प्राप्त हुई है। मुस्लिम विधि में खातेदार संपूर्ण हक अधिकार रखता है महरूम अब्दुल सत्तार के वादीगण/ अपीलांट वारिसान मानकर आ रहे हैं। अब्दुल सत्तार ने दिनांक 28.03.1970 को संपूर्ण आराजीयात को प्रतिवादीगण/रेस्पों0 के पिता नोशे खां को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा बेचान कर दी थी जिसकी पालना में राजस्व रिकार्ड में नोशे खां तथा उसके बाद प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज होकर काबिज काश्त है। वाद विवादित अराजीयात को पुश्तैनी बताते हुए प्रतिवादीगण के पिता के पक्ष में किए गए पंजीकृत विक्रय पत्र को फर्जी बताकर प्रभावहीन एवं वॉइड एब इनिशियो घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया गया तथा विक्रय पत्र निरस्त होने पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया है। इस प्रकार मुख्य अनुतोष विक्रय पत्र को निरस्त करवाना है जिसमें खातेदारी उद्घोषणा बाबत् कोई कथन नहीं है, जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है तथा सिविल न्यायालय के समक्ष विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु वाद पेश करने की मियाद विक्रय पत्र के निष्पादन से मात्र 3 वर्ष होने से वाद मियाद के बिन्दु पर काबिल खारिज है। प्रतिवादीगण के पिता के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र पंजीकृत विक्रय पत्र होकर 50 वर्ष अधिक पुराना है। जिसकी सत्यता धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत संदेह से परे है तथा मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार की अवधारणा, कोपासनरी सिद्धांत, बाई बर्थ पुश्तैनी हक अधिकार बाबत् कोई प्रावधान नहीं है बल्कि मुल्ला के अनुसार धारा 51, 52, 56, 57 के तहत इस प्रकार के हक अधिकार प्राप्त करना प्रतिबंधित है। इस प्रकार जब वादीगण के पिता अब्दुल सत्तार द्वारा विवादित आराजीयात को प्रतिवादीगण के पिता नोशे खां को कतई बेचान कर दिया गया तो पंजीकृत विक्रय पत्र के

रहते उक्त वाद पोषणीय नहीं है तथा किसी अन्य आधार पर खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। विद्वान अधिवक्ता रेस्पों0 ने अपने कथनों के समर्थन में 2003 आरआरटी पेज 709, 2002 आरआरटी पेज 752 माननीय उच्च न्यायालय, 2019 आरआरटी पार्ट 1 पेज 43, 2003 आरबीजे पेज 434, 2021 पार्ट 1 डीएनजे रेवे0 पेज 421, 2004 एआईआर सुप्रीम कोर्ट पेज 1801, 2020 पार्ट 2 एएलटी पेज 68, 2019 एआईआर सुप्रीम कोर्ट पेज 1430 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया।

7. प्रकरण में गुणावगुण आधार पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स/वादीगण ने रेस्पोंडेंट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय में एक राजस्व वाद पत्र बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इंद्राज तथा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 5329 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नबर 6425 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम टोंकशर्की तहसील व जिला टोंक में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजियात का इंद्राज प्रथम बार जरिये नामांतकरण संख्या 425 दिनांक 15.12.1978 को पटवारी की फौती रिपोर्ट पर दिनांक 20.12.1978 को वादीगण के पिता अब्दुल सत्तार के नाम तस्दीक किया गया। अब्दुल सत्तार का दिनांक 17.07.1990 को मुकाम टोंक में देहांत हो गया है। वादीगण के पिता के नाम नामांतकरण संख्या 425 के पश्चात् प्रतिवादीगण के पिता नौशे खां पुत्र कल्लू उर्फ अब्दुल हकीम के हक में श्री अब्दुल सत्तार द्वारा दिनांक 23.03.1970 को तथाकथित रजिस्ट्री के आधार पर दिनांक 26.12.1978 को नामांतकरण संख्या 426 तस्दीक किया गया है। उक्त नामांतकरण संख्या 426 फर्जी बेचानानामा के आधार पर प्रतिवादीगण के पिता के नाम तस्दीक कराया गया है। अत: वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण/रेस्पों0 एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है क्योंकि हस्तगत वाद में वादीगण अपने अभिवचन में यह स्वीकार करते हैं कि वादग्रस्त आराजी को क्रेता नौशेखां ने वादीगण के पिता अब्दुल सत्तार से दिनांक 26.06.1970 को क्रय कर लिया था तथा संपूर्ण प्रतिफल राशि क्रेता से प्राप्त कर ली थी, परन्तु यह अभिवचन भी कहते हैं कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अब्दुल सत्तार खां ने क्रेता नौशेखां के

पक्ष में निष्पादित नहीं किया है। नौशेखां के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में वर्णित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात पंजीबद्ध किया है जिस पर अब्दुल सत्तार खां के हस्ताक्षर मौजूद हैं तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में नौशेखां के नाम हल्का पटवारी द्वारा नामांतकरण भरा गया। वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नौशेखां के नाम अमल दरामद हुई है तथा उक्त विक्रय पत्र आज दिवस तक अस्तित्व में है, जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त, शून्य या अकृत घोषित नहीं किया गया है तथा किसी भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की वैधानिकता या अंतर्वस्तु को जांचने या परखने का क्षेत्राधिकार संबंधित सिविल न्यायालय को है ना कि राजस्व न्यायालय को। यह भी कथन किया कि विक्रय पत्र सन् 1970 का है जो लगभग 50 वर्ष पुराना है जिससे उसकी सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है । उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 11.02.2020 के द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पों0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांट्स का वाद खारिज किया है। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.12.2021 के द्वारा अपीलांट्स की प्रथम अपील खारिज की है। अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध वादीगण/अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

८. पत्रावली एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के अवलोकन से यह तथ्य उभरकर आया है कि विवादित भूमि का फौतगी का नामांतकरण संख्या 425 दिनांक 20.12.1978 को वादीगण के पिता अब्दुल सत्तार के हक में तस्दीक किया गया है जबकि रेस्पों0 के पिता नौशे खां के नाम विवादित आराजियात का पंजीकृत विक्रय पत्र अब्दुल सत्तार द्वारा दिनांक 28.03.1970 को किया गया है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 के नाम नामांतकरण संख्या 426 दिनांक 26.12.1978 को स्वीकृत किया गया है। अब्दुल सत्तार के नाम खातेदार अब्दुल कुदुस की फौतगी के आधार नामांतकरण भरा गया है किन्तु उक्त नामांतकरण में खातेदार अब्दुल कुदुस की मृत्यु दिनांक अंकित नहीं है ना ही दोनों पक्षों द्वारा मूल खातेदार अब्दुल कुदुस की मृत्यु किस दिनांक को हुई है इस बाबत् कोई कथन एवं साक्ष्य पेश किया है। यह जांच का विषय है क्या मूल खातेदार अब्दुल कुदुस की मृत्यु रेस्पों0 के पिता नौशे खां को किये गये तथाकथित विक्रय पत्र से पूर्व हो चुकी थी। इस तथ्य का निस्तारण उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर

प्रदान कर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रेस्पों0 ने जो तथ्य प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत उठाये हैं उस संबंध में विचारण न्यायालय को तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णीत करना चाहिये ना कि तकनीकी आधार पर। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णीत करना चाहिये। किन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर वादीगण का वाद तकनीकी आधार पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपील खारिज करने में त्रुटि कारित की है, जिसे विधिसम्मत निर्णय नहीं माना जा सकता हैं। हम न्यायहित में प्रकरण का गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा परीक्षण कराया जाना न्यायोचित समझते है। अत: अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होकर प्रकरण उपरोक्तानुसार विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

9. परिणामत: अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है। भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय 07-12-2021 तथा उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-02-2020 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे वाद में आवश्यक तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1988/2023/डूंगरपुर

1. श्री गटुनाथ पिता कुरीया व अन्य

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती तुलसी पुत्री कोदरा रावल जोगी निवासी आंतरी हाल ई-9, अशोक नगर हाउसिंग बोर्ड डूंगरपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डूंगरपुर **.....प्रत्यर्थीगण**
3. श्रीमती गीता पत्नी स्व0 लक्ष्मणनाथ रावल जोगी निवासी आंतरी तहसील व जिला डूंगरपुर।
4. श्रीमती कमला पुत्री सवजी रावल जोगी पत्नी हीरनाथ रावजी जोगी निवासी गड़ा अरिनिया तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर।

.........प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित:

श्री उत्तमप्रकाश आमेटा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री अजीत लोढ़ा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

दिनांक: 20.02.2025

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15-1-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पों0 स. 1

तुलसी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी डूंगरपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष केसु जी थे। जिनके 5 संतान हुई। जिनमें 3 पुत्र क्रमशः कुरीया, कोदरा व सवजी तथा 2 पुत्रियां मोगी व नानू हुई। कुरीया, सवजी व नानू की मृत्यु हो गई। कुरीया के 3 पुत्र गटुनाथ व मोहननाथ हुये तथा तीसरे पुत्र लक्ष्मणनाथ की मृत्यु होने से उसके वारिस पत्नि प्रतिवादी सं. 4 गीता व पुत्री संगीता व आरती प्रतिवादी सं. 5 व 6 है। सवजी के तीन पुत्र प्रतिवादी सं. 6,7,8 हुये। सवजी की पुत्री प्रतिवादी सं. 9 अपने ससुराल में रह रही है। केसु की पुत्री मोगी भी अपने ससुराल में रह रही है। मोगी द्वारा हक त्याग दिनांक 2-6-07 को वादिया के पिता कोदरा के पक्ष में किया गया। वादिया के पिता कोदरा का पुत्र नहीं होकर पुत्रियां वादिया, तुलसी, पार्वती व शांता है। वादिया के पिता कोदरा ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28-12-2010 से अपने हिस्से की भूमियों का विक्रय वादिया को कर दिया। इस प्रकार वादिया गांव आतरी के विवादित आराजीयात खेत 16 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा में से 1/2 हिस्से की खातेदार है। वादिया को विवादित आराजी में 1/2 हिससे की खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक विवाद्यक कायम करते हुये विस्तृत विवेचन व विश्लेषण से वादी/रेस्पो0 सं.1 का वाद स्वीकार कर दिनांक 2-4-2016 से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी/अपीलार्थी सं. 1 से 5 व प्रत्यर्थी रेस्पोडेंट सं. 3 व 4 ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी की प्रथम अपील अपने निर्णय दिनांक 15-1-2018 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये हस्तगत् अपील को तकनीकी बिन्दु के आधार पर निर्णीत करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझते हुये अपीलार्थी द्वारा हस्तगत् अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। वादिया द्वारा वाद का मुख्य आधार यह लिया है कि कोदरा की बहन मोगी द्वारा कोदरा के हक

में अपना हक त्याग कर दिया तथा कोदरा द्वारा वादिया को भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बेच दी, जिसमें उसका 1/2 हिस्सा है। विचारण न्यायालय ने शहादत का विवेचन नहीं किया। शहादत में स्पष्ट था कि वादिया के पति ने मोगी के अंगूठा निशानी कराकर हक त्याग कराया जिसकी जानकारी स्वयं मोगी को भी नहीं थी। वादिया का पिता कोदरा बीमार था एवं वह वादिया के पास रहता था। विक्रय पत्र दिनांक 28-12-2010 का है तथा कोदरा का देहांत 10-3-2011 को हो गया। ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण दिनांक 5-1-2011 को विक्रय के 7 दिवस बाद भरा गया। विचारण न्यायालय ने परीक्षण नहीं किया कि विवादित आराजी मौरूसी थी ऐसी स्थिति में कोदरा की अन्य पुत्रियां होने से वह अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय करने का अधिकार नहीं रखता था। वादिया ने षड्यंत्रपूर्वक अपने पति के साथ मिलकर मोगी के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर अंगूठा निशानी से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया। तत्पश्चात् अपने पिता कोदरा के बीमार होने का लाभ उठाकर विक्रय पत्र निष्पादित करा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लिया। विचारण न्यायालय ने प्रकरण का विधिवत् परीक्षण नहीं कर केवल गलत आधार पर हुये इंद्राजात को सही मान वादिया का वाद डिक्री करने में भारी भूल की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को मियाद बाहर मानते हुये संक्षिप्त में गुणावगुण पर सरसरी तौर से खारिज की है। अपीलीय न्यायालय का यह मानना कि हक त्याग एवं विक्रय पत्र पंजीयन दस्तावेज है जिसे सिविल न्यायालय से अवैध घोषित कराये बिना वादी की रेस्पोंडेंट्स मोगी व कोदरा के स्थान पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने में विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष विधि के विपरीत है। क्योंकि कोदरा को प्राप्त सम्पत्ति मौरूसी थी एवं कोदरा की अन्य पुत्रियां शान्ता व पार्वती मौजूद थी। ऐसी स्थिति में कोदरा अपने हक से अधिक हिस्से का विक्रय नहीं कर सकता था। क्योंकि उसके नाम अंकित भूमि में उसकी तीन पुत्रियों का भी हक हिस्सा निहित था। विक्रय के पूर्व उसकी अन्य पुत्रियों को इसकी जानकारी नहीं होना स्पष्ट रूप से अपने बयान में कथन किया है। इसलिये विक्रय पत्र शून्य होने से उसे सिविल न्यायालय से निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है। हक त्याग भी संदेहास्पद है। विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकियों का निस्तारण समुचित रूप से नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलीय प्राधिकारी का मियाद के सम्बंध में आदेश तकनीकी बिन्दु पर है। अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी अनुसार तनकीवार विवेचन व विश्लेषण नहीं किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए प्रत्यर्थी वादीगण का वाद नियमों के विरूद्ध स्वीकार कर

डिक्री किया है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जायें।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विवादित आराजी मोगी द्वारा अपने भाई कादरा के पक्ष जरिये रजिस्टर्ड हक तर्कनामा त्याग की गई थी तथा वादिया द्वारा कोदरा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28-12-2010 को प्रतिफल राशि अदा कर कोदरा के हिस्से की भूमि को क्रय किया। वादिया रिकॉर्डेड खातेदार होकर सद्भावी केता है तथा क्रय दिनांक से विवादित आराजी पर काबिजकाश्त चली आ रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादी/रेस्पों0 का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी इसका समर्थन करते हुए अपीलार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया है। जब अपीलीय न्यायालय का निर्णय विचारण न्यायालय के निर्णय के समर्थन में हो तो आदेश 41 नियम 31 के अनुसार तनकीवार विवेचन व विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसमें अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे।

5. उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी/रेस्पो0 सं. 1 तुलसी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी डूंगरपुर ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए वादी का वाद निर्णय दिनांक 22-4-2016 से डिक्री कर दिया, जिसकी प्रथम अपील, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक 15-1-2018 से न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा खारिज किए जाने से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

7. वादिया एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष केसु की 5 संतान, जिनमें 3 पुत्र क्रमशः कुरीया, कोदरा व सवजी तथा 2 पुत्रियां मोगी व नानू थे। केसु की पुत्री मोगी द्वारा हक त्याग दिनांक 2-6-07 को वादिया के पिता कोदरा जोकि उसका भाई है, के पक्ष में किया गया। वादिया के पिता कोदरा का पुत्र नहीं होकर पुत्रियां वादिया तुलसी, पार्वती व शांता है। वादिया के पिता कोदरा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28-12-2010 से अपने हिस्से

की भूमियों का विक्रय वादिया को किया जाना स्पष्ट है तथा वह विक्रय विलेख के आधार पर दिनांक 5-1-2011 से राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णीत करते हुये विवादित आराजी रकबा 7.16 बीघा में वादिया का 1/2 हिस्सा दस्तावेज प्रदर्श-3 से सहखातेदार के रूप में प्रमाणित मानते हुये बंटवारे का अधिकारी माना है। विवाद मोगी द्वारा अपने भाई कोदरा के पक्ष में किये गये पंजिकृत हक त्याग तथा कोदरा द्वारा वादिया के पक्ष में किये गये पंजीकृत विक्रय विलेख को लेकर है। कोदरा द्वारा वादिया के पक्ष में किये गये पंजीकृत विक्रय विलेख के सम्बंध में वादिया की बहन पार्वती व शांता ने कोई आपत्ति नहीं की है। इस विक्रय विलेख के सम्बंध में अपीलांट को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। अपील में मुख्य अवधार्य विधिक बिन्दु यह है कि क्या हक त्याग एक सहखातेदार के पक्ष में किया जा सकता है तथा क्या इस तरह के हक त्याग से अन्य सहखातेदारों के हक त्यागकर्ता के हिस्से में अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इस सम्बंध में एआईआर 2003 आंध्रप्रदेश पेज 498 के न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया जाना समीचीन है:-

AIR 2003 ANDHRA PRADESH PAGE 498

(D) Transfer of Property Act (4 of 1882), S. 5 - Release deed-Made in favour of some of co-parceners- would enure to benefit of all other co-parceners and not only in fovour of those co-parceners in whose favour release was made.

20. The use of word "release" in Ex.A1 has lot of significance. "Release" of a right in a property is not the same thing as creating a right, for the first time, in a property by one person to another. "Release" implies the 'releasee' having a pre-existing right in the released property. If the release has no right in the released property, there can be no question of 'release' of his right by the 'releasor' in favour of the 'releasee'. If a right is to be created for the first time in a property, it can only be done by way of a sale or gift or exchange, but not by way of 'release'. The fact that first defendant 'released' his right in the plaint schedule property in favour of first plaintiff and fourth defendant, shows and implies that first defendant knew that first plaintiff and fourth defendant also have a right in the plaint schedule property and for that reason only he 'released' 'his right in the property in their favour. Since first defendant "released" his right in the plaint schedule property in favour of first plain-

tiff also, who never claimed that he made a countribution in acquiring the plaint schedule property, it means and shows that first defendant acknowledged the fact that the plaint schedule property is the joint family property of the parties. As held in Subbanna v. Bala Subba Reddi, ILR 1945 Madras 610 : AIR 1045 Madras 142 (FB) by a full Bench of Madras High Court, *renouncement of a coparcenary right in favour of one or more coparceners would enure to the benefit of all the other coparceners but not merely the coparcener or coparceners in whose favour the renouncement or release was made. So, the release made by the first defendant in favour of first plaintiff and fourth defendant under Ex.A. 1 enures to the benefit of all the other coperceners also, but not merely to first plaintiff and fourth defendant.*

8. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक विशिष्ट सहखातेदार के पक्ष में किये गये हकत्याग को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता तथा ऐसे हकत्याग (release) से हकत्यागकर्ता का हिस्सा शेष सभी सहखातेदारों में निहित हो जाता है। अत: हमारे विनम्र मत में किसी विशिष्ट सहखातेदार के पक्ष में किये गये हकत्याग से हकत्यागकर्ता के हिस्से की भूमि के अधिकार केवल जिसके पक्ष में हकत्याग किया गया, उसको ही नहीं अपितु अन्य सहखातेदारों को भी प्राप्त होते हैं। यह निर्विवाद है कि केसू के खातेदारी भूमि में उसकी पुत्री मोगी का भी पूर्ववर्ती अधिकार (pre Existing right) था। मोगी द्वारा दिनांक 2-6-07 को अपने भाई कोदरा के पक्ष में किये गये हकत्याग से मोगी के हिस्से की भूमि में केवल कोदरा को ही अधिकार प्राप्त नहीं होते, अपितु अन्य सहखातेदारों कुरिया व सवजी को भी अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी डूंगरपुर के निर्णय की पुष्टि किया जाना न्यायोचित नहीं है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर ने भी उक्त तथ्यों पर ध्यान न देते हुए अपने निर्णय दिनांक 15-1-2018 से योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में त्रुटि कारित की है। अत: योग्य विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी डूंगरपुर का आक्षेपित आदेश 2-4-2016 एवं योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर का निर्णय दिनांक 15-1-2018 अपास्त किए जाने योग्य है।

9. परिणामत: अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर योग्य विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी डूंगरपुर का आक्षेपित आदेश 2-4-2016 एवं योग्य प्रथम

अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर का निर्णय दिनांक 15-1-2018 अपास्त किए जाते हैं एवं विवादित आराजी में वादिया को 1/3, प्रतिवादी सं. 1 से 5 को 1/3 व प्रतिवादी सं. 6 से 9 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को प्रेषित की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे एवं पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या- अपील डिक्री/टीए/17/2024/अजमेर

1. राजेन्द्र कुमार राठौड़ पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण राठौड़ व अन्य

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती शकुन्तला पत्नि स्व0 मिट्ठनलाल व अन्य **.....प्रत्यर्थीगण**

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः

श्री अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री गिरीश पारीक, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सं0 1 लगायत 6

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 25.03.2025

अपीलांट्स द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपीलसंख्या 19/1998 बउनवानी मिट्ठनलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वज मिट्ठनलाल, छोटी देवी व स्व0 सत्यनारायण ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में राजस्थान सरकार के विरूद्ध वास्ते उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अजमेर थोक मालियान तहसील व जिला अजमेर के खसरा नंबर 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3089, 3090/1 एवं 3090/2 कुल किता 8 कुल रकबा 4 बीघा

11 बिस्वा भूमि वादीगण एवं उनके पूर्वज की मौरूसी काश्त की भूमि है जिस पर वे काबिज चले आ रहे हैं तथा वादीगण के पिता दुर्गालाल माली के नाम से अधिकार अभिलेख जमाबंदी चौसाला संवत् 2020 से 2023 में शिकमी काश्तकार की हैसियत से दर्ज है जिसका लगान भी वादीगण द्वारा ही अदा किया जाता है। वादीगण के पिता के फौत होने के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के तहत वे आराजी के खातेदार हो गये हैं। अत: उन्हें आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी राज0 सरकार को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया । विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.1997 के द्वारा हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6/वादीगण का वाद खारिज किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण/हाल प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.1999 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजी खसरा नंबर 3084 रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 3085 रकबा 5 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील मय धारा 96 जा0 दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्रों के मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा खसरा नंबर 3084 में से 437.29 वर्गगज भूमि का भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1989 के द्वारा क्रय किया था तब से उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीगण/अपीलांट्स बतौर मालिक स्वामी काबिल चले आ रहे हैं, इसलिये प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार हैं जिनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अतिआवश्यक है। अपीलांट्स हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद भी उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया

है इसलिये हितबद्ध पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान कर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि हाल प्रत्यर्थीगण के पूर्वज ने अपीलांट्स को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया था इस कारण उन्हें आक्षेपित निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 15.05.1999 की जानकारी प्रथम बार दिनांक 03.10.2023 को पुलिस अनुसंधान कार्यवाही जिसमें पुलिस द्वारा धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही अमल में लायी गयी है, से हुई। तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने अधिवक्ता से संपर्क कर कानूनी सलाह अनुसार दस्तावेजात की नकलें प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील प्रस्तुति में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील के गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.1999 न्याय, नियम व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। हाल प्रत्यर्थीगण के पूर्वज मिट्ठनलाल, सत्यनारायण व मु0 छोटीदेवी के द्वारा जानबूझकर प्रस्तुत प्रकरण में हाल अपीलांट्स व अन्य को पक्षकार बनाये बिना वाद व अपील प्रस्तुत की थी, जबकि उन्हें यह पूर्ण रूप से जानकारी थी कि उक्त भूमि माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अजमेर के निर्णय दिनांक 18.05.1967 के द्वारा श्रीमती सेठानी मोहन कंवर के हक में पर्सनल प्रोपर्टी घोषित की जा चुकी थी। उक्त घोषणा राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के अधीन चले प्रकरण में श्रीमती सेठानी मोहन कंवर बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार की गयी थी। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पानमल पुत्र सेठ कानमल लोढ़ा द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 15.03.1973 के द्वारा खारिज कर दिया था। इस प्रकार उक्त भूमि में हितबद्ध पक्षकारों को जानबूझकर पक्षकार बनाये बिना एकतरफा में बाले-बाले आक्षेपित निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। बहस

में आगे कथन किया जब उक्त वादग्रस्त भूमि श्रीमती सेठानी मोहन कंवर की व्यक्तिगत सम्पति घोषित की जा चुकी थी तो राजस्व न्यायालयों को उक्त सम्पति के वाद की सुनवाई का अधिकार नहीं था फिर भी राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने उक्त आदेश दिनांक 15.05.1999 को पारित किया गया है। यदि प्रकरण में अपीलांट्स जो कि आवश्यक पक्षकार थे, को पक्षकार बनाया जाता तो उक्त तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों को आक्षेपित आदेश प्राप्त नहीं होता। वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने तथ्यों को छिपाकर उद्घोषणा की डिक्री प्राप्त की है। अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 3084 व 3085 पूर्व में ही श्रीमती सेठानी मोहन कंवर की पर्सनल प्रोपर्टी घोषित हो चुकी थी तथा उस पर कभी भी प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों का कब्जा नहीं रहा था जिसके आधार पर उन्हें उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कब्जे के अभाव में प्रत्यर्थीगण के पूर्वज किसी भी प्रकार से उद्घोषणा की आज्ञप्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष हाल प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों ने गलत तथ्य बताकर वाद व अपील प्रस्तुत की है जबकि उनकों पूर्व से यह जानकारी थी कि उक्त सम्पति सेठानी मोहन कंवर की पर्सनल प्रोपर्टी है। प्रत्यर्थीगण द्वारा एक अन्य सिविल वाद दिनांक 22.12.1986 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें लक्ष्मीनारायण की पत्नी कन्यादेवी भी पक्षकार थीं। उक्त वाद दिनांक 19.03.2010 को खारिज कर दिया गया जबकि इस सही तथ्य को छिपाकर दूसरी और वर्ष 1994 में एक नया वाद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष बाबत् उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश कर दिया जिसे उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने सही रूप से खारिज किया था। अपीलीय न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय को उलट करते हुए वादीगण/रेस्पों0 का वाद तनकीयात का विवेचन किये बिना आंशिक रूप से स्वीकार किया है जो आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से भी काबिल निरस्तनीय है। बहस में आगे कथन किया कि उक्त संपूर्ण सम्पति का कृषि उपयोग नहीं किया जा रहा है। पूर्व में भी वाद संख्या 55/93 जिसका निर्णय दिनांक 19.03.2010 को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सं0 5 अजमेर ने किया था। उक्त वाद में स्वयं शंकरलाल ने अपने बयानों में यह माना था कि जिस भूमि का दावा किया है उस पर लक्ष्मण, आर.सी.गुप्ता, मुक्तिराम, कपूरचंद जैन, ओ.पी. बंसल, किशन, महेश, कैलाश शर्मा, अमरचंद गांधी, बलवंतसिंह, मनोहर सक्सेना आदि के मकान बने हुए हैं एवं स्कूल भी चल रहा है तथा मकान

25 वर्षों से ज्यादा समय से बने हुए हैं तथा पूरी भूमि के केवल मात्र 550 वर्गगज के हिस्से पर खुद का मकान होना बताया है जिसके भी मालिकाना हक अधिकार के दस्तावेज स्वयं के पास नहीं होना बताया है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज का कभी भी उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। अपीलीय न्यायालय ने सरसरी तौर पर वादीगण/ प्रत्यर्थीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अत: अपील अपीलांट्स स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.1999 निरस्त किया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.1997 बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 के पूर्वज विवादित भूमि पर राजस्व रिकार्ड एवं जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2016 से 2019 व 2020 से 2023 में काश्तकार के रूप में दर्ज थे तथा उक्त भूमि बाद में सिवायचक दर्ज किये जाने से उक्त घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स के विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार निहित नहीं होने से हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नहीं होने से इन्हें विवादित भूमि बाबत् अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अत: अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किया जावे तथा अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। जहां तक धारा 5 मियाद अधि0 में अंकित कथनों का प्रश्न है कि अपीलांट्स को प्रारंभ से उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांट्स द्वारा इतनी भारी मियाद बाद अपील पेश की गई है। प्रार्थना पत्र में विलंब के संबंध में अंकित कथन ठोस एवं विश्वसनीय नहीं है। अत: अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने अपील के गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण के पूर्वज थोक-मालियान अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 3082, 3083, 3084, 3085, 3089, 3086, 3090/1, 3090/2 कुल किता 8 कुल रकबा 4 बीघा 11 के जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में एवं 2020 से 2023 में बतौर मौरूसी काश्तकार दर्ज है। अजमेर अबोलिएशन ऑफ इन्टर मिडीयेट्री एण्ड लेण्ड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 31 एवं जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 80 एवं राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 19 के तहत जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उस समय स्वमेव

खातेदार काश्तकार हो गये थे परन्तु हाल रिकार्ड में गलत तौर पर वादीगण को सुने बिना विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज कर दी गई। विवादित आराजियात पर कब्जा वादीगण का ही रहा है जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरियों से होती है। नायब तहसीलदार ने भी अपने जवाब में विवादित आराजी खसरा नम्बर 3082, 3083, 3086, 3089 व 3090 पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना बताया है तथा बकाया खसरा नंबर 3084 व 3085 खुदकाश्त घोषित नहीं होने से सिवायचक दर्ज होना बताया है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय रिकार्ड से परे जाकर पारित किया है जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से खारिज कर वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अत: अपील अपीलांट्स खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया। हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते हैं।

10. अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0 दी0 में अंकित किया है कि अपीलांट्स द्वारा खसरा नंबर 3084 में से क्षेत्रफल 437.29 वर्गगज भूमि का भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1989 को क्रय किया था तब से उक्त भूखण्ड पर बतौर मालिक स्वामी काबिज हैं। इसके बावजूद रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष विवादित आराजियात बाबत् प्रस्तुत वाद एवं अपील में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है। चूंकि अपीलांट्स ने विवादित आराजी खसरा नंबर 3084 में से भूखण्ड क्रय करना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नंबर बाबत् पारित निर्णय व डिक्री से अपीलांट्स के हक व अधिकार प्रभावित होना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

11. जहां तक धारा 5 मियाद अधि0 का प्रश्न है चूंकि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था जबकि अपीलांट्स ने विवादित भूमि खसरा नंबर 3084 में 437.29 वर्गगज का भूखण्ड दिनांक 01.06.1989 को क्रय

करने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से आक्षेपित निर्णय व डिक्री की जानकारी निर्णय व डिक्री की दिनांक को होना नहीं माना जा सकता है। अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं। अत: न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

12. जहां प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 एवं 2020 से 2023 में वादीगण के पिता दुर्गा माली की हैसियत आराजी जैर पर बतौर शिकमी काश्तकार दर्ज होना अंकित है जबकि वादपत्र के माध्यम से वादीगण का कथन आराजी जैर पर बतौर मौरूसी काश्तकार काबिज काश्त होना अंकित किया गया है। जहां तक शिकमी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रश्न है इस संबंध में विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि शिकमी काश्तकार किसी भी आराजी पर बतौर किरायेदार स्थापित रहता है अर्थात् निर्धारित समयावधि के लिए आराजी जैर पर बतौर काश्त करने के लिए अधिकृत रहता है ना कि वह बतौर खातेदार काश्तकार है । ऐसी स्थिति में शिकमी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रावधान विधि में निहित नहीं होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद विधिसम्मत् तरीके से खारिज किया गया था। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का आराजी जैर पर कब्जा काश्त संवत् 2014 से 2029 मानते हुए व अजमेर इंटरमिडीयेट्री एण्ड लेण्ड रिफोर्म एक्ट की धारा 31 एवं जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 29 के तहत खातेदार काश्तकार मानते हुए राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत खातेदार माना गया है। अपीलीय न्यायालय की उपर्युक्त व्याख्या राज0 काश्त0 अधि0 1955 की धारा 15-एएए के प्रावधानों के विपरीत की गई व्याख्या है क्योंकि राज0 काश्त0 अधि0 के उपरोक्त प्रावधानों के तहत किसी भी काश्तकार को खातेदारी अधिकार उसी स्थिति में प्रदान की जा सकती है जब वह राज0 काश्त0 अधि0 1955 के प्रभाव में आने की दिनांक अर्थात् संवत् 2012 अथवा उससे पूर्व आराजी जैर पर बतौर काश्तकार काबिज रहा हो। हस्तगत प्रकरण में चूंकि वादीगण का आराजी जैर पर कब्जा काश्त बतौर काश्तकार संवत् 2012 से पूर्व नहीं होना दस्तावेजी साक्ष्यों से परिलक्षित है एवं इसी अनुरूप वादीगण के पूर्वज आराजी जैर पर बतौर शिकमी काश्तकार काबिज काश्त होने के आधार पर वादग्रस्त

भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के मुस्तहक नहीं होने से द्वितीय अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है।

13. परिणामतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.1999 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.1997 यथावत् बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील डिक्री/टीए/1199/2011/हनुमानगढ़

1. महावीर व अन्य

बनाम

1. कमला व अन्य

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित:

श्री श्रीनिवास बेनीवाल – अभिभाषक अपीलांट्स

श्री अमृतपाल सिंह वानर
श्री शशिकान्त जोशी – अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स
श्री गौरव दवे

आदेश

दिनांक: 13.05.2025

1. हस्तगत् द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रथम अपील संख्या 19/2008 बउनवानी मु. कमला वगैरा बनाम महावीर वगैरा में पारित आदेश दिनांक 17-02-2011 जिसके माध्यम से रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 ता 3 की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण विधि विरूद्व तरीके से पुन: अधीनस्थ विचारण न्यायालय प्रतिप्रेषित किया गया है, के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही जाटान के खेत

खसरा नम्बर 314 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 358 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपीलांट्स के दादा मामचन्द की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि की वसीयत आराजी जैर के मूल खातेदार मामचन्द द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 14-02-1991 को निष्पादित कर दी गई थी। अपीलांट्स द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट्स के वादपत्र को इस आधार पर डिक्री किया गया कि तथाकथित वसीयत एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जोकि आज दिनांक तक अस्तित्व में है तथा इसके खण्डन में प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा मौखिक कथन के आधार पर वसीयत को नकारा गया है। जिसे स्वीकार नहीं करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को विधिसम्मत् तरीके से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आराजी जैर को मौरूसी भूमि मानते हुए मामचन्द के पुत्रों का जन्म से हक मानते हुए प्रकरण को पुन: सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने से व्यथित होकर उक्त द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपील पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स/वादीगण के दादा मामचन्द की खातेदारी भूमि रही है। उक्त आराजीयात् की वसीयत दिनांक 14-02-1991 को अपीलांट्स/वादीगण के हक में मामचन्द द्वारा निष्पादित कर दी गई थी, जोकि उपपंजीयक, भादरा द्वारा तस्दीकशुदा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बतौर वसीयतकर्ता अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित 9 तनकीयात् कायम की गईं जिसमें तनकी संख्या 1, तनकी संख्या 4 व 5 महत्वपूर्ण तनकीयात् रही है। जिन्हें साबित करने का भार क्रमश: वादी एवं प्रतिवादीगण पर था। अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया, जिससे यह स्पष्ट जाहिर था कि मामचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात् के संबंध में वसीयत निष्पादित की गई थी। इसी क्रम में तनकी संख्या 4 जिसके माध्यम से प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन किया गया था कि वादग्रस्त भूमि मामचन्द की स्वयं की पैदाकरदा भूमि न होकर पैतृक भूमि है, जिस पर जुगलाल का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उक्त कथन को साबित करने का भार प्रतिवादी जुगलाल पर था, परन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के आधार पर उक्त तनकीयात् प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गई। इसी क्रम में

तनकी संख्या 5 जिसके माध्यम से वसीयत को कूटरचित एवं अप्राकृतिक बताया गया है, के संबंध में भी कोई साक्ष्य अथवा वसीयत के निरस्तीकरण के संबंध में कोई कार्यवाही की गई हो का प्रमाण पेश नहीं किये जाने के आधार पर उक्त तनकीयात् भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय करते हुए मामचन्द की वसीयत के आधार पर आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। परन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौरूसी होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के बावजूद भी प्रकरण को बिना किसी ठोस आधार के पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपीलांट्स की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत बहाल रखा जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मामचन्द की स्वअर्जित सम्पति नहीं होकर मौरूसी भूमि रही है। जिस पर बतौर मामचन्द के पुत्र जन्म से अधिकार निहित होने के बावजूद भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा एक कूटरचित दस्तावेज अर्थात वसीयत के आधार पर आराजी जैर का खातेदार काश्तकार अपीलांट्स को घोषित किये जाने से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए व आराजी जैर मामचन्द की पैदाकरदा भूमि नहीं होने एवं संयुक्त मिताक्षरा परिवार की दादालाई जद्दी जायदाद खातेदारी काश्तकारी भूमि मानते हुए मामचन्द के पुत्र अमरसिंह, जुगलाल का जीवनकाल में जन्म से हक व अधिकार निहित होने के प्रश्न को दृष्टिगत् रखते हुए प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय के समक्ष उभय पक्षों की सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट्स की अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही जाटान के खेत खसरा नम्बर 314 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 358 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि भूमि अपीलांट्स के दादा मामचन्द की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि के बाबत् मामचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 14-02-1991 को वादीगण/अपीलांट्स के हक में निष्पादित की गई थी। जोकि उप-पंजीयक, भादरा द्वारा पंजीकृत एवं तस्दीक की गई

है। इस प्रकार वसीयत दिनांक 14-02-1991 एक पंजीकृत दस्तावेज है। अपीलांट्स/वादीगण द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित नौ तनकीयात् कायम करते हुए आराजी जैर के बाबत् निष्पादित पंजीकृत वसीयत के आधार पर वादीगण को 1/4-1/4 हक व हिस्से के खातेदार काश्तकार होने व आराजी जैर मामचन्द की स्वअर्जित भूमि होने के आधार पर वादपत्र को डिक्री किया गया है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को मौरूसी भूमि मानते हुए प्रकरण को पुन: विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है।

7. प्रकरण में जहाँ तक मामचन्द द्वारा दिनांक 14-02-1991 को वसीयत निष्पादित किये जाने का प्रश्न है, उक्त वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज है जोकि उप-पंजीयक, भादरा के द्वारा पंजीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत की वैधता पर प्रश्न-चिन्ह् नहीं लगाया जा सकता। प्रकरण में जहाँ तक रेस्पोंडेन्ट्स/प्रतिवादी की मुख्य आपत्ति यह रही है कि मामचन्द द्वारा किसी प्रकार की कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई तथा उक्त तथाकथित वसीयत एक फर्जी दस्तावेज है, परन्तु प्रकरण की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेस्पोंडेन्ट्स/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिससे यह जाहिर हो सके कि अपीलांट्स/वादीगण के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 14-02-1991 को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही सिविल न्यायालय के समक्ष की गई हो अथवा उक्त तथाकथित वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त ही किया गया हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स/वादीगण के पक्ष में मामचन्द द्वारा निष्पादित की गई वसीयत आज दिनांक तक एक अखण्डनीय दस्तावेज है तथा ऐसी अखण्डनीय वसीयत की वैधता पर राजस्व न्यायालय द्वारा कोई प्रश्नचिन्ह् नहीं लगाया जा सकता है।

प्रकरण में जहाँ तक रेस्पोंडेन्ट्स/प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि मामचन्द की स्व-अर्जित सम्पति नहीं होकर पैतृक सम्पत्ति रही है, उक्त कथन को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, परन्तु अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह जाहिर हो सके कि वादग्रस्त भूमि मामचन्द की स्व-अर्जित सम्पत्ति नहीं होकर एक मौरूसी भूमि रही हो। इसके विपरीत वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि मामचन्द की स्वअर्जित सम्पत्ति होने के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2053 प्रस्तुत की गई है। जिसके अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि उक्त आराजीयात् मामचन्द की खातेदारी की भूमि है। इस संबंध में वसीयतकर्ता द्वारा तथाकथित वसीयत में वर्णित सम्पत्ति को स्वयं की पैदाकरता भूमि बताई गई

है, खण्डन में प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा मामचन्द को उपरोक्त भूमि उसके पिता बालूराम से प्राप्त हुई हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त वसीयत के निष्पादन के समय गवाह रामकिशन (पीडब्ल्यू-2) ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्वीकार करते हुए कथन किया कि मामचन्द की जमीन जाटान की रोही में 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी तथा वाद भूमि मामचन्द की बोली में खरीदी हुई है। उपरोक्त तथ्यों से यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मामचन्द की स्वअर्जित सम्पत्ति रही है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर प्रकरण को बिना किसी ठोस एवं युक्तियुक्त कारण के पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने से हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8. परिणामतः अपीलांट्स की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-02-2011 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-03-2008 की पुष्टि की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार लौटाया जाये। निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर अभिभाषकगणों को दी जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील डिक्री/टीए/2510/2007/ बाँसवाड़ा

1. ललित कुमार

बनाम

1. जसवंत लाल

खण्डपीठ

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः

श्री सुनील पारीक, अधिवक्ता, अपीलार्थी

श्री एस.के. शर्मा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

आदेश

दिनांकः 02.05.2025

अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-304/2003 बउनवानी जसवन्तलाल बनाम नटवरलाल वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-02-2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेन्ट् संख्या 1 ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ के न्यायालय में एक राजस्व वाद बाबत् ग्राम डूंगरीपाड़ा स्थिति वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 60 रकबा 1.38 है0 व खसरा नंबर 116/1 रकबा 1.64 है0 कुल किता 2 रकबा 3.02 है0 प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के विभाजन की मांग की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या- 2 की ओर से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् परिवार के सदस्यों के मध्य सम्पादित पारिवारिक समझौते दिनांक

14-08-1980 के अनुसार डिक्री पारित की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे/काउण्टर क्लेम के आधार पर चार तनकियात् कायम करने, साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 21-11-2001 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 का पारिवारिक समझौते के अनुसरण में प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादपत्र को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी ने भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-02-2007 के माध्यम से अपील को स्वीकार करते हुए आराजी जैर को मौरूसी भूमि मानते हुए पक्षकारों के मध्य 1/3-1/3 हक हिस्से के विभाजन के आदेश प्रदान करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस विभाजन के आदेश पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम डूंगरीपाड़ा स्थिति वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 60 रकबा 1.38 है0 व खसरा नंबर 116/1 रकबा 1.64 है0 कुल किता 2 रकबा 3.02 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता हुक्मीचन्द की खातेदारी भूमि रही है। उक्त भूमि के बाबत् विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 209 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए विभाजन की मांग किये जाने पर अपीलांट् द्वारा जवाबदावा व काउण्टर क्लेम पेश करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार हुक्मीचन्द एवं परिवार के अन्य सदस्यों के मध्य दिनांक 14-08-1980 हुक्मीचन्द की चल व अचल सम्पति को लेकर पारिवारिक समझौता निष्पादित करते हुए सम्पत्ति का विभाजन किया जा चुका है। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 116/1 रकबा 1.64 हेक्टर भूमि अपीलांट् को अन्य भूमि खेत खसरा नम्बर 60 रकबा 1.38 हेक्टर भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को क्रमशः 1/2-1/2 हक व हिस्सा प्रदान करते हुए अन्य सम्पत्ति प्रदान की जा चुकी थी। उक्त आशय का जवाबदावा व काउण्टर क्लेम पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार जवाबदावा व काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात् कायम करते हुए व साक्ष्य का विवेचन करने के उपरान्त हुक्मीचन्द के परिवार के सदस्यों अर्थात स्वयं हुक्मीचन्द व अपीलांट् व रेस्पोंडेन्ट्स की सहमति के आधार पर निष्पादित पारिवारिक समझौते के अनुसरण में अपीलांट्/प्रतिवादी संख्या 2 के काउण्टर क्लेम को स्वीकार

करते हुए वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की गई थी। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं थी। प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 जसवन्तलाल पुत्र हुक्मीचन्द द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् निष्पादित पारिवारिक समझौते को एक पंजीकृत दस्तावेजी नहीं मानते हुए व साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं किये जाने का कथन करते हुए राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी के अनुसरण में वादग्रस्त भूमि हुक्मीचन्द के तीनों पुत्रों जसवन्तलाल, नटवरलाल व ललितकुमार को बहिस्सा बराबर अर्थात आराजी जैर का 1/3 - 1/3 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया। प्रकरण में अपीलीय न्यायालय की पारिवारिक समझौते को लेकर की गई व्याख्या विधिसम्मत् व्याख्या नहीं है क्योंकि जब वादग्रस्त भूमि के बाबत् मूल खातेदार हुक्मीचन्द व अन्य परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 14-08-1980 को पारिवारिक समझौता हो चुका है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा हुक्मीचन्द के जीवनकाल में उक्त समझौते के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, ऐसी स्थिति में यह स्वीकार्य तथ्य है कि हुक्मीचन्द स्वयं व अन्य पारिवारिक सदस्य उपरोक्त पारिवारिक समझौते से सहमत रहे हैं। प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त पारिवारिक समझौते को पंजीकृत एवं मुद्रांकित नहीं माना है जबकि पंजीयन एवं मुद्रांकित किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि हुक्मीचन्द की स्वअर्जित सम्पति होने व उक्त सम्पति का उनके जीवनकाल में ही परिवार के सदस्यों की सहमति के अनुसरण में बंटवारा होने के कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा पारिवारिक समझौते के संबंध में की गई व्याख्या विधि विरूद्ध है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर बतौर प्रतिवादी काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को खारिज करते हुए प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम को स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में विधिक रूप से अपीलीय न्यायालय के समक्ष वादपत्र के खारिज होने एवं काउण्टर क्लेम को स्वीकार किये जाने की स्थिति में पृथक-पृथक अपीलें प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। जबकि अपीलीय न्यायालय के समक्ष केवल मात्र वादपत्र के खारिजी आदेश के विरूद्ध एक अपील ही पेश की गई है, जोकि विधिक प्रावधानों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। लिहाजा अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-02-2007 अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21-11-2001 को यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2023 पार्ट III पेज 1026 व डीएनजे 2021 पार्ट I पेज 337 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् व रेस्पोंडेन्ट्स के पिता हुक्मीचन्द की खातेदारी भूमि रही है तथा हुक्मीचन्द की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि नामान्तरणकरण संख्या 297 दिनांक 01-06-2000 को विरासतन अपीलांट् व रेस्पोंडेन्ट्स के नाम दर्ज रिकार्ड किया गया। जिससे यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि पर हुक्मीचन्द की मृत्यु के उपरान्त सभी पुत्रों का बहिस्सा बराबर हक रहा है। उक्त तथ्य के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बहिस्सा बराबर विभाजन की मांग की गई थी। उक्त आशय का वादपत्र पेश किये जाने पर अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष काऊण्टर क्लेम के माध्यम से एक पारिवारिक समझौता प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र, जवाबदावा व काउण्टर क्लेम के आधार पर पारिवारिक समझौता जोकि एक अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित दस्तावेज रहा है, के आधार पर अपीलांट् का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए पारिवारिक समझौते के अनुसरण में निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में पारिवारिक समझौते को पंजीकृत एवं मुद्रांकित होना अनिवार्य मानते हुए व राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी के अनुसरण में वादग्रस्त भूमि पर हुक्मीचन्द के विधिक वारिसान अर्थात अपीलांट् व रेस्पोंडेन्ट्स का आराजी जैर के बाबत् हुक्मीचन्द के विधिक वारिसान का 1/3 -1/3 हक व हिस्सा मानते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा की गई व आराजी जैर के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन के आदेश विधिसम्मत् तरीके से प्रदान किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट् की अपील अस्वीकार का खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2010 पार्ट II पेज 981, आरबीजे 2019 पेज 101 व आरआरटी 2020 पार्ट I पेज 127 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस, आक्षेपित आदेशों एवं दौराने बहस प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में ग्राम डूंगरीपाड़ा स्थिति वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 60 रकबा 1.38 है0

व खसरा नंबर 116/1 रकबा 1.64 है0 कुल किता 2 रकबा 3.02 है0 भूमि के संबंध में वादी/ रेस्पोंडेन्ट् संख्या 1 ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के विभाजन की मांग इस आधार पर की गई थी कि आराजी जैर मूल रूप से वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता हुक्मीचन्द की खातेदारी भूमि रही है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का विरासतन नामान्तरणकरण संख्या 297 दिनांक 01-06-2000 को बतौर संयुक्त खातेदार स्वीकृत होकर दर्ज रिकार्ड रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की भूमि होने से आराजी जैर का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे। उक्त आशय का वादपत्र पेश किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आराजी जैर के बाबत् परिवार के सभी सदस्यों के मध्य सहमति से निष्पादित पारिवारिक समझौता के आधार पर प्रतिवाद (काउण्टर क्लेम) प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त आराजीयात् के बाबत् पारिवारिक समझौते के आधार पर वादपत्र के निर्धारण की मांग की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र, जवाबदावा एवं प्रतिवाद पत्र (काउण्टर क्लेम) के आधार पर तनकीयात् कायम करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवाद पत्र के आधार पर प्रस्तुत पारिवारिक समझौते पर किये गये अभिकथनों पर वादी को स्टोपल के सिद्धान्त पर इसे मानने के लिये बाधित होने तथा पारिवारिक समझौते को धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि ग्राम डूंगरीपाड़ा तहसील कुशलगढ़ के खसरा नम्बर 60 रकबा 1.38 हेक्टर भूमि वादी जसवन्तलाल तथा प्रतिवादी संख्या 1 नटवरलाल के नाम सह खातेदारी में अंकित करने एवं खसरा नम्बर 116/1 रकबा 1.64 हेक्टर भूमि विभाजन के तहत प्रतिवादी संख्या 2 ललितकुमार की खातेदारी में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर वादी जसवन्त लाल द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारिवारिक समझौते को पंजीकृत एवं अमुद्रांकित मानते हुए साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया गया व वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर मौरूसी दर्ज रिकार्ड होने के आधार पर आराजी जैर का वादी एवं प्रतिवादीगण को 1/3 - 1/3 हक व हिस्से के विभाजन का अधिकार मानते हुए अपील को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् निष्पादित पारिवारिक समझौते के संबंध में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत् द्वितीय अपील के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि:- क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारिवारिक समझौते को अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित मानते हुए जो

निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?

इस संबंध में हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी (Record of Rights) से यह तथ्य जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि हुक्मीचन्द की खातेदारी भूमि रही है। उक्त भूमि एवं हुक्मीचन्द की अन्य सम्पत्ति के बाबत् परिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित पारिवारिक समझौता दिनांक 14-08-1980 का अवलोकन किया। उक्त पारिवारिक समझौता पत्र दो रूपये के स्टॉम्प पर इस प्रकार अभिलिखित किया गया है कि ''आज मिती श्रावण सुदी 4 संवत् 2037 तारीख 14-08-1980 गुरूवार, हम लिखनेदार भटवरा जसवन्तलाल हुक्मीचन्दजी तथा नटवरलाल पुत्र हुक्मीचन्द जी व ललितकुमार हुक्मीचन्द जी निवासी खेटाबारी। हम हमारी राजीखुशी से तीनों भाई लिख देते हैं कि हमारी बापुती मीलकत का हिस्सा हम तीनों भाईयों ने सम्पूर्ण रूप से ले लिया है। जिसकी विगत नीचे अनुसार लिखी गई है।'' उक्त आशय का अभिलेखन करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता हुक्मीचन्द की तमाम निजी सम्पत्ति के संबंध में पारिवारिक समझौता निष्पादित किया गया व जिस पर परिवार के सभी सदस्यों यथा हुक्मीचन्द स्वयं, वादी जसवन्तलाल, प्रतिवादीगण नटवरलाल एवं ललितकुमार व माता तुलसी के हस्ताक्षर अंकित होते हुए बतौर गवाहान् हस्ताक्षर अंकित हैं। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् परिवार के सभी सदस्यों के मध्य आपसी सहमति से पारिवारिक समझौता दिनांक 14-08-1980 को निष्पादित करते हुए आराजी जैर का पृथक-पृथक रूप से विभाजन किया जा चुका था। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा उक्त पारिवारिक समझौते को साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करते हुए पारिवारिक समझौते के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिवाद पत्र (काउण्टर क्लेम) को स्वीकार किया गया है एवं इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय द्वारा पारिवारिक समझौते को पंजीकृत एवं मुद्रांकित नहीं मानते हुए साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाना न्याय संगत नहीं माना है। इस संबंध में सुसंगत विधि पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 एवं धारा 49 तथा पूर्व में प्रभावशील साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में प्रतिपादित विधिक स्थिति की रोशनी में यह स्पष्ट है कि पारिवारिक समझौते से उसके पक्षकार अपने द्वारा किए गए वचनों से विबंधित होते हैं। विधि किसी भी स्थिति में अपने वचनों को बदलने की अनुमति प्रदान नहीं करती है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पारिवारिक समझौते का पंजीकरण होना आवश्यक नहीं

होता है इसलिए पारिवारिक समझौते में पक्षकारों द्वारा अपने जिन वचनों के ऊपर सहमति जताई है उन वचनों को विधि बदलने की अनुमति प्रदान नहीं करती है एवं पारिवारिक समझौते का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं होने से वह साक्ष्य में ग्राह्य है। दस्तावेज के पंजीकरण का उद्देश्य लेखपत्र की शुद्धता बनाए रखना होता है जब पारिवारिक समझौते के पक्षकार पूर्व में जिन तथ्यों के बारे में सहमत हो गए थे उन तथ्यों से बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

प्रस्तुत प्रकरण में विधि के उपरोक्त सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2021 पार्ट I पेज 337 में प्रतिपादित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि:–

Ex. P - 6 can be construed only a memorandum of family settlement and no registration was necessary - Family settlement arrived at in 1970 and acted opon by the concerned parties - No registration is required - Clause (v) of sec. 17)(2) is attracted.

Imporant Point : Document executed later on to incorporate the terms already settled between the parties is a family settlement and no registration is necessary.

इसी क्रम में अन्य न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2023 पार्ट III पेज 1026 में भी इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि:–

Registration Act, 1908 Secs. 17 & 49 - Suit for partition filed by the plaintiff/petitioners and claimed 1/2 share - Respondent contended that 'N.L.' executed a Will and divided the property in four parts and there after executed a memorandum of family settlement on 20-08-1992 and no necessity of parition now-During the cross-examination of PW-1, the defendents submitted the memorandum for exhibiting in evidence - Petitioners objected that it is not a registered document and cannot be marked exhibit - Trial Court rejected the objection-property was self acquired property of father of the petitioners/plaintiff, respondent Nos. 1 & 2 father-in Law of respondent No. 3 and grand father of respondent Nos. 4 and 'N.L.' transferred the property by way of will - Held, Document in question is a memorandum of family settlement and not required to

be registered and stamped.

Imporant Point : If partition of property took place earlier and at a later state if reduced into writing to avoid dispute, document in question is not required to be registered or duly stamped.

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2020 पेज 3799 में भी विधि के उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत् रखते हुए अभिलिखित किया गया है कि:–

Registration Act (16 of 1908), S. 17(2)(v) - Registration of Document - Necessity - Document in question being memorandum of Family Settlement and not document containing terms and recitails of family settlement - Not required to be registered. (para 16, 18, 19) The settled legal position is that when by virtue of a family settlement or arrangement, Members of a family desending from a resolve their conflicting claims or disputed titles once and for all in order to buy peace of mind and bring about complete harmony and goodwill in the family, such arrangement ought to be governed by a special equity peculiar to them and would been forced if honestly made., in the present case the document was nothing but a memorandum of a family settlement. The established facts and circumstances clearly establish that a family settlement was arrived at in 1970 and also acted upon by the concerend parties. That finding of a fact recorded by the first appellate court being unexceptionable. It must follow that the document was merely a memorandum of a family settlement so arrived at, Resultantly, it was not required to be registered and in any case, keeping in mind the settled legal position.

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 115 के तहत पारिवारिक समझौते को साक्ष्य के रूप में गाह्य करते हुए पारिवारिक समझौते के पंजीकृत एवं मुद्रांकित नहीं होने के उपरोक्त विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत् रखते हुए उक्त पारिवारिक समझौते के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिवाद पत्र (काउण्टर क्लेम) को स्वीकार करते हुए वादपत्र को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय द्वारा पारिवारिक समझौते को पंजीकृत एवं

मुद्रांकित नहीं मानते हुए साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाना न्याय संगत नहीं मानते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित किया जाना परिलक्षित होने से अपीलार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणामत: अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 17-02-2007 अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 21-11-2001 यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर पर दर्ज कर प्रदान की जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

W.R.

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/5/2010/नागौर

1. शिवलाल पुत्र प्रेमाराम (मृतक) जरिये वारिसान :
   1/1 कमलादेवी पत्नी शिवलाल
   1/2 लालाराम पुत्र शिवलाल
   1/3 सरोज पुत्री शिवलाल
   1/4 सन्तोष पुत्री शिवलाल व अन्य

...... अपीलांट्स

बनाम

1. कृष्णसिंह पुत्र बेरीसालसिंह उर्फ उगमसिंह, जाति राजपूत, निवासी भीचावा, तहसील मकराना, जिला नागौर, हाल जोधपुर, जिला जोधपुर व अन्य

.....रेस्पोडेंट्स

खण्ड-पीठ

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

डॉ. महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थित :

श्री अजीत लोढ़ा, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स की ओर से।

श्री अविनाश माथुर, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2025

1.यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2009 को प्रकरण सं. 07/2002 में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित किया गया, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2.विद्वान् अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गई।

3.विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के दौराने बहस अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित कर अपने क्षेत्राधिकार का गंभीर रूप से उल्लंघन कर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। विपक्षीगण द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध एक अपील न्यायालय राजस्व अपील

प्राधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसे उन्होंने विधि विरुद्ध तौर पर दिनांक 20.11.2009 को स्वीकार कर वादी/अपीलाण्ट का वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधिवत् निर्णय को नजर में रखते हुए एवं उसमें अंकित तथ्यों एवं कानूनी स्थिति को पूर्णरूप से नजरंदाज करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत् प्रस्तुत प्रकरण से परे जाकर एवं पक्षकारों की प्लीडिंग से परे जाकर आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विपरीत तौर से विपक्षीगण संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत मियाद बाहर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों के आधार पर मानकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील को जानकारी से अन्दर मियाद माना है, जबकि इस सम्बन्ध में मौजूदा अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का स्पष्ट रूप से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया था एवं उस जवाब के साथ विपक्षीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील करने हेतु आवेदित नकल की प्रति भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष जवाब के साथ प्रस्तुत की गयी थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा मौजूदा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उसमें अभिकथित तथ्यों की भी पूर्णरूप से अनदेखी कर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मंजूर करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। मौजूदा अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया था एवं उसमें स्पष्ट तौर पर अंकित किया था कि विपक्षीगण द्वारा सोर्स ऑफ नोलेज का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं मौजूदा अपीलाण्ट द्वारा स्पष्ट अपनी जवाब दरख्वास्त धारा 5 में अन्य कथनों के साथ यह भी अंकित किया गया था कि विपक्षी कृष्ण सिंह ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 08.10.01 को मोहनलाल मेघवाल द्वारा दिये जाने पर हुआ एवं तदुपरांत नकलों के लिए मकराना भेजा। जबकि विपक्षी संख्या 1 द्वारा स्वयं दिनांक 09.10.01 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसका क्रमांक संख्या 343 था एवं दिनांक 10.10.01 को नकल तैयार कर दी गयी। परन्तु विपक्षीगण द्वारा जानबूझकर दिनांक 23.11.01 तक नकलें नहीं ली गयी एवं उनके द्वारा उक्त लापरवाह कनडक्ट बरतने का कोई संतोषजनक कारण भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अंकित नहीं किया गया एवं अपील लम्बे अन्तराम बाद दिनांक 14.01.02 को प्रस्तुत की गयी। फिर भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय

के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.03.97 के विरुद्ध 4 साल 10 माह बाद प्रस्तुत अपील को फौरी तौर पर अन्दर मियाद शुमार विधि विपरीत तौर पर मान लिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मौजूदा अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद बाहर होने के संबंध में उठायी गयी विधिक आपत्तियों का न्यायपूर्वक विनिश्चयन नहीं कर कयासों के आधार पर धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विपक्षीगण द्वारा दौराने अपील एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा. दी. का पेश कर उसके साथ बीजेसिंह व बैरीसाल सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये। जिसका सशपथ जवाब मौजूदा अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिया गया। परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का कोई हवाला अपने आक्षेपित निर्णय में नहीं दिया गया। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा केवलमात्र यह तथ्य अंकित करते हुए कि उक्त दस्तावेज बीजेसिंह व बेरिसाल सिंह की मृत्यु से संबंधित है। इस कारण अपील के निर्णय में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, मानते हुए दस्तावेजों को विधि विपरीत तौर पर एवं प्रक्रिया विपरीत तौर पर स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में यह कहते हुए कि मृतक व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और न ही डिक्री किया जा सकता है मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को शून्य प्रभावी माना, जबकि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा स्वीकृत विधिक स्थिति को पूर्णरूप से दरकिनार कर आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस कानूनी स्थिति पर गौर नहीं किया गया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अननोन परसन के विरुद्ध वाद दायर किया गया है, न कि मृतक पक्षकारों के विरुद्ध। फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति को पूर्णरूप से दरकिनार कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस विधिक स्थिति पर भी गौर नहीं किया गया कि विपक्षी कृष्णसिंह द्वारा कहीं भी विवादग्रस्त आराजीयात पर अपना कब्जा क्लेम नहीं किया गया। चूंकि वह इस तथ्य को भली भांति जानते थे कि विवादग्रस्त आराजीयात में उनके टिनेन्सी एक्सडींगविश हो चुकी है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के लिए यह लाजमी था अगर वे विचारण न्यायालय के निर्णय को रिवर्स करते हैं तो उन्हें अपने आक्षेपित निर्णय में स्पष्ट रूप से यह अंकित करना होगा कि वे किन कारणों एवं कानूनी आधारों पर विचारण न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट हैं तदुपरांत ही वे विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त कर सकते हैं परन्तु मौजूदा प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्यात्मक व विधिक स्थिति पर गौर

नहीं किया गया कि मौजूदा प्रकरण में विपक्षी संख्या 12 लगायत 15 के द्वारा कोई अपील या क्रोस ऑब्जेक्शन फाईल नहीं किया गया था। अपील केवल मात्र विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही की गयी थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2009 निरस्त फरमाया जाकर न्यायालय सहायक कलेक्टर मकराना का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.03.1997 बहाल रखे जाने के आदेश फरमाये जावें। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1968 पेज 504, आरआरटी 2002 (1) पेज 360, आरआरडी 2007 पेज 78, आरआरडी 2009 पेज 828, 2017 (4) डीएनजे (एससी) पेज 947, आरआरडी 2013 (1) पेज 173 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोण्डेन्ट ने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का दौराने बहस विरोध करते हुए अभिकथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर मकराना के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोण्डेन्टगण के पूर्वज बीजेसिंह व बेरीसाल सिंह के विरुद्ध पेश किया गया। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर मकराना ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.97 के द्वारा वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री कर दिया। वादीगण/अपीलाण्ट ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष उक्त वाद दिनांक 13.12.1995 को विजयसिंह एवं बेरीसाल सिंह उर्फ उगम सिंह के विरुद्ध पेश किया था, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में विजयसिंह का दिनांक 19.12.64 एवं बैरीसाल उर्फ उगमसिंह का दिनांक 05.07.92 को देहान्त हो चुका था जो अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्रों से साबित है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर मकराना ने दिनांक 13.03.97 को मृत व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित किये हैं जो प्रारंभ से ही नलिटि हैं। उक्त आधार को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है, क्योंकि अपीलाण्टगण ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर मकराना के समक्ष मृत व्यक्तियों के विरुद्ध वाद पेश कर दिया था। ऐसी स्थिति में रेस्पोण्डेन्टगण को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की समय पर

जानकारी नहीं हो पायी थी इसलिए उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील विलम्ब से पेश की गयी थी एवं विलम्ब का कारण सद्भावित था जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2009 बहाल रखा जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2009 आरआरटी पेज 1192 (एससी), 2017 (2) आरआरटी पेज 1047, 2017 डीएनजे (एससी) पेज 415, 2009 डीएनजे (एससी) पेज 244, आरबीजे 1999 पेज 221, 2016 (2) डीएनजे (राज.) पेज 927, 2024 (1) आरआरटी पेज 245, 2023 (1) डीएनजे (रेवे.) पेज 197, 2012 (1) आरआरटी पेज 868, 2018 आरबीजे पेज 595, आरबीजे (18) 2011 पेज 388, 2021 (2) आरआरटी पेज 1439, 2021 (2) आरआरटी पेज 1405 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5.हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की ओर से पत्रावली पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। वादीगण/अपीलाण्ट्स ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर मकराना के समक्ष एक वाद हक घोषणा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत बीजेसिंह एवं बेरीसाल उर्फ उगम सिंह के विरुद्ध पेश किया। प्रतिवादीगण को नोटिस तामील हेतु भिजवाये गये परंतु सम्मन नोटिस अदम तकमील वापस प्राप्त हुए। तत्पश्चात् परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को दैनिक नवज्योति अखबार में नोटिस सम्मन साया कराने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादीगण का वाद दिनांक 13.03.1997 को स्वीकार कर डिक्री कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर मकराना द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.1997 से व्यथित होकर रेस्पो./ प्रतिवादीगण के वारिसान ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की। उक्त अपील में रेस्पोण्डेन्टगण ने स्पष्ट रूप से कथन किया था कि वादी/अपीलाण्टगण ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष सन् 1995 में वाद पेश किया था उससे पूर्व ही प्रतिवादी क्रम 01 बीजेसिंह व प्रतिवादी क्रम 02 बेरीसाल उर्फ उगमसिंह की मृत्यु हो चुकी थी। इस बाबत् रेस्पोडेण्टगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मृतक व्यक्तियों के

विरुद्ध वादीगण अपीलाण्ट द्वारा वाद पेश किये जाने तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने को शून्य मानते हुए अपील अपीलाण्ट अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2009 के द्वारा स्वीकार की थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2009 से व्यथित होकर मण्डल के समक्ष उक्त हस्तगत अपील पेश की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन करने से साबित है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादीगण अपीलाण्ट ने वाद पेश किया था, वाद दायरी से पूर्व ही प्रतिवादीगण की मृत्यु हो चुकी थी। जिनकी मृत्यु के प्रमाण पत्र रेस्पो. ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश किये थे। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय में वादीगण ने उक्त वाद मृत व्यक्तियों के विरुद्ध पेश किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार कर डिक्री कर दिया जो प्रारंभ से ही शून्य है। प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं वे प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त न्यायिक दृष्टांत न्यायिक कार्यवाही अर्थात दावा एवं अपील के विचाराधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उक्त स्थिति में मृतक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेकर निर्णय पारित किये जाने से संबंधित हैं, जबकि प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न हैं, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलाण्ट ने मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाते हुए वाद पेश कर दिया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार कर मृत व्यक्तियों के विरुद्ध दावा डिक्री कर दिया था। विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि *''अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने रेस्पोण्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है''।* हम विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट के उक्त तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स ने मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाते हुए दावा डिक्री करवा लिया जिसकी रेस्पोडेण्टगण को समय पर जानकारी नहीं हो पायी थी। समय पर जानकारी नहीं होने से अपील विलम्ब से पेश की गयी थी। अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक है जिसे स्वीकार करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की है, क्योंकि मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित निर्णय प्रारंभ से ही शून्य होता है। प्रत्येक वाद का आधार वादकारण होता है और वादकारण हमेशा जीवित/विधिक व्यक्ति के विरुद्ध ही प्राप्त होता है। आदेश 22 का उद्देश्य प्रारंभ हो चुकी कार्यवाहियों में पक्षकारों की मृत्यु विलम्ब का कारण नहीं बने, रहा है। इसलिए पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेकर आगे

की कार्यवाही किया जाना विहित करता है। मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत वाद में प्रतिरक्षण सम्भव नहीं है, इसलिए मृतक व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने की विधि में अनुज्ञा नहीं है।

6.परिणामतः उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2009 बहाल रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F. 9 (48) Rev 6/2024/21 Jaipur, dated : 17.10.2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 257 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), the State Government hereby makes the following Rules further to amend the Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 and orders with reference to the proviso to sub-section (1) of section 259 of the said Act that the previous publication of these amendment rules is dispensed with as the State Government considers it necessary that they should be brought into force at once, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the the Rajasthan Tenancy (Government) (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rule 7. – In first proviso to sub-rule (2) of the Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955, after the existing expression ''Companies set up by the State Government,'' and before the existing expression ''Krishi Upaj Mandis'', the following new expression ''State Power Sector (Companies for the construction of Grid Substation (GSS),'' shall be inserted.

By order of the Governor

Sd/-
(Birdi Chand Gangwal)
Deputy Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F. 1 (158) Rev-6/2015/22 dated : 19.11.2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 52 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettelement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the State Government,

with the consultation of the Hon'ble Chief Justice of the Rajasthan High Court hereby appoints Smt. Mohita Bhatnagar, Officer of District Judge Cadre on the post of Presiding Officer of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Jaipur.

By order of the Governor

Sd/-
(Birdi Chand Gangwal)
Deputy Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F. 13 (6) Rev-I/2024/27 Jaipur, dated : 28.11.2024

NOTIFICATION

In Pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 read with rule 5 of the Aadhaar authentication for Good Governnance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Revenue Department, Government of Rajasthan, having been authorised by the Central Government, hereby notifies that the Registrar, Board of Revenue is allowed to perform Aadhaar authentication, on a voluntary basis, for establishing the identity of land/property owner for generating Aadhaar based unique land/property owner ID, using Yes/No or/and e-KYC authentication facility. The Registrar, Board of Revenue shall adhere to the guidelines laid down by the Central Government for the use of Aadhaar authentication including the following :-

1. The informed consent of the resident shall be obtained for the purpose of authentication in terms of section 29 of the Aadhaar (Targeted Delivery) of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. The purpose for which the Aadhaar number and related information are being sought shall be communicated clearly to the resident and specifically the manner in which the Aadhaar number will be collected, stored and used, should be clearly communicated to the residents.
2. Provisions related to exceptional handling shall be implemented strictly in

accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery) of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and its associated regulations.

3. There shall be no denial of any service or benefit to the resident on account of the failure of Aadhaar-based authentication.
4. The resident shall be informed of alternate mechanisms of identification/ verification because this approval of usage of Aadhaar authentication is permitted purely on a volumtary basis. EPIC ID may be used, as an alternative document for identification if the residents do not intend to authenticate using Aadhaar or Aadhaar is not available.
5. There shall not be a display of the Aadhaar number anywhere in the system and wherever required only the last four digits of the Aadhaar number may be displayed.
6. Aadhaar number shall be stored securely in the Aadhaar Data Valult in an encrypted manner as per the UIDAI circular dated 25.07.2017 issued in this regard.
7. Complete details of the e-KYC information of the resident shall not be displayed on the screen, instead only necessary demographic details such as first name, year of birth etc. shall be displayed.
8. Biometrtic authentication of residents shall be performed only in assisted mode or controlled environment by the operator registered or verified by the Revenue Department or DoIT & C, Rajasthan.

The consent form to be collected from the resident shall be in the following form :-

FORM

(Consent form)

I .... (Aadhaar holder) hereby give my consent for the use of my Aadhaar Number on voluntary basis to use for yes/no for fetching my identity and other information for purpose of authentication through UIDAI using the Aadhaar OTP or Biometric authentication with UIDAI and to use it in software (e-KYC and Authentication of land/property owner to generate Aadhaar based unique land/property owner ID) created by Revenue Department and DoIT & C.

The consent and purpose of collecting Aadhaar have been explained to me in the local language. The department has informed me that my Aadhaar shall not be used for any purpose other than the purposes mentioned above.

I have been given other alternative means by the department for KYC and have voluntarily chosen Aadhaar-based KYC.

I understand that the Biometric authentication and/or OTP, I provide for Authentication shall be used only for authentication of my identity through the Aadhaar authentication System only for that specific transaction and no other purpose.

Date : **(Land/Property/Owner)**
Place :

By order of the Governor.

(Birdi Chand Gangwal)
Deputy Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F. 9 (35) Rev-6/2024/30 Jaipur, dated : 04.12.2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (xi-A) of sub-section (2) of section 261, read with section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agriculoture land for non-agriculture purposes in rural areas) Rules, 2007, namely :-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agriculture land for non-agriculture purposes in rural areas) (Second Amendment) Rules, 2024.

(2) The shall come into force at once.

2. Amendment of rule 6B.- In second proviso to rule 6B of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agriculture land for non-agricluture purposes in rural areas) Rules, 2007, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression ‘‘conversion charges to the prescribed authority’’, the expression ‘‘conversion charges, if payable, to the prescribed authority’’ shall be substituted.

3. Amendment of rule 8.- In rule 8 of the said rules, after the existing sub-rule (8), the following new sub-rule (9) shall be added, namely :-

"(9) No conversion charges shall be payable for conversion of land for Solar Farm/Solar Plant/Solar Power Plant, Wind Farm/Wind Power Plant held by khatedar tenant belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe."

4. Amendment of rule 9.- In rule 9 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), the existing clause (j) and entries thereto shall be substituted by the following, namely :-

(j)	Solar Farm / Solar plant/ Solar Plant/Solar Power Plant, Wind Farm/Wind Power Plant/Bio-mass Gasifier based Power Plant/Biogas Power Plant/Bio-CNG/CBG Projects.	(i) Sub Division Officer-Where total area does not exceed 10,000 sq. meters. (ii) Collector-Where rtotal area does not exceed 50,000 sq. meters. (iii) State Government-All cases where the total area exceeds 50,000 sq. meters. (iv) Tehsildar-Irrespective of area for conversion of land, for Solar Farm/Solar Plant/Solar Power Plant, Wind Farm/Wind Power Plant, held by Khatedar tenant who is a member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes : provided that, if Tehsildar fails to decide the application within fifteen days from the date of application, the application shall be forwarded to Collector who shall either issue an order of conversion in Form-B or inform the applicant of the rejection for the application within fifteen days.

(ii) in sub-rule (2), after the existing last proviso, the following new proviso shall be added, namely : -

"Provided also that in case of conversion of land, for the purpose of Solar Farm/Solar Plant/Solar Power Plant, Wind Farm/Wind Power Plant, held by khatedar tenant who is a member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, no recorded approach way shall be required for issue of conversion order, however khatedar shall himself certify, while applying for conversion, that he has an approach wayto his proposed land."

By order of the Governor,
Sd/-
(Birdi Chand Gangwal)
Deputy Secretary to the Government.

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 9 (28) राज-1/2025-25182 जयपुर, दिनांक : 18 फरवरी, 2025

परिपत्र

राज्य में नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी समग्रा परिपत्र क्रमांक प. 9 (16) राज-1/2007, दिनांक 20.08.2009 के द्वारा नवीन राजस्व ग्रामों हेतु मानदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

सामान्यत: माननीय जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों द्वारा मांग किये जाने पर स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा आम सभा में नवीन राजस्व ग्राम बनाने हेतु ग्राम के नाम का निर्धारण कर आम सहमति से निर्णय उपरांत प्रस्ताव तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किये जाते हैं। ग्राम का नाम पूर्व प्रचलित ढाणियों के नाम अनुसार/आमजन में अभ्यस्त नाम/शहीद, महापुरुष आदि के नाम पर स्थानीय जनभावना को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किये जाते हैं। नाम निर्धारण के संबंध में स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण विवाद/शिकायत के प्रकरण शासन को प्राप्त हुए हैं।

अत: नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में विभाग के परिपत्र दिनांक 20.08.2009 के बिन्दु संख्या-4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

4. प्रस्तावित राजस्व ग्राम के नाम का चयन स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर ग्राम सभा का सहमति प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण-पत्र नवीन ग्राम के प्रस्ताव में आवश्यक रूप से संलग्न प्रेषित किया जावे। ग्राम का नाम पूर्व

प्रचलित ढाणियों के नाम अनुसार/आमजन में अभ्यस्त नाम/शहीद (प्रमाणित दस्तावेज की प्रति), महापुरुष आदि के नाम पर स्थानीय जनभावना को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किये जावें। यथा संभव प्रस्तावित ग्राम का नाम व्यक्ति, धर्म, जाति अथवा उपजाति के आधार पर नहीं हो। ग्रामों के नाम का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि मूल तहसील में उसी नाम का कोई ग्राम या कस्बा आदि न हो, जिससे आमजन में भ्रांति की स्थिति उत्पन्न न हो।

बिन्दु संख्या 4 के अतिरिक्त परिपत्र दिनांक 20.08.2009 में उल्लेखित अन्य मानदण्ड यथावत रहेंगे।

ह0/-

(दिनेश कुमार)

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 9 (28) राज-1/2025-25182 जयपुर, दिनांक : 28 फरवरी, 2025

परिपत्र

राज्य में नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी समग्र परिपत्र क्रमांक प. 9 (16) राज-1/2007, दिनांक 20.08.2009 एवं पत्र क्रमांक प. 9 (2) राज-1/2014, दिनांक 20.08.2014 व क्रमांक प. 9 (21) राज-1/2022, दिनांक 23.08.2023 के द्वारा नवीन राजस्व ग्रामों हेतु मानदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसी क्रम में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 18.02.2025 द्वारा परिपत्र दिनांक 20.08.2009 के बिन्दु संख्या-4 में संशोधन किया गया है।

वर्तमान में पंचायती राज विभाग ने पत्र दिनांक 10.01.2025 एवं 12.02.2025 द्वारा समस्त जिला कलक्टर को पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा-101 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन एवं नवसृजन सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 के द्वारा राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल दिनांक 31.01.2025 तक समाप्त हो रहा है, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन एवं नवसृजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु समय-सीमा निर्धारित किये जाने के कारण नवीन राजस्व ग्राम के प्रस्ताव तैयार करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा आमसभा का सहमति प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में स्थानीय ग्रामवासियों को बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में विभागीय परिपत्र दिनांक 18.02.2025 में उल्लेखित निर्देशों की निरन्तरता में वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विकल्प के तौर पर निम्न प्रक्रिया एतद्द्वारा निर्धारित की जाती है:-

''ढाणी/मजरे जो नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूर्ण करती है, परन्तु प्रस्तावों पर ग्राम पंचायत से आमसभा का सहमति प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, विकल्प के तौर पर इन समस्त प्रस्तावों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी एवं पटवारी को सहमति प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है। सर्वप्रथम उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित गांव निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, इसके पश्चात् ही सहमति प्रस्ताव/अनापत्ति पत्र को प्रमाणित किया जा सकेगा। प्रस्ताव प्रेषित करते समय हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नाम एवं पदनाम का अंकन किया जाना आवश्यक है।''

परिपत्र दिनांक 18.02.2025 में बिन्दु संख्या-4 के संबंध में उल्लेखित शेष मानदण्ड यथावत प्रभावी रहेंगे।

ह0/-
(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 6 (2) राज-1/2001 पार्ट/06 जयपुर, दिनांक : 19.02.2025

परिपत्र

विषय : अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवंटन नियम, 2007 के तहत आवंटित की गई भूमि का पट्टेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में उपयोग नहीं किये जाने के कारण नियम 7 (2) के तहत कार्यवाही कर राजकीय भूमि दर्ज कर कब्जा प्राप्त करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन हैकि राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवंटन नियम, 2007 के तहत आवंटित की गई भूमियों में से कुछ का पट्टेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में उपयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसे प्रकरणों के संबंध में जिला कलक्टर्स द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे आवंटी द्वारा सोलर प्रोजेक्ट/पार्क स्थापित न करने से आवंटन का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है एवं राज्य सरकार की मंशानुरूप भूमि का वांछित सदुपयोग नहीं हो पाता है।

अत: पूर्व में जारी समस्त परिपत्रों/निर्देशों की निरन्तरता में पुन: यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि जिन प्रकरणों में राजस्थान भू-राजस्व (नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम, 2007 में निर्धारित समयावधि में पट्टेदार को आवंटित पूर्ण भूमि पर संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा समयावधि नहीं बढ़ाई गई है, ऐसे प्रकरणों में संबंधिम पट्टेदार को नोटिस जारी कर, सुनवाई का अवसर दिया जाकर आवंटन नियम, 2007 के नियम 7 (2) के तहत कार्यवाही की जावें एवं आवंटन निरस्तीकरण के पश्चात् रिकॉर्ड में राजकीय भूमि दर्ज कर कब्जा लेने की कार्यवाही की जावे।

ह0/-
(बिरदी चन्द गंगवाल)
शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F. 9 (26) Rev-6/2024/07 Jaipur, dated : 17.03.2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 1000 of the Rajasthan land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for setting up of Power Plant based on Renewable Engergy Sources) Rules, 2007, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the

Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for setting up of Power Plant based on Renewable Energy Sources) (Amendment) Rules, 2025.

(2) The shall come into force at once.

Amendment of rule 6.- The existing sub-rule (3) of rule 6 of the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for setting up of Power Plant based on Renewable Energy Sources) Rules, 2007, shall be substituted by the following, namely :-

"(3) Premium of the land allotted for Renewable Energy Power Plant/RE Park shall be equal to two times of the market value of land determined on the basis of rate recommended by the DLC for the agricultural land. After 30 years, if the lease is renewed for a further period of 10 years, the premium shall be equal to two times of the market value of land, determined on the basis of rate recommended by the DLC for the agricultural land, at the time of renewal."

By order of the Governor,
Sd/-
(Hari Singh Meena)
Deputy Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 9 (28) राज.-1/2025 Part-25182 जयपुर, दिनांक : 01 अप्रेल, 2025

परिपत्र

राज्य में नवीन राजस्व ग्राम के सृजन हेतु विभागीय परिपत्र दिनांक 20.08.2009 एवं पत्र दिनांक 18.02.2025, 28.02.2025 व 06.03.2025 के द्वारा मानदण्ड व प्रक्रिया निर्धारित है। इसी प्रकार तहसील व उप-तहसील के नवसृजन/क्रमोन्नयन हेतु राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 19.04.2007 से मापदण्ड निर्धारित है।

राजस्व विभाग के पूर्व निर्धारित मापदण्डों में रेगिस्तानी क्षेत्र में 03 कोर रेगिस्तानी/मरुस्थलीय जिलों जैसलमेर, बाड़मेर एवं जोधपुर के स्थान पर "07 रेगिस्तानी/मरूस्थलीय जिलों बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, चुरू, जैसलमेर, जोधपुर एवं फलौदी" किया जाता है।

अत: भविष्य में उक्त जिलों के नवीन राजस्व ग्राम के सृजन एवं तहसील व उप-तहसील के नवसृजन/क्रमोन्नयन हेतु प्रस्ताव उक्तानुसार तैयार किये जावें।

ह0/-
(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 6 (25) राज.-6/2014 पार्ट/10 जयपुर, दिनांक : 23.04.2025

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम सं. 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमियों का आवंटन) नियम, 1963 के नियम 1 के संबंध में जारी इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 5 (109) राजस्व-ब/60, दिनांक 20.07.1963 के खण्ड 1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित किस्म की भूमियों (माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर) का आवंटन राजकीय विभागों को उक्त आदेश के खण्ड 4 में वर्णित आवंटन प्राधिकारी द्वारा खण्ड 2 में निर्धारित आवंटित किये जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्र तक उक्त आदेश व संबंधित नियमों के अध्यधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 31.03.2026 तक किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह0/-
(हरि सिंह मीना)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 8 (ग) (66) नियम/डीएलबी/2025 जयपुर, दिनांक : 16 अप्रैल, 2025

आदेश

नगर पालिका अधिनियम की धारा-68-क एवं न्यास/प्राधिकरण अधिनियम के सुसंगत

धाराओं यथा नगर सुधार अधिनियम की धारा-43, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा-54, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा-48 के अन्तर्गत प्राधिकरण रिजन/न्यास नगरीय क्षेत्र/नगर पालिका सीमा की समस्त राजकीय भूमियां स्थानीय निकाय (नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास) के गठन से ही उस स्थानीय निकाय में निहित होने का प्रावधान है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 68-क एवं न्यास/प्राधिकरण की सुसंगत इन धाराओं के लागू होने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 103 में परिभाषित भूमि उक्त धारा के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट भूमि को छोड़कर संबंधित स्थानीय निकाय में निहित हो चुकी हैं।

राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 6 (9) राज-6/96 पार्ट/39, दिनांक 8.12.2010 भू-राजस्व (लगान) के 40 गुना राशि जमा कराकर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित निकायों के नाम दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। अत: संबंधित निकायों के नगर पालिका क्षेत्र/मास्टर प्लान क्षेत्र/अधिसूचित प्राधिकरण का रीजन क्षेत्र/नगर सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में निहित समस्त राजकीय भूमियों को राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित निकाय के नाम दर्ज की जाये। जहां नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका एवं विकास प्राधिकरण/विकास न्यास दोनों कार्यरत है वहां नगर पालिका सीमा (Municipal Limit) में संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका के नाम एवं शेष क्षेत्र में संबंधित विकास प्राधिकरण/विकास न्यास के नाम भूमि दर्ज की जाये।

राजकीय भूमि पूर्व में ही निकायों के नाम दर्ज हो चुकी है अथवा अब दर्ज होनी है उन सभी में भूमि का वर्ग परिवर्तन कर भूमि वर्गीकरण जल व जल भराव क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक जलस्रोतों यथा नदी, तालाब, बांध, जोहड़ आदि सम्मिलित हैं, की श्रेणी को छोड़कर गैर-मुमकिन आबादी दर्ज की जाये। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 6(107) राज-3/19, दिनांक 17.12.2019 जारी कर आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

संबंधित निकायों द्वारा ऐसी राजकीय भूमियों का निष्पादन अधिसूचना दिनांक 08.12.2010 की पालना करते हुए शहर के मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुसार राजस्थान नगर पालिका/न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए भू-आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0/-	**ह0/-**	**ह0/-**
(वैभव गालरिया)	**(दिनेश कुमार)**	**(राजेश कुमार यादव)**
प्रमुख शासन सचिव	**प्रमुख शासन सचिव**	**प्रमुख शासन सचिव**
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	**राजस्व विभाग**	**स्वायत्त शासन विभाग**

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 3 (7) राज.-3/2025-28060 जयपुर, दिनांक : 04.05.2025

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान

परिपत्र

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.01.2021 के क्रम में जिला कलक्टर्स से राजकीय/सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भूमि का राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तन कर आवंटन किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। जिला डीग, सीकर, डीडवाना-कुचामन, सवाई माधोपुर इत्यादि के प्रकरणों में अपना खाता पोर्टल से राजकीय भूमि की उपलब्धता की जांच करने पर उसी ग्राम में पर्याप्त सिवायचक भूमि/राजकीय भूमि रिकॉर्ड में उपलब्ध होना पाया गया है, जो आवंटन योग्य *अथवा चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में उपयोग में ली जा सकती है।* परिपत्र के अनुसार ऐसे आवंटन जिला कलक्टर के अधिकार क्षेत्र में निहित होते हैं।

जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्तावों में वर्गीकरण परिवर्तन हेतु प्रस्तावित चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति समान ग्राम पंचायत/निकट स्थित ग्राम पंचायत के ग्रामों में उपलब्ध राजकीय सिवायचक भूमि से न की जाकर, अन्य दूरस्थ ग्राम पंचायत से की जा रही है। साथ ही प्राप्त प्रस्ताव में इस तथ्य का उल्लेख किया जा रहा है कि समान ग्राम पंचायत में आवंटन/क्षतिपूर्ति हेतु राजकीय सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर द्वारा नीचे से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के रिकॉर्ड का परीक्षण किये बिना ही राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाते हैं, जबकि आवंटन की कार्यवाही जिला कलक्टर स्तर से की जानी उपेक्षित है। इससे बजट घोषणा में भूमि आवंटन के साथ-साथ अन्य राजकीय आवंटन की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब होता है, जो उचित नहीं है।

अत: समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि चारागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन एवं आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने से पूर्व प्रस्तावित चारागाह भूमि की ग्राम पंचायत के ग्रामों एवं लगती हुई ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामों के खाता संख्या 1 में सिवायचक/राजकीय भूमि की उपलब्धता की जांच अपना खाता पोर्टल से किया जाना सुनिश्चित करें। यदि उक्त ग्रामों में प्रस्तावित चारागाह भूमि के समान सिवायचक/राजकीय भूमि उपलब्ध

हो तो परिपत्र दिनांक 06.01.2021 के अनुसार परीक्षणोपरांत स्वयं के स्तर से आवंटन आदेश जारी किया जावें। यदि प्रस्तावित चारागाह भूमि की ग्राम पंचायत के ग्रामों एवं उससे लगती हुई ग्राम पंचायतों के ग्रामों के खाता संख्या 1 में क्षतिपूर्ति हेतु राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने की दशा में, प्रस्तावित की जाने वाले ग्राम की ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामों एवं उस ग्राम पंचायत से चारों ओर लगती हुई ग्राम पंचायतों के ग्रामों की सूची सहित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हुए चरागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन' हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

राज्य सरकार स्तर पर प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित की जाने वाले चारागाह भूमि के ग्राम व उक्त ग्राम की ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामों एवं उस ग्राम पंचायत से चारों ओर लगती हुई ग्राम पंचायतों के ग्रामों में यदि राजकीय सिवायचक भूमि उपलब्ध पाई जाती है तो उस दशा में प्रस्ताव प्रेषित करने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

ह0/–

(बिरदीचन्द गंगवाल)

उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F. 1 (1) Rev-6/2025/14 Jaipur, dated : 13.05.2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the State Government hereby notifies an area not exceeding twenty acres for acquisition of land in respect of a public purpose in a District, the Collector of the District shall be deemed to be the appropriate Government.

By order of the Governor,

Sd/-

(Hari Singh Meena)

Deputy Secretary to the Government.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE *(GROUP-6)* DEPARTMENT

No. F. 4 (1) Rev-6/06 Pt./17 Jaipur, dated : 14.05.2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 169-H of the Rajasthan Land Revenue (Land Recrods) Rules, 1957, the State Government hereby notifies Tehsil Reodar District Sirohi excluding 25 villages, (मण्डार, धनपुरा, मगरीवाड़ा, हड़मतिया, पीथापुरा, पोसीतरा, वड़वज, सोरड़ा, हाथल, असावा, पादरूखेड़ा, मालपुरा, अनादरा, वरमाण, जीरावल, हमीरपुरा, हरणी अमरापुरा, दांतराई, भटाणा, दानपुरा, नागाणी, मोरवड़ा, गुलाबगंज, भैरूगढ़, कम्बौईयां खेड़ा), as an area where provisions of Chapter VII of the said rules shall apply with immediate effect.

By order of the Governor,
Sd/-
(Hari Singh Meena)
Deputy Secretary to the Government.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE *(GROUP-6)* DEPARTMENT

No. F. 4 (1) Rev-6/06 Pt./16 Jaipur, dated : 14.05.2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 169-H of the Rajasthan Land Revenue (Land Records) Rules, 1957, the State Government hereby notifies Tehsil Kishanganj District Baran excluding 6 villages, as an area where provisions of Chapter VII of the said rules shall apply with immediate effect.

By order of the Governor,
Sd/-
(Hari Singh Meena)
Deputy Secretary to the Government.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE *(GROUP-6)* DEPARTMENT

No. F. 4 (1) Rev-6/06 Pt./15 Jaipur, dated : 14.05.2025

NOTIFICATION

The State Government notification No. F. 4 (1) Rev-6/06, Pt./06, Dated 18.01.2021 notifying Tehsil Kishanganj District Baran as an area where provisions of Chapter VII of the said rules shall apply, is hereby reseinded with immediate effect.

By order of the Governor,
Sd/-
(Hari Singh Meena)
Deputy Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 9 (21) राज.-6/2025/27853 जयपुर, दिनांक : 15 मई, 2025

परिपत्र

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 में अधिसूचना दिनांक 01.04.2011 से अन्त:स्थापित परन्तुक द्वारा प्रावधान किया गया कि कृषि प्रसंस्करण (agro-processing) और कृषि कारबार उद्यम (agri-business enterpries) जो राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में अनुमोदित किये जावे, से संबंधित कृषि संक्रियाओं के प्रयोजन के लिये सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिये दे सकेगा और ऐसे पट्टे या उप पट्टे को पन्द्रह वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

पॉलिहाउस/शेडनेट निर्माण राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की वाणिज्यिक बागवानी योजना के अंतर्गत आता है, जिसके माध्यम से नियंत्रित परिस्थितियों में पैदावार को अधिकतम करने के

लिए फसलें उगाई जाती है, इसलिए यह कृषि कारोबार उद्यम (agri-business enteprise) की श्रेणी में माना जा सकता है।

अतः पॉलिहाउस/शेडनेट जो केन्द्र सरकार की किसी योजना के अंतर्गत अनुमोदित हो, के उपयोग हेतु कृषि भूमि को उक्त प्रावधानों के तहत पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिये लीज पर दिया जा सकता है। लीज पर ली गई भूमि पर एक उद्यमी द्वारा एक वर्ष के भीतर उक्त परियोजना को स्थापित करना होगा तथा इस निर्धारित अवधि में उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग में ली गई भूमि की लिखित सूचना संबंधित तहसीलदार को देनी होगी। उक्तानुसार पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिये लीज पर दी गई भूमि को लीज अवधि व्यतीत होने के उपरान्त लीजहोल्डर उद्यमी लीज अवधि को पन्द्रह वर्ष और बढ़ाने का इच्छुक है तो लीज अवधि बढ़ाये जाने के पट्टाकर्त्ता व पट्टाधारी के करार के अनुसरण में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त स्थापित परियोजना लीज अवधि विस्तार के समय स्थापित होकर चालू है। यदि परियोजना चालू है तो ही लीज अवधि विस्तार का राजस्व रिकॉर्ड में तद्नुसार अंकन किया जाये।

आज्ञा से,
ह0/-
(हरि सिंह मीना)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 7 (1) राज.-6/16 पार्ट/20 जयपुर, दिनांक : 27.05.2025

परिपत्र

पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प. 13 (1) राज-6/2020, दिनांक 05.12.2023 की निरन्तरता में लेख है कि विक्रय दस्तावेजों के पंजीयन होने के साथ ई-धरती पोर्टल पर स्वतः नामान्तरण के आधार पर जमाबन्दी में आवश्यक इन्द्राज ऑनलाईन स्वतः (Auto) दर्ज किये जाने का प्रावधान किया गया था। उक्त प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1. जमाबन्दी में सह खातेदार होने पर उक्त खाते में से किसी एक खातेदार द्वारा अपने

हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेजों के आधार पर विक्रय किया जाता है तो स्वत: नामान्तकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावे।

2. जमाबन्दी में एकल खातेदार होने पर सम्पूर्ण खसरे के आंशिक भाग का रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेजों के आधार पर विक्रय किया जाता है तो स्वत: नामान्तरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावे।

3. पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय दस्तावेजों के माध्यम से कृषि भूमि का विक्रय किया जाता है तो स्वत: नामान्तरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावे।

उक्त प्रकृति के विक्रय दस्तावेज पंजीयन के पश्चात् प्राप्त होने पर उनका स्वत: नामान्तरण दर्ज नहीं किया जाना है। अत: उक्तानुसार ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में अपडेट करने हेतु NIC को निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,
(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 9 (76) राज.-6/2024/257 जयपुर, दिनांक : 30.05.2025

समस्त जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

परिपत्र

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 4 (क) में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अवाप्ताधीन भूमियों पर संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में उक्त प्रतिबन्ध के बावजूद भी अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी होने के पश्चात् भी भूमि रूपान्तरण किये जा रहे हैं, जो कि नियमान्तर्गत नहीं है।

अत: इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि:-

1. अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त नियम 4

(क) के प्रतिबंध के बावजूद भी जिन प्रकरणों में संपरिवर्तन आदेश जारी किये गये हैं, उनको चिन्हित कर सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील की जाकर, निरस्त कराने की कार्यवाही की जावे तथा प्रकरणों की जांच कर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

2. यदि नियम 4 (क) से प्रतिबंध भूमियों का संपरिवर्तन किसी भी प्रयोजनार्थ किसी विहित अधिकारी द्वारा नियम 4 (क) का उल्लंघन कर किया जाता है तो विहित प्राधिकारी अनधिकृत रूप से किये गये भूमि संपरिवर्तन के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

ह0/-
(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F. 1 (19) Rev-6/24/22 Jaipur, dated : 05.06.2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (g) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the State Government hereby designate the Deputy Commissioner Colonisation, Nachna to perform the functions of a Collector under the said Act within their respective jurisdiction for PITHEWALA MOR-AD-TOBA-LAUDET from 0.00 to 60.00 FROM EXISTING CL-9 ROAD TO NHDL.

By order of the Governor,
Sd/-
(Hari Singh Meena)
Deputy Secretary to the Government.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F. 1 (19) Rev-6/24/23 Jaipur, dated : 05.06.2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (g) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the State Government hereby designate the Deputy Commissioner Colonisation, Jaisalmer to perform the functions of a Collector under the said Act within their respective jurisdiction for PITHEWALA KALIBULI-BAHLA FROM 0.00 TO KM 30.00 FROM EXISTING CL-9 ROAD TO NHDL.

By order of the Governor,
Sd/-
(Hari Singh Meena)
Deputy Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 10 (03) राज-6/25 **जयपुर, दिनांक : 22.07.2025**

परिपत्र

गौशाला प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला को भूमि आवंटन) नियम, 1957 जारी किये हुए हैं। इन नियमों के नियम 6 में उल्लेखित आवंटन के लिए निषेध भूमियों (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में निर्दिष्ट को, सिवाय इस धारा के खण्ड (iv) में उल्लेखित भूमि के और ग्राम्य वन के लिए आरक्षित भूमियों) को छोड़कर इन नियमों के तहत गौशाला हेतु चारागाह भूमि के आवंटन के संबंध में इसी नियम के परंतुक के अनुसार निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के पश्चात् चारागाह भूमि का सक्षम स्तर से आवंटन किया जा सकता है:-

1. गांव में गौशालाओं के लिए आवंटन के लिए उपयुक्त सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है;
2. गांव में पशुओं को चराने के लिए पर्याप्त मात्रा (प्रति पशु आधा बीघा अनुपात) में चरागाह भूमि उपलब्ध है।

चरागाह भूमि के गौशाला हेतु आवंटन के संबंध में समय-समय पर माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों से संशय की स्थिति को दूर करने के लिए महाधिवक्ता महोदय, राजस्थान ने यह राय दी है कि:-

The situation would be governed by the provision of Rajasthan Gaushala Act, 1960, Rajasthan Gaushala Rules, 1964 and Rajasthan Land Revenue (Allotment of land to Gaushalas) Rules, 1957. The restriction in this regard are provided in Rule 6 of the Rules of 1957. The matter in my opinion therefore should be dealt with according to the aforesaid provisions of law.

अत: किसी भी ग्राम में गौशाला के लिए आवंटन के लिए उपयुक्त सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं पशु संख्या के अनुपात में चरागाह भूमि की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उपरान्त गौशाला हेतु चरागाह भूमि के आवंटन की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7, राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला को भूमि आवंटन) नियम, 1957 के नियम 6 में निषेध की गई भूमि को छोड़ते हुए, राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 एवं राजस्थान गौशाला नियम, 1964 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की जाये।

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये परिपत्र क्रमांक प. 6 (174) राज-3/2025, दिनांक 26.05.2025 द्वारा गौशालाओं के लिए चरागाह भूमि आवंटन के सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों से असंगत की सीमा तक अतिक्रमित किये जाते हैं। शेष परिपत्र यथावत प्रभावी रहेगा।

आज्ञा से
(हरि सिंह मीना)
शासन उप सचिव

सफलता की कहानियाँ

नीतियों से जीवन तक: पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा बना बदलाव का सूत्रधार

–श्रीमती मीनल जीनगर
सहायक सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार द्वारा 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित ''अंत्योदय संबल पखवाड़ा'' ने यह सिद्ध कर दिया कि सुशासन केवल नीतियों और घोषणाओं का विषय नहीं बल्कि संवेदनशीलता, सहभागिता और धरातल तक पहुँची हुई सेवा का जीवंत उदाहरण हो सकता है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कैंप आयोजित कर राज्य और केन्द्र सरकार की व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं, विकास कार्यों और बजट घोषणाओं से संबंधित कार्य कर विकास की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया।

इस अभियान के दौरान लाखों जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण, शिक्षा और आजीविका से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिला।

जोधपुर– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंजू को दी 5 लाख रू. की सहायता– दांपत्य जीवन की सशक्त शुरुआत

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर जिले के शेरगढ़ ब्लॉक की सोइन्तरा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में विशेष योग्यजन मंजू पुत्री पुंजा राम को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना के तहत 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। 80 फीसदी से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित मंजू हाल ही में विवाह सूत्र में बंधी हैं। यह सहायता न केवल उनके नवजीवन की आर्थिक नींव बनी, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास का स्रोत भी बन गई।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा जब सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया तो मंजू की आँखों में चमक और चेहरे पर विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था।

मंजू ने भावुक होकर कहा– ''इस सहायता ने मेरे आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया है। अब मुझे लगने लगा है कि समाज में हमें भी सम्मान और सहयोग के साथ जीने का अधिकार है। मैं मुख्यमंत्री जी की आभारी हूँ जिन्होंने हमारे जैसे लोगों को न केवल सहारा दिया बल्कि

समाज में गरिमा के साथ जीने का हक भी दिया।''

बाड़मेर-विधवा पेंशन की बहाली 'सम्मान' की वापसी–

गंगा देवी 60 वर्षीय एकल विधवा, बाड़मेर के एक छोटे से गाँव में रहती हैं। उनके पति की मृत्यु के बाद वृद्धावस्था पेंशन आधार लिंकिंग संबंधी समस्या के कारण रुक गई थी। महीनों से वह आर्थिक संकट में थी लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अंत्योदय पखवाड़ा के दौरान लगे सरकारी शिविर में जब उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो संबंधित कार्मिक ने कैंप में ही उनका आधार सत्यापन किया और पेंशन बहाल कर दी। उन्हें तत्काल सहायता राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की गई।

डूंगरपुर-जनजाति युवक को मिला रोजगार का अधिकार–

कमलेश भील, डूंगरपुर जिले के वनवासी क्षेत्र का निवासी, कई महीनों से मनरेगा कार्ड बनवाने का प्रयास कर रहा था। अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत जब सरकारी अधिकारी उसके गाँव पहुंचे तो कमलेश का बायोमीट्रिक सत्यापन कर डिजिटल फॉर्म भरा गया। उसे तत्काल मनरेगा कार्ड जारी किया गया और कुछ ही दिनों में वह जल-रक्षा परियोजना पर कार्यरत हो गया।

यह सरकार द्वारा डिजिटल भारत और अंतिम व्यक्ति तक सेवा की पहुँच की असल तस्वीर है।

बांसवाड़ा-दिव्यांग बालिका को मिली ट्राइसाइकिल–

जन्म से चलने-फिरने में असमर्थ 11 वर्षीय सुमन स्कूल में अब तक घुटनों के बल जाया करती थी। उसके परिजन आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे कि वे उसके लिए कोई विशेष सहायता उपकरण खरीद सके। अंत्योदय संबल पखवाड़ा के शिविर में उसकी चिकित्सा जांच कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा ट्राइसाइकिल दी गई। अब वह गर्व से स्कूल जाती है और अन्य बच्चों की तरह अपने भविष्य को लेकर उत्साहित है।

जैसलमेर-उज्ज्वला योजना से मिली रसोई में क्रांति–

जैसलमेर के रेगिस्तानी और दुर्गम गाँवों में आज भी कई घरों में खाना लकड़ी और उपलों से बनाया जाता है जिससे महिलाओं को धुएँ से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। अंत्योदय पखवाड़ा के तहत 1500 से अधिक घरों को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इससे इन घरों में न केवल स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बल्कि महिलाओं की परेशानियों में भी कमी आई।

नागौर-किसान की भूमि समस्या का समाधान-

सूरजमल, नागौर का लघु किसान, भूमि रेकार्ड में त्रुटि के चलते पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पा रहा था कई बार प्रयास करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। शिविर में राजस्व अधिकारियों ने उसकी समस्या सुनी और तत्काल रेकार्ड अपडेट किया। उसी दिन इस योजना की लंबित राशि उसके बैंक खाते में आ गई।

अजमेर-महिला स्वयं सहायता समूह को मिला नया आधार–

अजमेर जिले की लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह वर्षों से छोटे स्तर पर कार्य कर रही थी लेकिन उन्हें वित्तीय सहायता नहीं मिल रही थी। शिविर में इसे 50 हजार रूपये के रिवॉल्विंग फंड का चैक सौंपा गया। इस राशि से उन्होंने पापड़ निर्माण इकाई शुरू की और अन्य महिलाओं को भी काम देना शुरू किया।

कोटा-स्वास्थ्य परीक्षणों से बची जिन्दगी–

कोटा जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत 22,000 से अधिक लोगों की जांच की गई। इसमें 300 से ज्यादा लोगों में हृदय, मधुमेह या किडनी जैसी गंभीर बीमारियाँ पहली बार पता चली। इन मरीजों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए, सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज की सुविधा भी प्रदान की गई।

बालोतरा-रुकमणी देवी की उद्यमिता–

रुकमणी देवी, बालोतरा की विधवा महिला, सिलाई जानती थी लेकिन संसाधन नहीं थे। उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 25 हजार रूपये का लोन मिला जिससे उन्होंने तीन नई मशीनें खरीदीं और दो महिलाओं को रोजगार दिया।

किशोर बना डिजिटल सेवा संचालक–

फरहान, ब्यावर का एक 17 वर्षीय युवक, जिसने दसवीं के बाद गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी। उसे अंत्योदय शिविर में कौशल विकास योजना के तहत मोबाइल रिपेयरिंग व डिजिटल लिटरेसी का कोर्स मिला। अब वह अपने गाँव में डिजिटल सेवा केंद्र चलाता है और लोगों को सरकारी योजनाओं में मदद करता है।

भीलवाड़ा-वृद्ध किसान को सामाजिक सुरक्षा–

रामेश्वरलाल, 65 वर्षीय किसान, दस्तावेजों में त्रुटि के कारण पेंशन और किसान योजना दोनों से वंचित थे। पखवाड़ा में दोनों योजनाओं से जुड़कर उन्होंने 2,000 रूपये की किसान सहायता और 750 रूपये पेंशन प्राप्त की।

चित्तौड़गढ-समय पर स्वास्थ्य हस्तक्षेप–

माया देवी, जिन्हें सिर दर्द और थकावट रहती थी, शिविर में जाँच के दौरान हाई ब्लड प्रेशर पाया गया। उन्हें आयुष्मान कार्ड जारी कर तत्काल सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। उनका इलाज पूरी तरह नि:शुल्क रहा।

डीग–पोषण से लौटा बचपन–

डीग निवासी 3 वर्षीय आरव कुपोषित था। पोषण मेले में उसे चिन्हित कर टेक होम राशन और पोषण शिक्षा दी गई। एक महीने के भीतर उसका वजन सामान्य स्तर पर आ गया।

डूंगरपुर–युवा किसान को मिली तकनीकी मदद–

आदिवासी किसान बंशीलाल पारंपरिक तरीकों से खेती करता था। शिविर में कृषि विभाग ने मिट्टी जांच करवाई और स्प्रेयर मशीन व उन्नत बीज प्रदान किए। इससे उसकी फसल में गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार हुआ।

हनुमानगढ़–घर–घर पहुँचा नल जल–

रामपुरा गाँव की संगीता कंवर जैसी महिलाएं पहले पेयजल लाने 2 किमी दूर जाती थीं। जल जीवन मिशन के तहत 56 परिवारों को नल कनेक्शन मिले और अब हर घर में पानी है।

जालोर-स्ट्रीट वेंडर को मिला सम्मान–

पकौड़ी विक्रेता महेश दास वर्षों से अवैध रूप से सड़क किनारे दुकान लगाते थे। स्वनिधि योजना में उन्हें रूपये 10,000 ऋण और लाइसेंस मिला। अब वह डिजिटल पेमेंट लेते हैं और ग्राहकों का भरोसा दोगुना हो गया है।

जोधपुर–श्रमिक को मिला अधिकार और सम्मान

गफ्फार अली, निर्माण श्रमिक है जो वर्षों से भवन निर्माण कार्यों पर मजदूरी करता आ रहा है लेकिन उसके पास न कोई श्रमिक पहचान पत्र था, न किसी सरकारी योजना का लाभ मिला। अंत्योदय संबल पखवाड़ा के दौरान जोधपुर में लगे श्रमिक पंजीकरण शिविर में उसका रजिस्ट्रेशन किया गया और उसी दिन श्रमिक कल्याण कार्ड जारी हुआ। अब वह ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है जिससे उसे बीमा, बच्चों की छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने का अवसर मिला है। गफ्फार ने कहा, ''अब लगता है कि मैं सिर्फ मजदूर नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ जिसे सरकार ने पहचान दी है।''

नागौर-महिला किसान की सिंचाई क्रांति–

लक्ष्मीबाई, नागौर जिले की एक मेहनती महिला किसान, लगातार सूखे और असिंचित जमीन के कारण नुकसान झेल रही थीं। उनकी फसल बार-बार खराब हो रही थी। अंत्योदय पखवाड़ा शिविर में उन्हें सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप योजना की जानकारी दी गई और आवेदन करवाया गया। कुछ ही दिनों में उन्हें 80 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर पंप प्राप्त हुआ। अब उसके खेतों में नियमित सिंचाई हो रही है और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। लक्ष्मीबाई ने कहा, ''अब मैं मौसम की नहीं, सूरज की ऊर्जा पर निर्भर हूँ।''

पाली-विधवा महिला को मिला राशन और गरिमा–

पाली जिले की गीता देवी पति की मृत्यु के बाद बिना जन आधार कार्ड और राशन कार्ड के किसी भी योजना से वंचित थीं। अंत्योदय शिविर में आधार सत्यापन के बाद उनका नाम अन्नपूर्णा योजना में जोड़ा गया और जन आधार कार्ड भी बना। अब वे हर महीने निःशुल्क राशन प्राप्त करती हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ गई है। गीता देवी कहती है, ''पहले लोगों से उधार मांगती थी, अब खुद राशन लेकर आती हूँ-आत्मसम्मान लौटा है।''

सलूम्बर-आदिवासी छात्रा को मिली शिक्षा की रफ्तार

काजल मीणा, सलूम्बर की एक जनजातीय छात्रा, पढ़ाई में होशियार लेकिन स्कूल दूर होने के कारण अक्सर अनुपस्थित रहती थीं। उसके माता-पिता के पास साइकल खरीदने की सामर्थ्य नहीं थी। अंत्योदय संबल पखवाड़ा के दौरान उसे जनजाति छात्रवृत्ति योजना में नामांकित किया गया और साइकल वितरण योजना के अंतर्गत एक नई साइकल सौंपी गई अब वह रोज़ स्कूल जाती है और कहती है, ''अब मेरे सपने रुकेंगे नहीं, चलेंगे भी और दौड़ेंगे भी।''

सिरोही-दिव्यांग युवक को मिली स्वतंत्रता की सवारी–

सिरोही का राजू चौधरी पोलियो के कारण चलने में असमर्थ था और किसी पर निर्भर रहना उसकी मजबूरी थी। पखवाड़ा के दौरान लगे दिव्यांगजन सेवा शिविर में उसका चयन किया गया और उसे एक मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। राजू अब खुद अपनी दुकान चला रहा है, बैंक के काम करता है और आत्मनिर्भर जीवन जी रहा है। वह कहता है, ''पहले जिन्दगी बोझ थी, अब यह अपनी रफ्तार से चल रही है।''

श्रीगंगानगर-किसान को मिला बीमा का भरोसा–

श्रीगंगानगर जिले के किसान हरभजन सिंह की खरीफ फसल बेमौसम बारिश के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई थी। उनका बीमा दावा लटका हुआ था। पखवाड़ा में कृषि विभाग की

टीम ने मौके पर दस्तावेज़ों की जाँच की और उनका दावा स्वीकृत कर 18,000 रूपए की बीमा राशि खाते में जमा कराई गई। हरभजन सिंह ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ''अब रबी की फसल के लिए बीज और खाद की चिंता नहीं-सरकार ने साथ दिया।''

एक पखवाड़ा, हजारों जिन्दगियाँ, एक संदेश–

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ''अंत्योदय संबल पखवाड़ा'' की यह कहानियाँ महज़ सरकारी आँकड़े नहीं हैं बल्कि हर नागरिक की गरिमा, आत्मविश्वास और पुनर्स्थापित उम्मीदों की मिसाल हैं।

इन सफलताओं ने यह दर्शाया कि यदि शासन में संवेदना, संकल्प और समर्पण हो, तो अंतिम व्यक्ति भी विकास की धारा में सम्मिलित हो सकता है।

□□□

यदि यह कैंप नहीं होता, तो मुझे अपनी भूमि वापस पाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता

– राजेश कुमार
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.), गंगापुर (भीलवाड़ा)

ग्राम पंचायत मुख्यालय उम्मेदपुरा, तहसील सहाड़ा मु. गंगापुर में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा, 2025 के संदर्भ में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान प्रार्थी श्री रतनलाल जाट निवासी उम्मेदपुरा उपस्थित हुआ तथा शिविर प्रभारी से निवेदन किया कि आज से एक वर्ष पूर्व मैंने अपनी 0.2160 हैक्टेयर कृषि भूमि का बेचान देऊदेवी पत्नी रामलाल गाडरी निवासी उम्मेदपुरा को किया था। परंतु ऑटोम्यूटेशन की प्रक्रिया के दौरान तकनीकी त्रुटि से 1.45 हैक्टेयर संपूर्ण भूमि देऊदेवी के नाम दर्ज हो गई थी, जिससे मुझ प्रार्थी को भूमि स्वामित्व की दृष्टि से गंभीर नुकसान हुआ।

प्रार्थी ने अपनी समस्या के निराकरण हेतु तहसीलदार सहाड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार सहाड़ा ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए पटवारी हल्का से जांच करवाई।

प्रकरण में बाद जांच यह पाया गया कि उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, रजिस्ट्री की प्रति, रिकॉर्ड एवं बयानों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि रतनलाल द्वारा बेची गई भूमि का रकबा केवल 0.2160 हैक्टेयर थी। शेष 1.2340 हैक्टेयर भूमि का नामांतरण त्रुटिवश हुआ। प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार सहाड़ा द्वारा तत्काल आदेश पारित कर 0.2160 हैक्टेयर भूमि देऊ देवी के नाम यथावत रखने तथा शेष 1.2340 हैक्टेयर भूमि पुन: रतनलाल जाट के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के अनुसार, रतनलाल जाट को उनकी शेष भूमि का पुन: स्वामित्व प्राप्त हुआ। यह निर्णय उनके लिए न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी रहा, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें भारी राहत मिली। रतनलाल ने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ''यदि यह कैंप नहीं होता, तो मुझे अपनी भूमि वापस पाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता।'' प्रार्थी ने प्रशासन एवं कैंप में उपस्थित अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राजस्थान सरकार का अत्यन्त कल्याणकारी कदम है जब आम जन को तत्काल राहत मिल पा रही है।

□□□

सफलता की कहानी (सीकर)-1
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल शिविर
100 वर्ष पूर्व के प्रचलित रास्ते के खुल जाने से सुगम हुआ आवागमन

-पूरण मल बलाई
सहायक निदेशक
जनसम्पर्क कार्यालय, सीकर

फतेहपुर कस्बे (सीकर) के निकटवर्ती ग्राम पंचायत गारिण्डा में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल शिविर में ग्राम गारिण्डा के खसरा नम्बर 226, 220, 219 संयुक्त खातेदारी भूमि में से रास्ते का प्रस्ताव तैयार किया जाकर आम रास्ता स्वीकृत किया गया।

खसरों में 39 खातेदारान का संयुक्त खाता था जिसमें राजकीय कार्यों के लिए खातेदारान को असुविधा होती थी। शिविर में सभी की समझाईश के बाद रास्ता अलग से कटानी करने से काश्तकारों में खुशी का माहौल बन गया । वर्षों से चले आ रहे रास्ते का कटानी होने से राजकीय कार्य व भूमि पर आने जाने में सुगमता हो गई। सभी काश्तकारों ने रास्ते की समस्या का शिविर में मौके पर ही हल निकाले जाने को सरकार की ओर से बड़ी सौगात बताया।

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर दमयन्ती कंवर ने बताया कि खसरा नम्बर 714/351, 353/2, 353/3, 356/2, 357, 358, 447, 441, 439, 436, 428, 505, 435, 515, 516 में आज से 100 वर्ष पूर्व का प्रचलित रास्ता था जो कि 4 किमी लम्बा था। लेकिन अभी तक राजस्व रिकार्ड में कटानी नहीं था, जिससे आवेदक एवं अन्य ग्रामीण जन काफी समय से आवागमन अवरूद्ध होने से परेशानियों का सामना कर रहे थे। अभियान में त्वरित कार्यवाही करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर काश्तकारों को लाभान्वित किया गया। इस 4 किमी के 100 वर्ष पूर्व के प्रचलित रास्ते के खुल जाने से आम ग्रामीण जन के लिये आवागमन की सुगमता हो गई। वहीं सबके बीच समरसता का माहौल भी व्याप्त हो गया।

राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं टीम का प्रयास से लम्बे समय से चली आ रही समस्या का सामाधान होने एवं राज्य सरकार द्वारा जन हित को लाभ दिलाने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का आयोजन करने पर आवेदक भागीरथमल स्वामी एवं अन्य काश्तकारों ने मुख्यमंत्रीजी एवं प्रशासन के प्रति धन्यवाद जताया। शिविर मे खातेदारों का रास्ता प्रस्ताव कटानी आदेश विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह एवं तहसीलदार हितेष चौधरी द्वारा वितरण किया गया।

□□□

सुराणी में चेलावाड़ी ढाणी में आम रास्ता अतिक्रमण मुक्त

-पूरण मल बलाई
सहायक निदेशक
जनसंपर्क कार्यालय, सीकर

सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के सुराणी गांव की चेलावाड़ी ढाणी के निवासियों को आम रास्ते में अतिक्रमण की वर्षों पुरानी समस्या से आखिरकार निजात मिल गई जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने डामर सड़क से ढाणी को जोड़ने वाले प्रचलित आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया।

ग्रामीण मदन यादव द्वारा की गई शिकायत पर जांच के बाद पाया गया कि रास्ता अतिक्रमण के कारण अवरुद्ध था, जिससे आम जन को आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी। तहसीलदार ने स्वयं मौके पर पहुंचकर काश्तकारों से बातचीत की और समझाइश के बाद जेसीबी की सहायता से लगभग एक किलोमीटर लंबे रास्ते को साफ करवाया।

इस कार्रवाई से लगभग 50 परिवारों को राहत मिली है। रास्ता खुलते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने प्रशासन का आभार जताया।

□□□

शिविर में मौके पर ही राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि हुई दुरुस्त, काश्तकार विजय सिंह के चेहरे पर छाई मुस्कान

-मनोज कुमार मेहरा
सहायक निदेशक
जनसंपर्क कार्यालय, अलवर

अलवर आमजन को गांव-गांव जाकर राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाडा के अंतर्गत अलवर जिले में लगाए गए शिविरों ने आमजन के चेहरों पर मुस्कान लाकर जीवन को खुशहाल किया है। इसी कडी में अलवर जिले की रैणी तहसील की ग्राम पंचायत जामडोली के अटल सेवा केंद्र में आयोजित शिविर में विजय सिंह के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर मौके पर ही राहत मिली। लाभार्थी विजय सिंह ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम ओंकार दर्ज था जबकि अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र में पिता का नाम ओमकार दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम अशुद्ध होने के कारण सरकारी योजनाओं आदि का लाभ प्राप्त करने में काफी परेशानी हो रही थी, जिससे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बताया कि पटवारी हल्का जामडोली के माध्यम से पता चला कि 9 जुलाई को ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत शिविर लगाया जा रहा है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी आदि में होने वाली त्रुटियों को सही किया जाने का काम होगा। शिविर में आने पर जब राजस्व विभाग के अधिकारियों को मैंने अपनी समस्या से अवगत कराया तो उन्होंने अधिकारियों ने रिकॉर्ड का अवलोकन कर मौके पर ही जांच की तथा मौके पर ही मेरे पिता का नाम तब कुछ ही समय में शुद्ध कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम शुद्ध होने से अब सरकारी योजना आदि का लाभ उठा सकूंगा।

लाभार्थी ने विजय सिंह ने मौके पर ही कुछ ही समय में राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि दुरूस्त होने पर पर खुशी जाहिर करते हुए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाडे की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया।

□□□

32 सह-खातेदारों की कृषि भूमि का मौके पर ही सीमाज्ञान होने से लाभार्थियों के चेहरे पर झलकी खुशी

-मनोज कुमार मेहरा
सहायक निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, अलवर

अलवर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर देसूला के 32 काश्तकारों के लिये खुशी का पैगाम लेकर आया।

अलवर तहसील की ग्राम पंचायत देसूला में आयोजित शिविर में नाहरपुर ग्राम निवासी ओमप्रकाश सहित सह-खातेदारों ने कृषि भूमि का सीमाज्ञान मौके पर करवाये जाने ने राहत की सांस ली है।

कृषि भूमि पर 32 सह-खातेदार होने के कारण आपसी सहमति से सीमाज्ञान नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित कराए जाने की सूचना मिलने पर समस्या का समाधान होने की उम्मीद की किरण दिखाई दी। सभी काश्तकारों ने एक साथ शिविर में पहुंचकर राजस्व अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा सह-खातेदारों से समझाइश कर मौके पर ही आपसी रजामंदी से कृषि भूमि का सीमाज्ञान कराया गया। लाभार्थी ओम प्रकाश सहित पूरे परिवार का इस तत्काल मिली राहत से खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अभिनव पहल के तहत आयोजित अन्त्योदय शिविर के माध्यम से समस्या का समाधान होने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट किया।

□□□

आम रास्ते को अतिक्रमण से मिली मुक्ति, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

-पूरण कुमार
उपखण्ड अधिकारी
रोहट (पाली)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत 20 जून 2025 को तहसील रोहट के ग्राम भाकरीवाला में आयोजित शिविर में आम जन के आवागमन की राह अतिक्रमण मुक्त होने से आम जन ने राहत की सांस ली। ग्राम पंचायत भाकरीवाला में 70 साल से मौके पर चल रहे ग्राम भाकरीवाला से झीतड़ा को जाने वाले रास्ते को मोटाराम बावरी द्वारा बंद कर दिए जाने की लिखित शिकायत और रास्ते को खुलवाए जाने का आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार रोहट श्री प्रकाश कुमार पटेल के नेतृत्व में पटवारी अशोक विश्नोई, सरपंच अमराराम बेनीवाल, ग्राम विकास अधिकारी लालाराम तथा पुलिस थाना रोहट के जाब्ते के साथ अति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रकरण में त्वरित कार्यवाही की गई तथा रास्ते को खुलवाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर के **अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभान्वित कर अन्त्योदय के मूल उद्देश्य** को चरितार्थ किया गया। रास्ते के खुलने से पिछले 2 दिन से घर आने को तरस रहे 40 से अधिक मवेशियों ने भी घर आकर राहत की सांस ली, रास्ता खुलवाने पर ग्राम के समस्त लोगों ने राजस्थान सरकार एवं उपखंड प्रशासन का भावनात्मक धन्यवाद दिया गया।

□□□

32 वर्ष से बंटवारे की आस लगाये परिवारों के खिले चेहरे

-धर्मेन्द्र कुमार मीणा
सहायक निदेशक (जनसंपर्क), करौली

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत गत 26 जून को तहसील सुरोठ की ग्राम पंचायत खीपकापुरा में आयोजित शिविर ग्राम मुंडा का पुरा के निवासी तीतुरिया पुत्र कुंदे, रामपति बेबा खूबीराम, राजेश महेंद्र पिसरान खूबीराम, सुनीता पत्नी स्वर्गीय रामेश्वर जाति जाटव निवासी मुंडा आदि के लिए सौगात भरा सिद्ध हुआ।

इन सभी ने 07 दिसम्बर 1993 को ग्राम मुंडा का पूरा में खसरा नंबर 863 व 864 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर भूखंड रजिस्ट्री द्वारा क्रय किया था। लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ जिसके लिए क्रेताओं द्वारा वर्ष 2007 में उपखंड न्यायालय हिंडौन में वाद दायर किया। उपखंड अधिकारी द्वारा वर्ष 25 अप्रैल 2007 को क्रेताओं के पक्ष में बटवारा स्कीम तैयार करने बावत डिक्री का आदेश पारित कर दिया लेकिन डिक्री की पालना नहीं हो पायी। उक्त डिक्री की पालना हेतु क्रेताओं ने तहसीलदार सुरोठ को शिविर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका तहसीलदार द्वारा त्वरित निर्णय लेकर भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को आदेश कर उपखंड न्यायालय की डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम तुरंत तैयार करवाई गयी। जैसे ही चुटकियों में बंटवारे संबंधी प्रक्रिया पूरी हुई सभी के चेहरे खिल उठे। इस प्रकार 32 वर्ष बाद पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर के तहत अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने का अन्त्योदय के मूल उद्देश्य चरितार्थ हो उठा। राहत के पर्याय बने इन शिविरों के लिये समस्त ग्रामवासियों के द्वारा राजस्थान सरकार के स्तर से शिविर आयोजन करने पर भावनात्मक धन्यवाद दिया गया।

□□□

जिले में जगह-जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का आयोजन, बांटे मिनी किट

बरसों की प्रतीक्षा खत्म, हाथों-हाथ मिले पट्टे

पखवाड़े के तहत पौधरोपण तहत एसडीएम व अन्य। सलूम्बर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सलूम्बर. जिले की बस्सी ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर का उपखण्ड अधिकारी परमजीत सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, पंचायत समिति उप प्रधान देवेंद्र सिंह अजयावत ने निरीक्षण किया। जहां विभिन्न विभागों की ओर से ग्रामीणों के प्रतिवेदनों, प्रार्थना पत्रों और शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह ने कहा कि शिविर में विभाग पीपुल्स फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन की छवि पेश करें। इस दौरान विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह, शिविर प्रभारी राजेश गुरसाहनी, नायब तहसीलदार हरिप्रकाश मीणा, प्राचार्य कपिल मेहता, सरपंच धापू देवी, उप सरपंच दौलत सिंह, सचिव हितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। बताया कि शिविर में बरसों से प्रतीक्षारत 12 परिवारों को मकान के पट्टे वितरित किए गए। साथ ही मक्का बीज वितरण व नव शैक्षणिक सत्र में प्रवेश करने वाले बालक-बालिकाओं का सम्मान किया गया।

सलूम्बर. महिला अधिकारिता विभाग की ओर से गुरुवार को बस्सी सामचोत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें महिला अधिकारिता विभाग की सुपरवाइजर अंजली मेहता की उपस्थिति में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटी जन्मोत्सव मनाया गया। शिविर में बालिकाओं ने उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह तथा अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बालिकाओं से केक कटवाया और परिसर में पौधरोपण करवाया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, उपप्रधान देवेंद्र सिंह, कपिल मेहता सहित कई मौजूद रहे।

सराड़ा. क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरबर श्री में गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा 2025 के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 107 बीपीएल परिवारों का सर्वे द्वितीय चरण के लिए किया गया। साथ ही 21 में से 12 पेंशन लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन किया गया। दिव्यांगजन को उपखंड अधिकारी ने सूचना एवं संबल प्रदान किया। विद्यालय में नए प्रवेशरत बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। पशुपालन विभाग की ओर से नए किए गए पशु बीमा वितरित करवाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी नई पहल के तहत टीबी मरीज को भामाशाह की ओर से पोषण किट वितरित करवाए गए। इस दौरान सराड़ा प्रधान बसती देवी मीणा, एसडीएम निलेश कुमार, अतिरिक्त विकास अधिकारी केदारनारायण चौधरी, सरपंच जीवतराम मीणा, वीडीओ जुगल पटेल, कनिष्ठ सहायक रजनीश चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे।

सलूम्बर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जिले की चयनित ग्राम पंचायतों में गुरुवार को अभियान के तीसरे दिन शिविरों का आयोजन किया गया। जिला कलक्टर अवधेश मीना ने लसाड़िया के पाटा में शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान कलक्टर ने प्रत्येक स्टॉल पर जाकर उपस्थित अधिकारियों और कार्मिकों से उनकी ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सा विभाग के डेस्क पर जाकर दी जा रही दवाइयों की जानकारी ली एवं विभिन्न टेस्ट के बारे में पूछा। इसके बाद कृषि विभाग से मृदा स्वास्थ्य कार्ड में पंजीकरण, पाइपलाइन, फार्म पौंड, तारबंदी, कृषि यंत्र, बीज मिनी किट आदि की जानकारी ली। उन्होंने जलदाय विभाग और विद्युत विभाग को विशेष रूप से निर्बाध बिजली देने के निर्देश दिए। बिजली व जलदाय विभाग को समन्वय स्थापित करते हुए सेवाओं को नियमित रखने को कहा। शिविर में विद्यालयों में प्रवेशोत्सव के दौरान नवीन नामांकन वाले बच्चों का कलक्टर ने माला पहनाकर, तिलक लगाने के साथ गुड़ खिलाकर मुंह मीठा करवाया।

पारदर्शिता के साथ हो त्वरित समाधान

निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर अवधेश मीना ने विभिन्न काउंटरों पर जाकर लाभार्थियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक सुविधाओं जैसे पेयजल व छाया का जायजा लिया। कलक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले हर व्यक्ति की बात को संवेदनशीलता से सुना जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए।

शिविर में पेमाराम को नाम शुद्धिकरण से मिली राहत

नमस्कार नेशन

बालोतरा, शुक्रवार को ग्राम पंचायत नगोणी धतरवालों की ढाणी में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर में एक महत्वपूर्ण कार्यवाही ने पेमाराम पुत्र जेठाराम जाट को बड़ी राहत पहुँचाई।पेमाराम ने शिविर में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि राजस्व ग्राम दानोणी मेघवालों की ढाणी में स्थित खसरा संख्या 1278, 1279, 1280 और 1291 में उनका नाम प्रेमाराम पुत्र श्री जेठाराम दर्ज है। जबकि उनके परिचय-पत्र, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में उनका सही नाम पेमाराम पुत्र जेठाराम दर्ज है।इस विसंगति के कारण उन्हें कई प्रशासनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राजस्व विभाग ने मौके पर ही उनके आवेदन पर संज्ञान लेते हुए नाम शुद्धिकरण की कार्यवाही पूरी की। इस त्वरित कार्यवाही से पेमाराम ने खुशी जताई और राज्य सरकार व जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

"सफलता की कहानी"

पीपली में आयोजित अंत्योदय शिविर में सुनिल कुमार को मिला न्याय "हाथो- हाथ हुआ खाता दुरूस्त"

आत्मा की ज्वाला

भीलवाडा - ग्राम पंचायत पीपली में आयोजित अन्त्योदय शिविर में सुनील कुमार पुत्र भंवर लाल उम्र 50 वर्ष निवासी पीपली ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कलुन्दिया उसकी खरीदशुदा भूमि है जिसे उसने काना पिता देबीदास बैरागी से खरीद की थी जो नामान्तकरण संख्या 756 दिनांक 26.06.2004 (किता 04 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा) राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम दर्ज हुई परन्तु वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074-77 देखने पर ज्ञात हुआ कि उसकी खरीदशुदा कब्जेशुदा भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का नाम 1/2 हिस्से में त्रुटिवश दर्ज हो गया है जिसे शुद्ध करने का निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार भंवर लाल सेन ने प.ह. पीपली व भू.अ.नि. मंगरोप को जांच के आदेश दिया। पटवारी अनुराधा खटीक, भू.अ.नि. अल्का हींगड़ की जांच रिपोर्ट अनुसार वक्त सेग्रीगेशन त्रुटिवंश प्रार्थी के खाते से किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया। जिसे शुद्ध करना उचित है। जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार हमीरगढ़ ने त्रुटिवश दर्ज हुए नाम को प्रार्थी के खाते से हटाने का आदेश दिया। उक्त त्वरित आदेश पाकर प्रार्थी अति प्रसन्न हुआ। उक्त आदेश न केवल उसके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी रहा बल्कि मानसिक रूप से भारी राहत मिली। सुनिल कुमार ने राज्य सरकार जिला प्रशासन व उपखण्ड प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि आज ग्राम पंचायत पीपली में शिविर नही लगता तो मुझे शुद्धि करवाने के लिए लम्बि प्रक्रिया से गुजरना पडता। ''धन्य हो राजस्थान सरकार''

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ाः सफलता की कहानी

होडू पंचायत में 30 परिवारों को मिला रास्ता, मौके पर ही प्रकरण तैयार कर मिली राहत

मरुधर न्यूज

बालोतरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा बालोतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी मूलभूत समस्याओं से मुक्ति दिला रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को होडू ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष शिविर में एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ, जहां 30 घरों को रास्ता प्रदान कर बड़ी राहत दी गई। यह कार्य

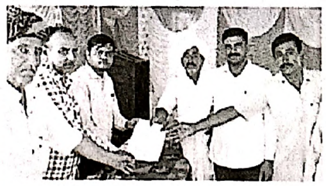

तहसीलदार और हल्का पटवारी द्वारा तुरंत मौका निरीक्षण कर रास्ता प्रकरण तैयार करने के बाद उपखंड न्यायालय में पेश किया गया।

दशकों पुरानी समस्या का त्वरित समाधान

होडू ग्राम पंचायत में 30 परिवारों के घरों तक पहुंचने का रास्ता उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण उन्हें रोजमर्रा के जीवन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यह समस्या कई दशकों से लंबित थी और ग्रामीण लगातार इसके समाधान की मांग कर रहे थे। शिविर में ग्रामीणों ने अपनी यह समस्या रखी। जिला प्रशासन की अंत्योदय संबल पखवाड़ा की भावना के अनुरूप, तहसीलदार और संबंधित हल्का पटवारी ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने मौके पर ही 30 घरों के लिए आवश्यक रास्ते का निरीक्षण किया, सभी संबंधित पक्षों से बात की और तुरंत रास्ता प्रकरण तैयार किया। इस प्रकरण को उपखंड न्यायालय में पेश कर दिया गया, जिससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी आई और ग्रामीणों को न्याय की उम्मीद जगी। साथ ही शिविर के दौरान 2 आपसी सहमति विभाजन, 4 सीमाज्ञान, 10 नामांतरकरण, 3 कुरेजांत रिपोर्ट और 2 नेखमबंदी पालना कर आम लोगों को राहत प्रदान की गई।

ग्रामीणों में खुशी और प्रशासन के प्रति विश्वास

रास्ता खोलने की प्रक्रिया शुरू होने से ग्रामीणों में भारी उत्साह और संतोष का माहौल है। ग्रामीणों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें विश्वास नहीं था कि यह समस्या इतनी जल्दी हल हो जाएगी।

इस पखवाड़े ने हमें बहुत बड़ी राहत दी है। अब हमारे बच्चों को स्कूल जाने या बीमार होने पर अस्पताल पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

शिविर का आयोजन, कब्जाकाश्त की खातेदारी पाकर किसान खुश

टोडारायसिंह. बोटूंदा में आयोजित शिविर में उपस्थित ग्रामीण व अधिकारी।

टोडारायसिंह. पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल पखवाडे के तहत ग्राम पंचायत मूण्डियाकलां में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी नायब तहसीलदार मनीष मीणा ने बताया कि शिविर में सहखातेदार किशनलाल व गोपाल पुत्र भूरा तथा सांवरा पुत्र गोपाल गुर्जर निवासी नारेडा अपने खातेदारी की भूमि खाता सं. 357 रकबा 9.07 हैं। भूमि के खाता शामिल होने पर मौके पर कब्जे काश्त की समस्या एवं खेतों को जोतने- बोने की संबंध में आपस में विवाद होने तथा लड़ाई झगड़ा होने की शिकायत लेकर उपस्थित हुये। उक्त खातेदारों को मौके पर उपस्थित नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी ने समझाइश कर मौके पर आपसी सहमति करवाई तथा अलग-अलग रंग भरकर खेतों का विभाजन करवाया। इसके साथ पिछले 10 वर्षो का विवाद समाप्त हो गया। उक्त अभियान में आमजन की परिवेदनाओं को शीघ्र निस्तारण कर तत्काल राहत दी गई।

दैनिक भोर, 28 जून 2025

पांच घुमन्तू परिवारों को आवासीय पट्टे का लाभ

अब वे पक्के मकान का भी सपना साकार कर सकेंगे

श्रीगंगानगर, 27 जून। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत घडसाना उपखण्ड की ग्राम पंचायत 7केएनडी-ए में घुमन्तू, अर्द्धघुमन्तू के पांच परिवारों का आवासीय पट्टे प्रदान कर लाभान्वित किया गया। शिविर के सहप्रभारी ने बताया कि घुमन्तू, अर्द्धघुमन्तू परिवारों में मांगीलाल, राजकुमार, अजयपाल, राकेश कुमार व रतिराम ने बताया कि आवासीय भूमि के स्वामित्व को लेकर काफी परेशान है। भूमि पर कब्जा तो है लेकिन कोई वैद्य दस्तावेज नहीं होने के कारण किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। शिविर में पांचों परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में आवासीय पट्टा देने से पांचों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। **शेष पृष्ठ 2 पर**

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा

» रास्ते को किया राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज, खिल उठे ग्रामीणों के चेहरे

- निरीक्षक न्यूज नेटवर्क -

बूंदी | 27 जून।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के अन्तर्गत शुक्रवार को तहसील हिण्डोली, की ग्राम पंचायत अणतगंज में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अणतगंज के ग्रामीणों द्वारा ग्राम खटावदा में नहर से सती माता स्थान व पुरानी आबादी तक खसरा नम्बर 296, 549 व 548 राजकीय सिवायचक भूमि में से निकल रहे रास्ते जिसका कुल रकबा 0.2750 हैक्टेयर हैं को गे.मु. रास्ते में दर्ज करने हेतु अवगत कराया गया।

ग्राम खटावदा में नहर से सती माता के स्थान व पुरानी आबादी तक के रास्ते की कुल लम्बाई 550 मीटर हैं।

पटवारी हल्का अणतगंज से उक्त रास्ते का मौका निरीक्षण करवाने के पश्चात् उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके लिए ग्राम पंचायत अणतगंज द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रस्ताव सुनकर ग्राम वासियों के चेहरे खिल गये और उनकी बरसों पुरानी समस्या का समाधान पाकर उन्होंने राजस्थान सरकार व प्रशासन का शिविर आयोजन करने पर बहुत-बहुत आभार व्यक्त किया।

55 वर्षों बाद हुआ नामांतरण दर्ज, वारिसों के चेहरों पर छलकी खुशी

नाथड़ाऊ|पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर के तहत ग्राम पंचायत मुखिया नाथड़ाऊ में 55 वर्षों से लंबित एक विरासत नामांतरण प्रकरण का समाधान होते ही संबंधित वारिसों के चेहरों पर खुशी छलक उठी। खातेदार मालाराम, बाबूराम, भैराराम, मगाराम, सालूराम एवं गीता, निवासी नाथड़ाऊ ने इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने लिए सौगात बताया और राज्य सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। शिविर के दौरान कुल 8 नामांतरण दर्ज किए गए, साथ ही करण शुद्धि पत्र जारी किए गए एवं अन्य राजस्व संबंधित कार्य भी संपादित किए गए। इस अवसर पर शिविर प्रभारी एईएन योगेश कुमार, पटवारी अलका, डूंगरसिंह इंदा, पप्पू सिंह इंदा, आसाराम मीणा, उत्तम सिंह, विक्रम सिंह राजपुरोहित, अखे सिंह सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे।

पत्रिका

पचास साल बाद राधा-रुक्मा को पुश्तैनी जमीन में मिला हक

राजसमंद. शिविर में जमीन के हक का प्रमाण पत्र सौंपते मौजूद अधिकारी।

राजसमंद. राजस्थान की धड़कती धरती पर जब इंसाफ की आवाज गूंजती है, तो वह केवल फैसला नहीं होता – वह इतिहास बन जाता है। ऐसा ही इतिहास रचा दो बहनों राधा और रुक्मा ने, जो राजसमंद जिले के एक छोटे से गांव कुंडेली की रहने वाली हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें वह हक मिला, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था – पुश्तैनी जमीन।

गांव की हर बेटी के लिए बनीं मिसाल: आज राधा और रुक्मा न केवल जमीन की मालकिन हैं, बल्कि गांव की हर बेटी के लिए उम्मीद की एक जलती मशाल भी हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि महिला होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। अगर नीति और नीयत साथ हो, तो वर्षों की अन्याय की दीवार भी ढहाई जा सकती है।

न्याय का सूरज उगा, आधी सदी के बाद: शिविर के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि जमीन पर असली हक राधा और रुक्मा का ही है। और फिर वह ऐतिहासिक पल आया, चास वर्षों बाद, जब राजस्व विभाग ने उनके नाम जमीन का नामांतरण किया। यह केवल कागजी प्रक्रिया नहीं थी, यह आंसुओं से सींची गई एक उम्मीद की फसल थी।

अंत्योदय पखवाड़ा: न्याय की दस्तक

राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए "पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े" के अंतर्गत देवगढ़ तहसील की सांगावास ग्राम पंचायत में एक जनकल्याण शिविर लगा। उद्देश्य था समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक न्याय और योजनाओं का लाभ पहुँचाना, जिसे बरसों से अनदेखा किया गया। राधा और रुक्मा ने भी अपनी पीड़ा और दस्तावेजों के साथ इस शिविर का रुख किया। अधिकारियों ने न सिर्फ उनकी बात सुनी, बल्कि संवेदनशीलता के साथ पुराना रिकॉर्ड खंगाला, गवाहों के बयान दर्ज किए और तहसील स्तर पर सच्चाई की परतें उधेड़ीं।

दर्द से शुरू हुई कहानी

राधा और रुक्मा की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं। जब वे केवल दो और चार वर्ष की थीं, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। एक मां, दो मासूम बेटियां और थोड़ी-सी पुश्तैनी जमीन – यही कुल जमा जीवन की पूंजी थी। पर समाज की बेरुखी और रिश्तेदारों की लालच के सामने यह पूंजी भी छिन गई। चाचा और ताऊ ने दस्तावेजी ताकत के बल पर जमीन पर कब्जा जमा लिया। विधवा मां की मजबूरी और बेटियों की कमजोरी ने किसी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं दी।

40 वर्ष से परेशान थे, शिविर में ही हुई कृषि भूमि में नाम शुद्धि

सीकर टाइम्स। चूरू. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की मंशा से जिले में चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अंतर्गत शिविर आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। 24 जून को जिले के बीदासर पंचायत समिति की जोगलसर में आयोजित शिविर में केशु सिंह का कृषि भूमि में नाम शुद्धि हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। केशु सिंह ने बताया कि जोगलसर में उनकी कृषि भूमि में उनका नाम केसरी सिंह दर्ज था, जो गलत था। इस कारण उन्हें पीएम किसान तथा केसीसी योजना का लाभ नहीं

मिल रहा था। वह 40 वर्षों से नाम शुद्ध करवाने का प्रयास कर रहे थे। 24 जून को जब ग्राम पंचायत में शिविर लगा तो उनका नाम तुरन्त एक ही जगह पर शुद्धि कर 'केशु सिंह' किया गया। अपनी प्रसन्नता जताते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शिविरों के आयोजन के लिए आभार जताया।

फियावड़ी में पौधरोपण और टीकर में पीएचईडी ने कंटिंजेंसी कार्य का भौतिक सत्यापन किया

अंत्योदय संबल पखवाड़ा : शिविरों में लंबित पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान, नामांतरण, रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण

भास्कर न्यूज | राजसमंद

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मना रही है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों को मौके पर ही राहत दी जा रही है।

कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा हर शिविर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीएम नरेश बुनकर और जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। ग्राम पंचायत फियावड़ी में शिविर के दौरान विकास अधिकारी महेश गर्ग और अन्य लोगों ने पौधरोपण किया।

राधा और रुक्मा को मिला न्याय, पुश्तैनी जमीन का मिला हक

राजसमंद | कुंडेली गांव की राधा और रुक्मा को 50 साल बाद अपनी पुश्तैनी जमीन का हक मिला। दोनों बहनों के पिता का निधन तब हुआ जब वे केवल दो और चार साल की थीं। मां विधवा थीं। परिवार पर संकट था। इसी बीच चाचा और ताऊ ने जमीन अपने नाम करवा ली। समय बीतता गया। राधा और रुक्मा बड़ी हुईं। शादी हुई। परिवार बने। लेकिन दिल में जमीन का दर्द बना रहा। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा' शुरू किया। इसके तहत सांगावास ग्राम पंचायत, तहसील देवगढ़ में शिविर लगा। शिविर में राधा और रुक्मा का मामला सामने आया। जांच में साफ हुआ कि जमीन पर हक राधा और रुक्मा का है। इसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई। शुक्रवार को दोनों बहनों के नाम जमीन का नामांतरण हुआ। यह सिर्फ जमीन नहीं थी, यह उनके संघर्ष, धैर्य और विश्वास की जीत थी। आज राधा और रुक्मा गांव की हर बेटी के लिए मिसाल बन गई हैं। उन्होंने साबित किया कि हक की लड़ाई में उम्र या हालात आड़े नहीं आते। सरकार का साथ हो तो इंसाफ जरूर मिलता है।

ग्राम टीकर में पीएचईडी द्वारा कंटिंजेंसी कार्य का भौतिक सत्यापन पूरा किया गया। नमाना में भी पौधरोपण हुआ। फतेहपुर, पिपाला, कालादेह, झासमंद, जमाना, महन्दूरिया, खटामला, वरदड़ा सहित कई पंचायतों में ग्रामीणों को मौके पर ही राहत दी गई। शिविरों में राजस्व, पंचायतीराज, चिकित्सा, एविवीएनएल, पीएचईडी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विकास अधिकारी खुद मौजूद रहकर समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं।

शिविरों में लंबित पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान, नामांतरण, कुरेजात रिपोर्ट और रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। आपसी सहमति से बंटवारे की कार्रवाई भी हुई। गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल परिवारों का सर्वे किया गया। इन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए आवेदन लिए गए।

महुवा उपखंड में सबसे अधिक 22 रास्ते खुलवाए

'रास्ता खोलो' अभियान बना वरदान, 125 मार्ग खुलने से राह हुई आसान

दौसा. रास्ते से अतिक्रमण हटाती जेसीबी।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

दौसा. राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण अंचल में शुरु किया गया 'रास्ता खोलो' अभियान ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके तहत सालों से बंद पड़े रास्ते खुलने से आमजन की राह आसान होने लगी है और आपसी विवाद भी कम हुए हैं। अभियान के तहत जिले में 125 रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराकर खुलवाने से जिलेवासियों को बड़ी राहत मिली है। महुवा उपखंड में सर्वाधिक 22 रास्तों से अतिक्रमण हटवाकर आवाजाही शुरु करवाई गई।

जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने बताया कि अप्रैल माह से शुरू हुए इस अभियान के माध्यम से जो रास्ते अतिक्रमण की वजह से सालों से बंद पड़े थे। उनको खोलकर लोगों की राह को सुगम बनाया गया है। उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों के नेतृत्व में राजस्व टीमों ने कहीं लोगों से समझाइश कर रास्ते खुलवाए तो कहीं पुलिस की मदद से सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटवाकर चालू कराया। इनमें से कई रास्ते तो ऐसे हैं, जो कई दशकों से बंद पड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि विभिन्न तहसीलों में रास्तों से संबंधित 186 प्रकरण दर्ज थे, जिनमें से 125 रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराकर प्रकरण निस्तारित करवाए गए हैं।

ग्रेवल रोड बनवाने के निर्देश

जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने बताया कि 'रास्ता खोलो' अभियान के अंतर्गत खोले गए इन रास्तों पर ग्रेवल रोड निर्माण करवाने के लिए संबंधित विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि सालों से बंद पड़े इन रास्तों के खुलने से ग्रामीणों की राह सुगम होने के साथ लोगों के बीच विवाद भी खत्म हुए हैं। सालों से विवादित इन रास्तों को खुलवाने में राजस्व टीमों के साथ पुलिस, जनप्रतिनिधि एवं आमजन का भी सकारात्मक सहयोग रहा। (ग्रामीण)

17 पंचायतों में अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आयोजित

मौके पर मिली राहत की संजीवनी से ग्रामीणों में उत्साह

नवज्योति/बालोतरा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शुक्रवार को बालोतरा जिले की 17 ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा और त्वरित लाभ मिला, जिससे ग्रामीणों में राहत की संजीवनी पाकर जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिला।

राज्य सरकार द्वारा 24 जून से 06 जुलाई तक चलाए जा रहे इस विशेष पखवाड़े का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव के निर्देशानुसार इन शिविरों में राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

शुक्रवार को ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन हुआ उनमें भाखरी खेड़ा, जागसा, कितपाल, नगोणी धतरवालों की ढाणी, वायतु चिमनजी, परेउ, मेघवालों की बस्ती, केसुम्बला भाटियान, सिणेर, नाल, मिठोड़ा, रातड़ी, कंमों का बाड़ा, बामणी, होडू, सड़ा धनजी एवं दरगुडा शामिल हैं। इन शिविरों की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहीं ओर भटकना नहीं पड़ा। कई ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्याएं मौके पर ही सुलझा ली गई। कई किसानों की जमाबंदी में मौजूद त्रुटियों को सुधारा गया, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आ रही दिक्कतें दूर हुई। पात्र लाभार्थियों को उनकी भू-संपत्ति के स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए, जिससे उन्हें अपनी जमीन पर कानूनी हक और सुरक्षा मिली। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कई नए आवेदन स्वीकार किए गए और लंबित मामलों को निपटाया गया। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में भी पात्र परिवारों को जोड़ा गया। शिविरों में राजस्व संबंधी विवादों और रास्ते के मामलों को अधिकारियों की मध्यस्थता और आपसी समझाइश से सुलझाया गया, जिससे ग्रामीण काफी संतुष्ट दिखे।

स्वामित्व योजना में पट्टा मिलने से मानाराम मेघवाल को अब मिल सकेगा आवास

सीकर टाइम्स। चूरू. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की मंशा से जिले में चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अंतर्गत शिविर आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। जिले की रतनगढ़ पंचायत समिति के सीतसर में बुधवार को आयोजित शिविर में सीतसर के ही मानाराम मेघवाल को जब स्वामित्व योजना अंतर्गत भूमि का पट्टा मिला तो उसने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। मानाराम बताते हैं कि उनके घर की भूमि का पहले पट्टा नहीं बना हुआ था, जिस कारण मुझे किसी प्रकार का आवास का लाभ नहीं मिला और न ही उनके पास किसी प्रकार का भूमि सम्बन्धी माप व मालिकाना हक़ का कोई कागजात थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाई गई स्वामित्व योजना में उनकी भूमि का ड्रोन सर्वे होने के बाद शिविर में आबादी भूमि में रहवास की जमीन का पट्टा व सम्पति कार्ड प्रदान किया गया। जमीन का पट्टा व सम्पति कार्ड मिलने से बहुत प्रसन्नता हुए। अपनी खुशी जाहिर करते हुए मानाराम ने कहा कि अब मुझे बैंक द्वारा लोन लेने व प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ लेने हेतु बहुत सहायता मिलेगी व मेरी जमीन आधिकारिक माप व मालिकाना हक भी मुझे मिल गया है।

50 साल बाद मिला आशियाने का अधिकार नेमचंद भील को आबादी भूमि का पट्टा मिला

बालोतरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ने आज बागावास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नेमचंद भील पुत्र पूंजाराम के चेहरे पर खुशी ला दी। पिछले 50 वर्षों से ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर काबिज होने के बावजूद, पट्टा न होने के कारण नेमचंद सरकारी योजनाओं जैसे पीएम आवास और ऋण सुविधाओं से वंचित थे। शुक्रवार को आयोजित शिविर में प्रशासन ने नेमचंद को आबादी भूमि का पट्टा प्रदान कर बड़ी राहत दी। इस पट्टे के मिलने से अब नेमचंद भविष्य में सरकारी आवास योजनाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। पट्टा मिलने के बाद नेमचंद पुत्र पूंजाराम भील ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जिला प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया।

रास्ते खुले, चेहरे खिले और ग्रामीणों के लिए वरदान बन गया 'रास्ता खोलो अभियान'

–नरेन्द्र सिंह शेखावत

सहायक जनसंपर्क अधिकारी, जयपुर

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिले में संचालित रास्ता खोलो अभियान अब ग्रामीणों एवं किसानों के लिए राहत का दूसरा नाम बन गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और दूरदृष्टि से प्रेरित यह पहल न केवल अतिक्रमण मुक्त करने का प्रशासनिक प्रयास है, बल्कि यह उस सोच का प्रतीक है जिसमें शासन जनता की रोजमर्रा की तकलीफों को समझकर उनका स्थायी समाधान करता है।

महज नौ महीनों में जयपुर जिला प्रशसन द्वारा 1 हजार 396 रास्ते खुलवाना इस बात का प्रमाण है कि संवेदनशील नेतृत्व किस तरह बदलाव ला सकता है। फागी, मौजमाबाद, चौमूं, शाहपुरा, आंधी और दूदू जैसे उपखंडों में ग्रामीणों ने जब देखा कि उनकी पीढ़ियों से चली आ रही समस्या अब खत्म हो रही है, तो उनके चेहरे पर वही सुकून झलकने लगा जो बरसों से इंतजाररत था। इतना ही नहीं खुलवाए गए रास्तों पर फिर से अतिक्रमण ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अब तक 266 किलोमीटर से अधिक ग्रेवल एवं 10 किलोमीटर से अधिक लंबी इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाया जा चुका है।

आज जयपुर जिले से हुई यह पहल पूरे राजस्थान में प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह दिखा दिया है कि जब शासन संवेदनशीलता और दृढ़ता से

काम करे, तो बंद राहें भी खुल जाती हैं और बंद उम्मीदें भी नए सपनों में बदल जाती हैं। वास्तव में, 'रास्ता खोलो अभियान' मुख्यमंत्री की उस जनहितैषी सोच का परिणाम है, जिसने सुशासन की दिशा को न सिर्फ स्पष्ट किया है, बल्कि लाखों ग्रामीणों के जीवन को भी सरल और सुखद बना दिया है।

बरसों से बंद पड़े रास्ते केवल ग्रामीणों की आवाजाही में रुकावट ही नहीं थे, बल्कि उनकी उम्मीदों और सपनों पर भी भारी थे। कोई किसान अपनी ही जमीन तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर काटने को विवश था, तो कहीं गांव का अंतिम संस्कार मार्ग दशकों से अतिक्रमण की चपेट में था। जनजीवन की ऐसी पीड़ा को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गहराई से महसूस किया और यही कारण है कि उन्होंने प्रशासन को यह स्पष्ट दिशा दी कि ग्रामीणों की राह आसान करना ही असली सुशासन है। जयपुर जिले में रास्ता खोलो अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक आमजन को लाभांवित करने के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी द्वारा रास्ता खोलो अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अभियान के तहत रास्ते खुलवाने के मामले में फागी अव्वल है जहां सर्वाधिक 129 रास्ते खुलवाए गए हैं तो वहीं, मौजमाबाद में प्रषासन ने 114 रास्ते खुलवाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की है।

रास्ता खोलो अभियान इस तरह बन गया ग्रामीणों के लिए वरदान

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर जयपुर जिले में संचालित रास्ता खोलो अभियान अब ग्रामीणों के लिए किस तरह वरदान बनता जा रहा है। चकवाड़ा गांव की कहानी इस बदलाव का जीवंत उदाहरण है। यहां लसाड़िया से चकवाड़ा तक का रास्ता 30 वर्षों से बंद था। जैसे ही यह रास्ता खुला, दोनों गांवों की दूरी 17 किलोमीटर से घटकर 7 किलोमीटर रह गई साथ ही खोले गए रास्ते पर ग्रेवल सड़क का भी निमार्ण करवाया गया है। यह परिवर्तन केवल दूरी कम होने का आंकड़ा नहीं, बल्कि पांच हजार ग्रामीणों के जीवन

में सहजता, राहत और प्रसन्नता का प्रतीक बन गया।

फागी के लदाना में 50 साल पुरानी राह हुई सुगम

इसी प्रकार फागी के लदाना गांव में श्मशान घाट तक जाने का मार्ग पचास साल से अतिक्रमण में दबा हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल षिविर में ग्रामीणों ने मुख्य आबादी से गांव के श्मशान घाट को जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। जब 'रास्ता खोलो अभियान' के तहत इस रास्ते को मात्र तीन दिनों में अतिक्रमण मुक्त कर चौड़ा और पक्का बना दिया गया, तो ग्रामीणों के चहरे पर खिली मुस्कान शासन और प्रशासन के प्रति भरोसे का प्रतीक थी। यह बदलाव बताता है कि जब सरकार जनता की संवेदनाओं के साथ खड़ी हो जाती है, तो कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं।

रास्ता खोलो अभियान से बदल रही तस्वीर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से जयपुर जिले में चल रहा यह अभियान केवल रास्तों को खोलने तक सीमित नहीं है। यह सहमति और समझाइश पर आधारित एक सामाजिक

आंदोलन है, जिसमें प्रशासनिक टीम विवादों को अदालत तक ले जाने के बजाय संवाद और सहयोग से सुलझाती है। यही कारण है कि हजारों रास्ते बिना किसी तनाव और टकराव के खुले हैं।

रास्ता खोलो अभियान के तहत प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह 3 रास्ते खुलवाकर लाखों ग्रामीणों को राहत प्रदान की जा रही है। रास्ता खोलो अभियान के तहत जिला प्रशासन ने समझाइश एवं सहमति से गांवों, खेतों और ढाणियों के बरसों से बंद पड़े एक हजार 396 रास्ते खुलवाए गए हैं।

15 नवंबर 2024 से 15 अगस्त 2025 तक अभियान के तहत जयपुर तहसील में 4 रास्ते, कालवाड़ तहसील में 8 रास्ते, आमेर तहसील में 74 रास्ते, जमवारामगढ़ तहसील में 62 रास्ते, आंधी तहसील में 83 रास्ते, बस्सी तहसील में 70 रास्ते, तूंगा तहसील में 50 रास्ते खुलवाए गए।

शाहपुरा तहसील में 83 रास्ते, जोबनेर तहसील में 71 रास्ते, किशनगढ़-रेनवाल तहसील में 64 रास्ते, फुलेरा तहसील में 75 रास्ते, रामपुरा-डाबड़ी तहसील में 65 रास्ते, जालसू तहसील में 49 रास्ते, चौमूं तहसील में 88, सांगानेर तहसील में 27 रास्ते खुलवाए गए। उन्होंने ने बताया कि चाकसू तहसील में 79 रास्ते, कोटखावदा तहसील में 59 रास्ते, माधोराजपुरा तहसील में 70 रास्ते एवं दूदू तहसील में 73 रास्ते खुलवाए गए।

ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्राप्त होते हैं। रास्तों को लेकर न्यायालय में भी वाद दायर किए जाते रहते हैं। ऐसे प्रकरणों में निरन्तर बढ़ोतरी होने से आमजन को न्यायालय के चक्कर लगाने एवं जन-धन की हानि होने के साथ-साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

इसलिए प्रशासन ने रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए 'रास्ता खोलो अभियान' चलाने का निर्णय लिया गया। वहीं, जिन रास्तों के वाद न्यायालय में विचाराधीन है परिवादियों द्वारा संबंधित न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जाएगा।

अभियान के तहत खंड विकास अधिकारी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने में सहयोग, उपखण्ड अधिकारी सप्ताह में एक बार तहसीलदार, थानाधिकारी, विकास अधिकारी के साथ रास्तों से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा कर रहे हैं तथा खोले जाने वाले रास्तों का चिन्हीकरण कर सप्ताह में कम से कम तीन रास्तों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। बंद रास्ते खुलवाए जाने के पश्चात खंड विकास अधिकारी संबन्धित खोले गए रास्तों पर ग्रेवेल एवं सी.सी. रोड बनवाया रहे हैं ताकि फिर से कोई रास्ते पर अतिक्रमण नहीं कर पाए। जिन स्थानों पर किन्हीं कारणों से शुक्रवार को कार्यवाही संभव नहीं हो पाई उन स्थानों पर शनिवार को रास्ता खोलो अभियान के तहत कार्यवाही की जा रही है।

अभियान से लाभांवित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए बताते हैं कि गांव और खेतों की ओर जाने वाली राह आसान करने के लिए जिला प्रशासन के इस अभियान से आमजन को राहत मिल रही है। जिला प्रशासन एवं पुलिस ने सहयोग कर दशकों से बंद सिवायचक, कटानी एवं गैर मुमकिन सहित अन्य सभी प्रकार के रास्तों को खुलवा कर उनकी राह बेहद आसान कर दी है। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ रास्ते तो करीब 50 साल से बंद थे, लेकिन सहमति एवं समझाइश से इन रास्तों को भी खुलवाने में कामयाबी मिली।

रास्ता खोलो अभियान के तहत आम रास्तों, गोचर भूमि पर अतिक्रमण को हटाने, बंद किए जा चुके खातेदारी रास्तों को खुलवाने, राजस्व अभिलेख में दर्ज रास्ते, काश्तकारों की कृषि जोत के विभाजन करने से पूर्व रास्तों का प्रावधान करने, रास्ते निकालने, राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, राजकीय भूमि पर से सार्वजनिक रास्ता निकालने तथा खातेदार किसान को उसकी जोत यानी खेत तक पहुंचने के लिए राजकीय चारागाह भूमि में से होकर रास्ता देने तथा खातेदारी भूमि में से होकर नवीन रास्ते निकालने और विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है।

सुशासन का यही असली स्वरूप है–जहां जनता की परेशानी को फाइलों में नहीं, बल्कि धरातल पर हल किया जाए। रास्ता खोलो अभियान ने यह साबित कर दिया है कि सच्ची सरकार वही है जो जनता के लिए रास्ते आसान बनाए, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखे और जीवन को सहज बनाने का संकल्प निभाए।

□□□

रास्ता खोलोअभियान : सालों से बंद 125 रास्ते खुलने से आमजन की राह हुई आसान

सोहनलाल
सहायक निदेशक (जनसम्पार्क), दौसा

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अंचल में शुरु किया गया रास्ता खोलो' अभियान दौसा जिले के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके तहत सालों से बंद पड़े रास्ते खुलने से आमजन की राह आसान हुई है और आपसी विवादों का समाधान होने से सौहार्द का माहौल बना है। अभियान के दौरान जिले में 125 रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कर खुलवाने से जिलेवासियों को बड़ी राहत मिली है। महवा उपखंड में सबसे अधिक 22 रास्तों से अतिक्रमण हटवाकर आवाजाही शुरु करवाई गई।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर श्री देवेन्द्र कुमार ने सर्वोच्चत प्राथमिकता प्रदान करते हुए अभियान को सफल बनाने की दिशा में व्यापिक कार्ययोजना के साथ कार्य शुरु किया। इस अभियान के माध्यम से अतिक्रमण की वजह से सालों से बंद रास्तों को खोलकर

लोगों की राह को सुगम बनाया गया है। उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों के नेतृत्व में राजस्व टीमों ने कुछ मामलों में लोगों से समझाइश कर रास्ते खुलवाए तो कहीं पुलिस की मदद से सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाया। इनमें से कई रास्ते तो ऐसे हैं, जो कई दशकों से बंद पड़े हुए थे।

इस अभियान से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों पर अतिक्रमण के 186 प्रकरण दर्ज थे, जिनमें से 125 रास्तों को अभियान में अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है।

इन रास्तों को ग्रेवल रोड में किया जा रहा है विकसित–

'रास्ता खोलो' अभियान के अंतर्गत खोले गए इन रास्तों पर ग्रेवल रोड निर्माण करवाने के लिए जिला कलेक्टर ने संबंधित विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्टर ने बताया कि सालों से बंद पड़े इन रास्तों के खुलने से ग्रामीणों की राह सुगम होने के साथ लोगों के बीच विवाद भी खत्म हुए हैं। सालों से विवादित इन रास्तों को खुलवाने में राजस्व टीमों के साथ पुलिस, जनप्रतिनिधि एवं आमजन का भी सकारात्मक सहयोग रहा।

डाबर कलां में 25 साल से बंद राह खुली–

अभियान में रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति की निजामपुर ग्राम पंचायत में डाबरा कलां गांव में 25 साल से बंद रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर खुलवाया गया। सलेमपुरा-राणौली मुख्य सड़क से ग्राम पंचायत निजामपुरा के डाबर कलां गांव को जोड़ने वाला यह रास्ता 25 साल से अतिक्रमण के कारण बंद था। रास्ते की इस रुकावट की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस रास्ते को लेकर दोनों तरफ से काश्तकारों का विरोध था, जिससे यह रास्ता बंद पड़ा था। प्रशासन ने दो-तीन बार पहले भी इसे खुलवाने का प्रयास किया था लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी।

उपखंड प्रशासन ने आसपास के काश्तकारों से संवाद कर इस रास्ते को खुलवाने की सकारात्मक पहल की। राजस्व टीम ने गांव वालों के सहयोग से पुलिस को साथ लेकर 26 जून को सवा किलोमीटर लंबे इस रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। इससे अब ग्रामीणों की आवाजाही सुगम हो सकेगी, स्कूली बच्चों के लिए आने-जाने में दिक्कत नहीं होगी और काश्तकार जरूरी साधन एवं कृषि यंत्र लाने-ले जाने का काम आसानी से कर सकेंगे। ग्रामीणों ने 25 साल से चल रही इस समस्या का हल होने पर

खुशी जाहिर की और इस अभियान के माध्यम से किए जा रहे पुनीत कार्यों के लिए राज्य सरकार की सराहना की।

लवाण में दो दशक से बंद रास्ता खुलवाया–

तहसीलदार लवाण के नेतृत्व में राजस्व टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में 18 जून को लवाण के पूर्णीयावास गांव में माधोलाई तलाई से खैराला की कोठी तक जेसीबी चलवाकर बीस साल से बंद रास्ता खुलवाया। इससे लगभग सौ लोगों को फायदा होगा।

25 साल से बंद डेढ़ किलोमीटर लंबा रास्ता खुला–

अभियान के दौरान अप्रेल माह में बहरावण्डा तहसील के मीनावाड़ा गांव में 25 साल से बंद डेढ़ किलोमीटर लम्बा रास्ता खुलवाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से अवाप्त यह रास्ता पिछले 25 साल से अतिक्रमण के कारण बंद था। गांव में इस मार्ग के अलावा अन्य कोई रास्ता रिकॉर्डेड नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को आवाजाही में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों के लिए भी कोई सुचारू रास्ता नहीं था। राजस्व टीम ने मय पुलिस जाब्ता करीब डेढ़ किलोमीटर लम्बे इस रास्ते से अतिक्रमण हटवाया। गांव में इस रास्ते के खुलने से उत्साहित ग्रामीणों ने 'रास्ता खोलो अभियान' चलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है।

□□□

राजस्व समाचार

राजस्व मंडल की ओर से राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला पूर्ण विधिक आधार एवं न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए निर्णय पारित करें राजस्व न्यायालय

-राजस्व मंडल अध्यक्ष

अजमेर 22 फरवरी। राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री हेमन्त कुमार गेरा ने राज्य के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से कहा है कि वे पूर्ण विधिक तथ्यों, नजीरों एवं सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखकर अपनी श्रेष्ठ कार्य क्षमता का परिचय देते हुए निर्णय पारित करें।

श्री गेरा अजमेर के राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरआरटीआई) में राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारी एवं भू-प्रबंध अधिकारियों की राज्यस्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काश्तकार समुदाय को त्वरित एवं पूर्ण निष्पक्ष न्याय दिलाना राजस्व न्यायालयों का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया को अत्यंत गंभीरता एवं जवाबदेही से सम्पादित करने की महती आवश्यकता है।

उन्होंने सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों से अपेक्षा की कि वे उनके अधीन लम्बित प्रकरणों में निर्णय देने से पूर्व प्रत्येक पहलू का भली भांति अध्ययन करें। राजस्व मंडल स्तर से पारित महत्त्वपूर्ण निर्णयों की बारीकियों को शामिल करते हुए अपने पूर्ण विधिक आधार को ध्यान में रखकर निर्णय दें।

कार्यशाला में मंडल सदस्य श्री राजेश दड़िया ने न्यायालयों में प्रक्रिया विधि एवं साक्ष्य विधि को विस्तार से परिभाषित करते हुए कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक सिद्धान्तों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रकरणों का न्यायालय से इतर निस्तारण व लोक अदालतों की महत्ता पर भी प्रकाश डाला।

निबंधक श्री महावीर प्रसाद ने रास्ता विवाद, बंटवारा के प्रकरणों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए न्यायिक प्रक्रिया में विधिक प्रावधानों पर विचार रखे। सदस्य डॉ. महेन्द्र लोढ़ा ने राजस्व न्यायालयों द्वारा स्वीकार योग्य प्रकरणों के लिए विधिक प्रावधान, सदस्य डॉ. शिवप्रसाद सिंह, श्री मदनलाल नेहरा, श्री भवानी सिंह पालावत ने भी अपीलीय अधिकार, राजीनामा, बंटवारा, सम्पत्ति हस्तांतरण, विविध प्रकरणों में न्याय प्रक्रिया, प्रावधान एवं विविध स्तरीय अधीनस्थ न्यायालयों निर्णय अधिकार क्षेत्र आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए निर्णय लेखन गुणवत्ता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की।

कार्यशाला में प्रश्नोत्तर एवं ऑपन सेशन के दौरान राजस्व न्यायालय कार्यप्रणाली में गुणवत्ता एवं त्रुटिहीन निर्णय लेखन को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

कार्यशाला में राजस्व अपील अधिकारी श्री सुनील आर्य भरतपुर, श्री परस राम मीणा भीलवाड़ा, श्री उम्मेद सिंह रत्नू बीकानेर, श्री रिछपाल सिंह बुरड़क भरतपुर, श्री अनिल कुमार सीकर, श्री भवानी सिंह हनुमानगढ़, श्री सुरेश नवल जयपुर, श्री रामचन्द्र अजमेर, श्रीमती दीप्ति मीणा कोटा, श्री कैलाश चन्द्र गंगानगर,श्री नवनीत कुमार बाड़मेर, डॉ. भास्कर विश्नोई पाली, श्री ओम प्रकाश विश्नोई जोधपुर, श्री सुरेश कुमार खटीक चित्तौड़गढ़, श्री लक्ष्मी कान्त बालोत सवाई माधोपुर, श्री मुरलीधर प्रतिहार कोटा, टोंक के भू प्रबंध अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र व श्री सोहन राम चौहान अलवर, आरआरटीआई निदेशक श्रीमती मीनाक्षी मीणा, उपनिदेशक श्रीमती सुनीता यादव, मुख्य लेखाधिकारी कोमल चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

□□□

राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक, राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री में देश में अव्वल- राजस्व मंत्री – राजस्व मंडल के नवाचारों से मिल रही आमजन को राहत

जयपुर, 2 अप्रैल। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री श्री हेमन्त मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में फार्मर रजिस्ट्री में पीएम किसान के 81 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर राजस्थान ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सफल प्रयासों का ही परिणाम है कि फार्मर रजिस्ट्री में प्रदेश के 73 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य कर फार्मर रजिस्ट्री के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए।

श्री मीणा शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से राजस्व तथा उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सीमाज्ञान, आपसी सहमति से बंटवारा, भू-रूपांतरण के लंबित प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सीमाज्ञान के लिए संचालित ई-धरती पोर्टल में आवश्यक संशोधन कर इसे और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करें। राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों का व्यवस्थित और समयबद्ध निस्तारण कर अधिकारी जीरो पेंडेंसी पर कार्य करना सुनिश्चित करें। बैठक में

श्री मीणा ने राजस्व मंडल एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों, संभागीय आयुक्त न्यायालयों, जिला कलक्टर न्यायालयों के लंबित वादों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 10 से अधिक वर्षों से लंबित राजस्व वादों का प्रत्येक न्यायालय चिन्हित कर प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

राजस्व मंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में किए गए एमओयू प्रदेश के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने समस्त जिला कलेक्टर्स को राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से राइजिंग राजस्थान के भू आवंटन, नामांतरण दर्ज करने, संपरिवर्तन आदि प्रकरणों की जांच कर गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2025–26 की बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने उपनिवेशन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा की।

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग श्री दिनेश कुमार ने कहा कि प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन के लिए जिला कलेक्टर पटवार मंडल स्तरों पर डोर–टू–डोर रजिस्ट्रेशन चालू रखें, जिससे फार्मर रजिस्ट्री के शत प्रतिशत लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य में डिजिटल क्रॉप सर्वे की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को भू रूपांतरण के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए।

बैठक में राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री हेमन्त कुमार गेरा ने मंडल द्वारा किये गए नवाचारों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राजस्व मंडल में प्रतिदिन 15 सबसे पुराने मामलों की सुनवाई अनिवार्य की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि न्यायिक कार्य के लिए दो पारियों की शुरुआत की गई है, इससे राजस्व न्यायालयों की कार्यकुशलता तथा राजस्व प्रकरणों के निस्तारण प्रतिशत में सकारात्मक वृद्धि हुई है। विचाराधीन वाद जिसमें सरकार पक्षकार है, इनका प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है।

बैठक में समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स एवं आयुक्त, उपनिवेशन वीसी के माध्यम से तथा निबंधक राजस्व मंडल, भू प्रबन्ध आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

□□□

राजस्व मण्डल : भू-राजस्व की 110 फीसदी वसूली

अजमेर। वित्त विभाग द्वारा राजस्व मण्डल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत भू-राजस्व की वसूली हेतु 655.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व मण्डल द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 720.18 करोड़ रुपये की वसूली की गई है जो आवंटित लक्ष्य का 110.00 प्रतिशत है।

कुल लक्ष्य 655.00 करोड़ में सरकारी सम्पदाओं की बिक्री से आय, ग्रामीण संपरिवर्तन शुल्क एवं विविध मदों से आय हेतु लक्ष्य क्रमशः 433.00 करोड़ रूपये 110.00 करोड़ रूपये एवं 105.00 करोड़ रूपये निर्धारित था। इनके विरूद्ध क्रमशः 499.00 करोड़ रूपये 111.36 करोड़ रूपये एवं 103.00 करोड़ रूपये वसूली की गई। मुख्यतः बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में भूमि आवंटन से राजस्व अर्जन अधिक किया जाना संभव हुआ।

उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष 2023-24 हेतु भू-राजस्व की वसूली हेतु 350.00 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध 338.00 करोड़ रूपये वसूली हुई जो कुल लक्ष्य का 96. 57 प्रतिशत था।

□□□

राष्ट्रीय लोक अदालत :
राजस्व मंडल में 622 प्रकरणों का निस्तारण

अजमेर 10 मई । राजस्व मंडल के स्तर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 622 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जा सका। इस लोक अदालत के लिए कुल 455 समझाइश योग्य प्रकरण चिह्नित किये गये थे।

राजस्व मंडल न्यायिक सदस्य श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी एवं सदस्य डॉ. एसपी सिंह की मौजूदगी में विशेष बेंच के जरिए से न्याय की आस लगाए बैठे पक्षकारों को बड़ी राहत मिल पायी।

लोक अदालत का शुभारंभ दोनों सदस्यों के अलावा अतिरिक्त निबंधक श्री हेमंत माथुर, लोक अदालत के लिए विशेष समन्वयक एवं काउंसलर (सेवानिवृत्त आरएएस) श्री सुरेश कुमार सिंधी, राजस्व बार अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह राजावत, राजकीय अभिभाषक श्री शांति प्रकाश ओझा आदि की उपस्थिति में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया।

लोक अदालत में अभिभाषक अशोक नाथ योगी, रेखा गोयल, मोहित सोनी, दुनी चंद ढिढारिया व शहाबुद्दीन, मंडल कार्मिक अर्जुन यादव, पंकज हेमनानी, गिरीश कुमार चांदीरामानी, भैरू राम वर्मा, राजेश कुमार, बृजेश कुमार, आकाश यादव, विजेंद्र गुर्जर, हवा सिंह, सोमेंद्र कुमार, दिनेश कुमार साहू सहित विविध शालाओं के अधिकारी एवं कर्मचारियों का सहयोग रहा।

□□□

राजस्व मंडल निबंधक ने किसानों के खेतों पर जाकर किया मोबाइल गिरदावरी प्रक्रिया का परीक्षण

अजमेर 31 जुलाई। राजस्थान प्रदेश में ऑनलाइन गिरदावरी अभियान के लिए तैयार मोबाइल गिरदावरी एप का राजस्व मंडल निबंधक श्री महावीर प्रसाद सहित द्वारा अतिरिक्त निबंधक, तहसीलदार अजमेर की मौजूदगी में किसानों के बीच जाकर ऑनलाइन गिरदावरी का फील्ड निरीक्षण किया गया।

मंडल निबंधक श्री महावीर प्रसाद की उपस्थिति में अजमेर तहसील के बोराज गिरदावर सर्कल के कायमपुरा ग्राम स्थित कृषक अर्जुन सिंह के खेत पर लाइव टेस्टिंग की गई जिसमें खसरा क्रमांक 2828 की ऑनलाइन गिरदावरी का पटवारी स्तर से सफल परीक्षण हुआ। इसी प्रकार स्वयं कृषक के स्तर से खसरा संख्या 2829 की गिरदावरी का भी टेस्टिंग सफल रहा।

किसान स्वयं कर सकेंगे गिरदावरी

समूचे राजस्थान प्रदेश में शुक्रवार एक अगस्त से पटवारी एवं स्वयं कृषक के स्तर से भी ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए गिरदावरी की सुविधा प्रदान की गई है। कृषकों द्वारा स्वयं गिरदावरी किए जाने से पूर्ण जानकारी उनकी देखरेख में पारदर्शिता से दर्ज हो जाएगी, और उन्हें ऐप से जमाबंदी की प्रति डाउनलोड की भी सुविधा मिल सकेगी।

इस हेतु राजस्व मंडल की वेबसाइट, अपना खाता पोर्टल, एसएसओ आईडी पोर्टल आदि राजकीय वेबसाइट पर भी राज किसान गिरदावरी मोबाइल एप डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है कृषि विभाग द्वारा भी अधिक से अधिक किसानों द्वारा मोबाइल एप डाउनलोड करने व स्वयं गिरदावरी करने हेतु किसानों को जागरूक किया जा रहा है ।

कृषकों से किया संवाद

निबंधक श्री महावीर प्रसाद ने ऑनलाइन गिरदावरी मोबाइल के परीक्षण के दौरान कृषक जन से भी संवाद किया और उन्हें एप के बारे में बताया। उन्होंप ने कृषकों से आग्रह किया कि वे www.ebgirdawari.rajasthan.gov.in एवं राज किसान गिरदावरी एप पर ऑनलाइन गिरदावरी सुविधा का लाभ उठाएं। इस सुविधा के तहत किसान स्वयं अपने मोबाइल पर राज किसान गिरदावरी एप डाउनलोड कर पंजीकरण करते हुए अपने खेत- खसरे की स्वयं गिरदावरी कर सकते हैं। ऑनलाइन गिरदावरी के लिए सभी राजस्व अधिकारियों के माध्यम से

पटवारी स्तर तक को जन जागरूकता लाने की निर्देश दिए गए हैं। उन्हें एप के लाभ एवं उसके उपयोग के संबंध में तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं से भी कृषकों को अवगत कराने को कहा गया। ऑनलाइन गिरदावरी कार्य के लिये सरकारी स्तर से पटवारी व सर्वेयर को दायित्वों दिया गया है। कृषक के स्वयं के स्तर से भी मोबाइल गिरदावरी की सुविधा दिया जाना सरकार का अभिनव कदम है। खरीफ गिरदावरी के लगभग 70 लाख खसरों की किसान गिरदावरी का लक्ष्य रखा गया है।

इस अवसर पर राजस्व मंडल के अतिरिक्त निबंधक श्री हेमंत स्वरूप माथुर अजमेर तहसीलदार ओम सिंह लखावत, भू अभिलेख निरीक्षक सरिता इंदौरिया, बोराज पटवारी शैलेंद्र शर्मा, सहित अन्य तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे। मोबाइल एप गिरदावरी का परीक्षण मंडल निदेशक (सांख्यिकी) श्रीमती बीना वर्मा एवं संयुक्त निदेशक (आईटी) सौरभ बामनिया ने भी अलग-अलग स्थान पर जाकर किया।

□□□

निबंधक ने किया राज किसान गिरदावरी एप का परीक्षण तकनीकी खामियों को सुधारने के दिये निर्देश

अजमेर, 4 अगस्त। राजस्थान में चलाये जा रहे ऑनलाइन गिरदावरी अभियान का लाइव परीक्षण राजस्व मंडल निबंधक श्री महावीर प्रसाद ने किया। अजमेर तहसील के गगवाना एवं मुहामी में स्वयं कृषक के हाथों उन्हीं के मोबाइल पर राज किसान गिरदावरी एप के जरिए सफल गिरदावरी दर्ज कराई गई।

गगवाना के किसान पूनम चंद के खेत पर खसरा क्रमांक 1562 व खसरा क्रमांक 1563 पर अलग-अलग कृषि उपज की ऑनलाइन गिरदावरी की गई। इसी प्रकार मुहामी ग्राम के कृषक सीताराम के खेत पर खसरा नंबर 91 व खसरा नंबर 100 के कृषि उपज का ऑनलाइन गिरदावरी का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान कृषकों के मोबाइल पर राज किसान गिरदावरी एप के माध्यम से सूचनाएं दर्ज करने संबंधी तकनीकी व व्यावहारिक जानकारी प्रदान करते हुए गिरदावरी दर्ज कराई तो वे इस सुविधा से बहुत प्रसन्न हुए।

निबंधक श्री महावीर प्रसाद ने एप परीक्षण के दौरान किसान गिरदावरी ऐप का और सरलीकरण करने के लिये तकनीकी नॉडल अधिकारी (डिजिटल क्रॉप सर्वे) एवं संयुक्त निदेशक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग) को प्रदान किये ताकि अधिकाधिक कृषक बिना किसी अड़चन के गिरदावरी प्रक्रिया को स्वयं के स्तर से ही पूरा कर सकें।

निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मंडल के अतिरिक्त निबंधक श्री हेमंत स्वरूप माथुर, संयुक्त निदेशक (आइटी) श्री सौरभ बामनिया, सहायक निदेशक पवन शर्मा, आइएलआर सुनील शर्मा एवं पटवारी दीपक चौधरी ने भी ऑनलाइन गिरदावरी लाइव परीक्षण कार्य में सहयोग प्रदान किया।

□□□

खुद के हाथों गिरदावरी कर खुशी से झूमा सूरज

राज किसान माबाइल एप पर चंद मिनटों में ही खुद के हाथों गिरदावरी दर्ज करना बहुत शानदार व अनूठा अनुभव है। यह बहुत अच्छी व किसानों के हित वाली सुविधा है। मैं इसे भली भांति सीख कर और दूसरे किसानों को भी इसकी जानकारी दूंगा और जागरूक करूंगा। यह बात मोहामी के कृषक सीताराम के बेटे सूरज सिंह ने मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन गिरदावरी का अनुभव प्राप्त करने के बाद कही। उसने कहा कि उसके लिए यह बहुत रोचक व नया

अनुभव है जब किसान को खुद से गिरदावरी करने का अवसर सरकार ने प्रदान किया है। सूरज ने स्वयं सारी सूचनाएं दर्ज की और फसल की फोटो भी ऐप पर ऑनलाइन अपलोड किया तो उसकी खुशी देखने लायक थी। सूरज ने अपनी माँ को भी ऐप संचालन की जानकारी दी तो वे भी खुश हो उठीं। सूरज ने कहा कि तकनीकी के बेहतर प्रयोग से कृषक संबंधी कई समस्याओं का भी हल निकल जाएगा और सही व समय पर गिरदावरी होने से उन्हें सरकार की योजनाओं का पूरा–पूरा लाभ भी मिलेगा।

□□□

राज्य स्तरीय फसल कटाई प्रशिक्षण का आयोजन

अजमेर 8 अगस्त। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा राज्य स्तरीय फसल कटाई प्रयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ।

खरीफ वर्ष 2025-26 में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवम् सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण योजनान्तर्गत आयोजित होने वाले फसल कटाई प्रयोगों के सम्बन्ध में निदेशक (सांख्यिकी) श्रीमती बीना वर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय फसल कटाई प्रयोग प्रशिक्षण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला स्तर के राजस्व, सांख्यिकी, कृषि विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया।

सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के वेब पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री शिव कुमार भाकर सहायक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान श्री रमेश कुमार दायमा सांख्यिकी अधिकारी एवं श्री शिव कुमार भाकर सहायक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा किया गया। कृषि विभाग के CCE AGRI APP के सम्बन्ध में कृषि विभाग के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गयी है। कार्यक्रम में श्री रामेश्वर कड़वा सांख्यिकी अधिकारी तथा श्रीमती पिंकी वैष्णव संगणक उपस्थित रहे।

□□□

उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सांख्यिकी अधिकारी दायमा मुख्यमंत्री के हाथों राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित

अजमेर 29 जून। सांख्यिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सांख्यिकी दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के सांख्यिकी अधिकारी रमेश कुमार दायमा को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के हाथों सम्मानित किया गया।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के तत्वावधान में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर संस्थान जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सांख्यिकी अधिकारी श्री रमेश कुमार दायमा को प्रो. पीसी महालनोबिस अवार्ड प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी अधिकारी दायमा द्वारा कृषि सांख्यिकी में राज्य स्तरीय बेहतरीन कार्य के लिए यथा राज्य की उत्पादन, उत्पादकता, फसल कटाई प्रयोग आयोजना, जिंसवार, फोरकास्ट आदि समय पर सम्पादित कर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को समय पर विभिन्न आयात निर्यात नीति हेतु उपलब्ध कराये गए।

□□□

राजस्व मंडल में अध्यक्ष श्री हेमंत कुमार गेरा ने ध्वजारोहण किया

अजमेर। 79वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राजस्व मंडल में आयोजित समारोह में राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री हेमंत कुमार गेरा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें राष्ट्र की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों की याद दिलाता है। हमें उनके त्याग और बलिदान से प्रेरित होकर आजादी के मूल्यों को समझना होगा। आज हमें देश की सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए समग्र विकास का संकल्प लेने की जरूरत है।

उन्होंने उल्लेखनीय सेवाओं के लिए मंडल के 10 अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंडल सदस्य डॉ. महेन्द्र लोढ़ा, अतिरिक्त निबंधक श्री हेमंत स्वरूप माथुर, सहायक निदेशक पवन शर्मा, लेखाधिकारी आबिद अली, प्रोग्रामर भीमराज गुर्जर, सांख्यिकी अधिकारी श्री रमेश दायमा, मंडल विभागीय समिति अध्यक्ष अजय सिंह गुर्जर सहित मंडल के विविध शाखाओं के प्रभारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्मिक एवं अभिभाषकगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजन देवेश बड़ीवाल ने किया। समारोह में राजकुमार बाघमार, एडवोकेट पूजा शर्मा, श्याम पारीक एवं नन्हीं बालिका आराध्या फौजदार ने देशप्रेम के गीत, कविता पाठ एवं वक्तव्य में आजादी की महत्ता को परिभाषित किया। पंकज हेमनानी, श्रेयांश जैन एवं टीम ने सामान्य व्यवस्थाओं का दायित्व निभाया।

इनका हुआ सम्मान

अध्यक्ष श्री हेमंत कुमार गेरा ने राजस्व मंडल के प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती निशा गुप्ता, प्रोग्रामर श्री भीमराज, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री गफूर अली, सहायक सांख्यिकी अधिकारी शिवकुमार भाकर, सहायक राजस्व लेखाधिकारी - प्रथम राजेंद्र सिंह रावत, सहायक लेखाधिकारी रौनक जैन, निजी सहायक मुकुल कच्छावा, वरिष्ठ सहायक श्रीमती सुरभि चित्तौड़िया, सूचना सहायक श्री रजत मोदी एवं कनिष्ठ सहायक श्री देवेश बड़ीवाल को सम्मानित किया।

□□□

स्वतंत्रता दिवस 2025 पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मान

राजस्व मंडल में 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिये कार्मिकों को सम्मानित करते अध्यक्ष श्री हेमन्त कुमार गेरा ।

स्वतंत्रता दिवस 2025 पर सम्मान लेते हुए

स्वाधीनता दिवस पर अजमेर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत से पुरस्कार ग्रहण करते राजस्व मंडल के वरिष्ठ निजी सचिव श्री सुधीर शर्मा (ऊपर) एवं प्रशासनिक अधिकारी श्री दीपक मोतियानी (नीचे)

राजस्व मंडल में सेवानिवृत्ति समारोह

राजस्व मंडल में स्वाधीनता दिवस समारोह

अजमेर के आरआरटीआई सभागार में राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला के अवसर पर अध्यक्ष श्री हेमन्त कुमार गेरा, मंडल सदस्य, अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी एवं भू प्रबंध अधिकारीगण।

मंडल निबंधक श्री महावीर प्रसाद द्वारा राज किसान गिरदावरी एप का परीक्षण।

राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा-2025

24 जून से 09 जुलाई, 2025

पं. दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा- 2025

दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा

राजस्थान सरकार

24 जून से 09 जुलाई, 2025

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा-2025

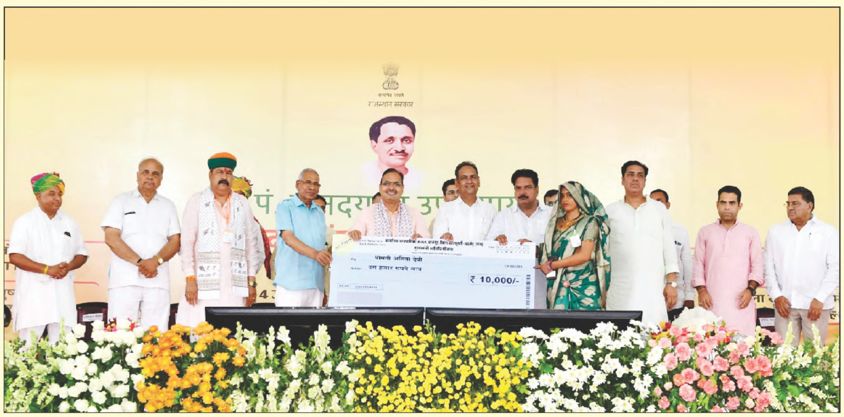

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

Contact us :
Website : http//landrevenue.rajasthan.gov.in/bor
Email : bor-rj@nic.in